नगर पंचायत, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के

लेखाओं का अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अवधि 1.4.97 से 31.3.2005

भाग - प्रथम

1. गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:- सचिव, नगर पंचायत अर्की द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर जो कार्यवाही की गई थी, उस पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ अपेक्षित हैं:-

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/67 से 1/70 तक:

1. पैरा संख्या 1 — यथास्थिति -
2. पैरा संख्या 2 — यथास्थिति -

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2/70 से 3/72 तक:

1. पैरा संख्या 4. — यथास्थिति -

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/72 से 3/77 तक:

1. पैरा संख्या 5 — यथास्थिति -
2. पैरा संख्या 9 — यथास्थिति -
3. पैरा संख्या 11 — यथास्थिति -
4. पैरा संख्या 12 — यथास्थिति -
5. पैरा संख्या 13. — यथास्थिति -

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/77 से 3/81 तक:

1. पैरा संख्या 8 — यथास्थिति -
2. पैरा संख्या 9 — यथास्थिति -
3. पैरा संख्या 10 — यथास्थिति -
4. पैरा संख्या 11 — यथास्थिति -
5. पैरा संख्या 12 (A) — आंशिक यथास्थिति -

6. पैरा संख्या 12 (बी) - अनिर्णीत -
7. पैरा संख्या 13 —— अनिर्णीत -
8. पैरा संख्या 14 —— अनिर्णीत -
9. पैरा संख्या 15 —— अनिर्णीत -
10. पैरा संख्या 16 —— अनिर्णीत -
11. पैरा संख्या 17 —— अनिर्णीत -
12. पैरा संख्या 21 —— अनिर्णीत -
13. पैरा संख्या 23 —— अनिर्णीत -
14. पैरा संख्या 25 (बी) - अनिर्णीत -

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 4/81 से 3/82 तक।

1. पैरा संख्या 8 (ए) — अनिर्णीत -
2. पैरा संख्या 8 (बी) — अनिर्णीत -

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 4/82 से 3/83 तक।

1. पैरा संख्या 9 (बी) — अनिर्णीत -
2. पैरा संख्या 9 (सी) — अनिर्णीत -
3. पैरा संख्या 9 (डी) — अनिर्णीत -

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 4/83 से 3/85 तक।

1. पैरा संख्या 11 (बी) — अनिर्णीत -

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 4/85 से 3/87 तक।

1. पैरा संख्या 5 (बी) — अनिर्णीत -
2. पैरा संख्या 9 (बी)(ii) — अनिर्णीत -

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 4/87 से 3/89 तक।

1. पैरा संख्या 5 (i) — अनिर्णीत -
2. पैरा संख्या 6 —— अनिर्णीत -
3. पैरा संख्या 7 —— अनिर्णीत -
4. पैरा संख्या 8 —— अनिर्णीत -
5. पैरा संख्या 9 —— अनिर्णीत -
6. पैरा संख्या 12 —— अनिर्णीत -
7. पैरा संख्या 13 —— अनिर्णीत -
8. पैरा संख्या 14 (ई) — अनिर्णीत -
9. पैरा संख्या 16 —— अनिर्णीत -
10. पैरा संख्या 17 —— अनिर्णीत -

लगातार पृ० 3

(अ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/94 तक -

1. पैरा संख्या 5 (ii) आंशिक निस्तारित -
2. पैरा संख्या 5 (ii)(ग) - अनिर्णीत -
3. पैरा संख्या 6 —— अनिर्णीत -
4. पैरा संख्या 8 —— अनिर्णीत -
5. पैरा संख्या 11 (i) — अनिर्णीत -
6. पैरा संख्या 11 (ii) — अनिर्णीत -
7. पैरा संख्या 11 (iii) — अनिर्णीत -
8. पैरा संख्या 11 (i)(क) — अनिर्णीत -
9. पैरा संख्या 11 (i)(ख) — अनिर्णीत -
10. पैरा संख्या 11 (ii)(क) — अनिर्णीत -
11. पैरा संख्या 11 (iii)(क) — अनिर्णीत -
12. पैरा संख्या 11 (iv) — अनिर्णीत -
13. पैरा संख्या 11 (iv)(क) — अनिर्णीत -
14. पैरा संख्या 11 (iv)(ख) — अनिर्णीत -
15. पैरा संख्या 11 (iv)(ग) — अनिर्णीत -
16. पैरा संख्या 11 (iv)(घ) — अनिर्णीत -
17. पैरा संख्या 11 (v)(क) — अनिर्णीत -
18. पैरा संख्या 11 (v) क से ङ तक - अनिर्णीत -
19. पैरा संख्या 11 (vi)(क) —— अनिर्णीत -
20. पैरा संख्या 11 (vi)(ख) —— अनिर्णीत -
21. पैरा संख्या 11 (vii) क से ङ तक - अनिर्णीत -
22. पैरा संख्या 11 (viii) —— अनिर्णीत -
23. पैरा संख्या 11 (ix) —— अनिर्णीत -
24. पैरा संख्या 11 (x)(क) —— अनिर्णीत -
25. पैरा संख्या 11 (x)(ख) —— आंशिक निस्तारित -
26. पैरा संख्या 11 (xi) —— अनिर्णीत -
27. पैरा संख्या 11 (xii)(क) —— आंशिक निस्तारित -
28. पैरा संख्या 11 (xii)(ख) —— अनिर्णीत -
29. पैरा संख्या 11 (xii)(ग) —— अनिर्णीत -
30. पैरा संख्या 11 (xiii)(क) —— अनिर्णीत -
31. पैरा संख्या 11 (xiii)(ख) —— अनिर्णीत -
32. पैरा संख्या 11 (xiii)(ग) —— अनिर्णीत -

33. पैरा संख्या 11 (XIV) —— अस्वीकृत -
34. पैरा संख्या 11 (XV) क से ग तक। — अस्वीकृत -
35. पैरा संख्या 11 (XV) (घ) —— अस्वीकृत -
36. पैरा संख्या 11 (XVI) क से ङ तक। — अस्वीकृत -
37. पैरा संख्या 11 (XVII) —— अस्वीकृत -
38. पैरा संख्या 11 (XVIII) —— अस्वीकृत -
39. पैरा संख्या 11 (XIX) —— अस्वीकृत -
40. पैरा संख्या 11 (XX) —— अस्वीकृत -
41. पैरा संख्या 11 (XXI) (क) —— अस्वीकृत -
42. पैरा संख्या 11 (XXI) ख से ङ तक। — अस्वीकृत -
43. पैरा संख्या 11 (XXI) (च) — अस्वीकृत -
44. पैरा संख्या 11 (XXI) (छ) — अस्वीकृत -
45. पैरा संख्या 11 (XXI) (ज) — अस्वीकृत -
46. पैरा संख्या 11 (XXI) (झ) — अस्वीकृत -
47. पैरा संख्या 11 (XXII) (क) — अस्वीकृत -
48. पैरा संख्या 11 (XXII) (ख) — अस्वीकृत -
49. पैरा संख्या 12 (I) (क) (ख) (ग) — अस्वीकृत -
50. पैरा संख्या 12 (II) —— अस्वीकृत -
51. पैरा संख्या 12 (III) —— अस्वीकृत -
52. पैरा संख्या 12 (IV) —— अस्वीकृत -
53. पैरा संख्या 12 (V) —— अस्वीकृत -
54. पैरा संख्या 12 (VI) —— अस्वीकृत -
55. पैरा संख्या 13 —— अस्वीकृत -
56. पैरा संख्या 14 —— अस्वीकृत -
57. पैरा संख्या 15 (I) —— अस्वीकृत -
58. पैरा संख्या 15 (IV) —— अस्वीकृत -
59. पैरा संख्या 15 (V) —— अस्वीकृत -
60. पैरा संख्या 15 (VI) —— अस्वीकृत -
61. पैरा संख्या 16 (I) —— अस्वीकृत -
62. पैरा संख्या 16 (ii) क से ग तक — स्वीकृत - [illegible]
63. पैरा संख्या 16 (iii) (क) — अस्वीकृत -

[illegible]

[illegible] पैरा संख्या 16(iii)(ख)(ग) — अनिर्णीत -
[illegible] पैरा संख्या 17(i) — अनिर्णीत -
[illegible] पैरा संख्या 17(ii)(ख) — अनिर्णीत -
[illegible] पैरा संख्या 17(ii)(ग) — अनिर्णीत -
[illegible] पैरा संख्या 18 — अनिर्णीत -
[illegible] पैरा संख्या 18(क) और (ख) — अनिर्णीत -
[illegible] पैरा संख्या 19 — अनिर्णीत -
[illegible] पैरा संख्या 20(i) विभिन्न अनियमितताएं — अनिर्णीत -
[illegible] पैरा संख्या 20(ii) क, ख, ग — अनिर्णीत -
[illegible] पैरा संख्या 20(iii) — अनिर्णीत -
[illegible] पैरा संख्या 20(iv) — अनिर्णीत -
[illegible] पैरा संख्या 20(v)(क) — अनिर्णीत -
[illegible] पैरा संख्या 20(v)(ख) — अनिर्णीत -
[illegible] पैरा संख्या 20(vi) — अनिर्णीत -
[illegible] पैरा संख्या 20(vii) — अनिर्णीत -
[illegible] पैरा संख्या 20(viii) — अनिर्णीत -
[illegible] पैरा संख्या 20(ix) — अनिर्णीत -
[illegible] पैरा संख्या 20(ix)(ख) — अनिर्णीत -

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/97 तक :-

1. पैरा - 2 - [illegible] — निर्णीत — [illegible] [illegible]
2. पैरा - 3 - [illegible] — अनिर्णीत -
3. पैरा - 4(i) - अनिर्णीत - [illegible] 1500/- का [illegible]
4. पैरा - 4(ii) - निर्णीत - [illegible] 200/- [illegible]

5. पैरा सं०-3(iv) — निर्णीत — स्टेट बैंक ऑफ [illegible] द्वारा सं० 160 के द्वारा 60700/- की [illegible] । [illegible] सं०-55/[illegible] दिनांक 31-12-03 [illegible] ।

6. पैरा सं०- 3(क) — अनिर्णीत - स्थल देय से सम्बन्धित

7. पैरा सं०- 3(ग) — निर्णीत - निदेश से सम्बन्धित

8. पैरा सं०- 4 — निर्णीत - [illegible] रसीद सं० 18401/- [illegible] सं० 7 दिनांक 22-8-03 को जमा करा दी गई।

9. पैरा सं०- 5(क) — अनिर्णीत -

10. पैरा सं०- 5(ख) — अनिर्णीत -

11. पैरा सं०- 5(ग) — अनिर्णीत -

12. पैरा सं०- 5(घ) — अनिर्णीत -

13. पैरा सं०- 5(ङ) — अनिर्णीत -

14. पैरा सं०- 5(च) — अनिर्णीत -

15. पैरा सं०- 5(छ) — अनिर्णीत -

16. पैरा सं०- 5(ज) — अनिर्णीत -

17. पैरा सं०- 5(झ) — अनिर्णीत -

18. पैरा सं०- 5(ञ) — निर्णीत — [illegible] को [illegible] से [illegible] रु० [illegible]

19. पैरा सं०- 6 — निर्णीत - रसीद सं० 15701/- का [illegible] सं० 55/[illegible] दिनांक 31-12-03 द्वारा जमा किया।

[illegible]

20. प्रस्तर सं० 7(क) - आंशिक निस्तारित - श्री [illegible] सिंह [illegible] को [illegible] रु० 1428/- का [illegible] भुगतान, [illegible] भुगतान [illegible] रु० 1038/- एवं [illegible] रु० 1138/- की वसूली [illegible] रसीद सं० 10/[illegible] दिनांक [illegible] को करा दी गयी। [illegible] वसूली [illegible] की वसूली-शीघ्र की जाये।

21. प्रस्तर सं०-7(ख) - निस्तारित - [illegible] रु० 385/- के [illegible] भुगतान की वसूली रसीद सं० 11/[illegible] व 36/[illegible] 20-6-04 द्वारा करा ली गई।

22. प्रस्तर सं०-7(ग) - निस्तारित - [illegible] रु० 2000/- के [illegible] भुगतान की वसूली रसीद सं० [illegible]/[illegible] दिनांक 16-4-05 द्वारा करा ली गई।

23. प्रस्तर सं०-7(घ) - निस्तारित - अधिक भुगतान [illegible] रु० [illegible] की वसूली [illegible] रसीद सं० 36/[illegible] दिनांक 30-12-03, 12/[illegible] [illegible], 23/[illegible] [illegible] 6-8-04, 13/[illegible]-[illegible], 14/[illegible]-[illegible] व [illegible]/[illegible]-[illegible] को क्रमशः [illegible] रु० [illegible]/-, [illegible]/-, [illegible]/-, [illegible]/-, [illegible]/-

24. प्रस्तर सं०-7(ङ) - अनिस्तारित - [illegible] सं० 275 [illegible] रु० [illegible]/-. [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जाये।

25. पैरा सं० 7(क) – अनिर्णीत – श्री एम०पी० [illegible] के [illegible] रु० 6.41 की वसूली करें।

26. पैरा सं० 7(ख) – निर्णीत – [illegible] रु० 14.97 की [illegible] की वसूली। [illegible] दिनांक [illegible]

27. पैरा सं० 8(क) – अनिर्णीत – [illegible] 31-3-97 तक [illegible] की व्यवस्था [illegible] से वसूली करें।

28. पैरा सं० 8(ख) – अनिर्णीत – [illegible] के [illegible] की वसूली [illegible]

29. पैरा सं० 9 – आंशिक निर्णीत – [illegible] रु० 1582 [illegible] रु० 2065 [illegible] की वसूली [illegible] 15-3-2005 [illegible]

30. पैरा सं० 10(क) – निर्णीत – [illegible] रु० 201 की वसूली [illegible] सं० 47/474 [illegible] पूरा की गयी।

31. पैरा सं० – 10 ख (1) – अनिर्णीत –

32. पैरा सं० – 10 ख (ii) – अनिर्णीत –

33. पैरा सं० – 10 ख (iii) – अनिर्णीत –

34. पैरा सं० – 11 – निर्णीत – [illegible] के [illegible] Notification [illegible] 1-9-97 को [illegible] किया गया।

35. पैरा सं० – 12 – अनिर्णीत – अनुपालन आख्या [illegible]

36. पैरा सं० – 13 – अनिर्णीत – [illegible] न कराना।

37. पैरा सं० – 14 – अनिर्णीत – [illegible] U.P. Municipal Account Code [illegible] में [illegible]

38. पैरा सं० – 15(क) – अनिर्णीत – [illegible] भाग-12 [illegible]

39. पैरा सं० - 15 (अ)(3) - आंशिक निर्णीत - अग्रिम रु० 629 [illegible] [illegible] रु० [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सं० - 30/ASS [illegible] 29/ASS [illegible], 30/ASS [illegible] 40/ASS [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] [illegible]

40. पैरा सं० - 15 अ (iii) - अनिर्णीत - अग्रिम रु० 10,000/- का [illegible] भुगतान की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

41. पैरा सं० - 15 अ (iii) - अनिर्णीत - [illegible] रु० [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] रु० [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

42. पैरा सं० - 15 (अ)(iv) - अनिर्णीत - [illegible] भुगतान [illegible] रु० [illegible]/- की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible]।

43. पैरा सं० - 15 अ (v) - अनिर्णीत - [illegible] रु० [illegible] का [illegible] भुगतान की [illegible] [illegible] [illegible] को [illegible] [illegible] की [illegible] के लिये लिखा।

44. पैरा सं० - 15 (अ)(5)(B) - अनिर्णीत - अग्रिम रु० 1500/- का [illegible] भुगतान की [illegible] [illegible] को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

45. पैरा सं० - 16 - अनिर्णीत - [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया।

46. पैरा सं० - 17 (अ)(3)(iv) - अनिर्णीत - [illegible] को [illegible] [illegible] रु० [illegible]/- का [illegible] भुगतान [illegible] [illegible] रु० [illegible]/- की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

47. पैरा सं० - 17(ख)(1) से (iv):- आपत्ति - निर्माण कार्य के [illegible] रु० [illegible] का [illegible] [illegible] [illegible] नहीं किया।

48. पैरा सं० - 17(ग)(1) से (i) - आपत्ति - निर्माण कार्यों के [illegible] रु० 3386.00 का [illegible] [illegible] [illegible] नहीं किया।

49. पैरा सं० - 17(घ)(1) से (iv) - आपत्ति - निर्माण कार्य के [illegible] कार्यालयों के [illegible] रु० 4450.40 का [illegible] अनुपालन।

50. पैरा सं० - 17(ङ)(1) से (iv) - आपत्ति - निर्माण कार्य के [illegible] के [illegible] रु० 6641/- का [illegible]

51. पैरा सं० - 17(च)-(1) से (v) - आपत्ति - निर्माण कार्य के [illegible] के [illegible] रु० 1411/- का [illegible] अनुपालन।

51 पैरा सं — 17(छ) - (1) से (ii) - आपत्ति

52. पैरा सं० - 18(क) - अंशतः निराकृत - रु० 886/- में से रु० 646/- की वसूली की [illegible] रु० 240/- की [illegible] वसूली की जाये।

53. पैरा सं० - 18(ख)(1) से (iii) - आपत्ति - रु० 35/- व रु० 67/- की वसूली [illegible] की गयी। [illegible] 29/[illegible], 30/[illegible] दिनांक [illegible] [illegible] दिनांक 14-7-05 के द्वारा।

54. पैरा सं० - 18(ग) - आपत्ति - रु० 28/- की वसूली नहीं की गयी। [illegible] वसूली की जाये।

55 पैरा सं० - 18(घ) - आपत्ति - [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] कोई [illegible] नहीं किया।

५६. पैरा सं०-19 - निर्णीत - [illegible] से [illegible] रु० [illegible] की वसूली [illegible] सं० 30/ASS [illegible] द्वारा कर ली गई।

५७. पैरा सं०-20(क) - निर्णीत - [illegible] रु० [illegible] की वसूली C-8 रसीद सं०-30/ASS [illegible] द्वारा कर ली गई।

५८. पैरा सं०-20(ख) - निर्णीत - [illegible] रु० [illegible] को [illegible] अनुमोदन किया की वसूली रसीद सं०-31/ASS व [illegible]/ASS दिनांक [illegible] द्वारा कर ली गई।

५९. पैरा सं०-21(क)(ख)(ग)व (घ) — अनिर्णीत - [illegible] की [illegible] अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की।

६०. पैरा सं०-22 - अनिर्णीत - [illegible] कार्यवाही नहीं की।

६१. पैरा सं०-23 - निर्णीत - [illegible] रु० [illegible] की वसूली C-8 रसीद सं०-30/ASS दिनांक [illegible] द्वारा कर ली गई।

६२. पैरा सं०-24(क) - निर्णीत - [illegible] के [illegible] कर ली गई।

६३. पैरा सं०-24(ख) अनिर्णीत (ग)(घ) - [illegible] की [illegible] नहीं किया।

62. पैरा सं०-23(xv)(iv)- निस्तारित — रू० [illegible] द्वारा वसूली

(12)

63. पैरा सं०-24(ड़)- निस्तारित — [illegible] कर्मचारियों [illegible] के लिये [illegible] नहीं कराया

64. पैरा सं०-24(च)- निस्तारित — [illegible] रजिस्टर के प्रविष्टियों की जांच कर ली गयी.

65. पैरा सं०-24(छ)- अनिस्तारित — [illegible] पैरा की [illegible] रजिस्टर में प्रविष्टी [illegible] अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये.

66. पैरा सं०-24(ज)(झ)- अनिस्तारित — [illegible] रजिस्टर के प्रविष्टी [illegible] सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

67. पैरा सं०-25 — अनिस्तारित - [illegible] के अन्तर्गत [illegible] से [illegible] रू० 7000/- का [illegible] को [illegible] किया [illegible] वसूली [illegible] नहीं की गयी.

68. पैरा सं०-26 (15 मार्च) — निस्तारित - बिजली के बिल [illegible] रू० 1741/- [illegible] का अवलोकन कर पैरा निस्तारित किया व [illegible] बिल [illegible] रू० 401/- [illegible] का [illegible] अवलोकन कर पैरा निस्तारित किया.

70. पैरा सं० 26(iii) - निस्तारित - पैरे के [illegible] सम्बन्धित रसीद का अवलोकन कर पैरा समाप्त किया.

71. पैरा सं०-26(v) एवं (vi) - अनिस्तारित - पैरे से सम्बन्धित कोई कार्यवाही नहीं की.

(13)

72. पैरा सं० - 26(XV) → निर्णीत - प्र० फेब्रिकेशन द्वारा स्थानापन्न बनाने के उपलक्ष्य में किये गये व्यय की स्वीकार्यता का आकलन कर पैरा समाप्त किया गया.

73. पैरा सं० - 26(XVI) से (XIX) अनिर्णीत - कोई कार्यवाही नहीं की गयी.
74. पैरा सं० - 26 (XX) व (XXI) - अनिर्णीत
75. पैरा सं० - 26(XXII) - आंशिक निर्णीत - [illegible] किये गये स्टोरों की उपलब्धता की जांच और जो स्टोर प्राप्त नहीं हो सके उनके कार्यवाही करके प्रस्तुत करें.

76. पैरा सं० - 26(XXIII) से (XXIV) - अनिर्णीत - कोई कार्यवाही नहीं की गयी.

77. पैरा सं० - 27 - निर्णीत - लघु आपत्ति [illegible] विवेचना स्वीकार नहीं की जाती.

78. पैरा सं० - 28 - अनिर्णीत - पैरा न 6 व 7 पर वांछित कार्यवाही की जाये.

[illegible] 9/2002, 12/2002,

भाग - द्वितीय

2. वर्तमान अंकेक्षण :→

नगर पंचायत, खर्दी के अवधि 4/97 से 3/05 तक के लेखों का लेखा-परीक्षण श्री अनिल कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं साथ में कार्मिक श्री रूपचन्द शर्मा, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11/4/05 से अवधि 20-7-05 तक नगर पंचायत के कार्यालय में रहकर सम्पादित किया गया। अंकेक्षण के दौरान जो अनियमितताएं एवं त्रुटियाँ पायी गई उनके परिणाम अनुवर्ती पैरों में समावेशित किये गये हैं। लेखा-परीक्षा के लिये विस्तृत जांच हेतु निम्न मासों का चयन किया गया उनका विवरण इस प्रकार है। माह 9/97, 3/98, 4/98, 2/99, 6/99, 3/2000, 4/2000, 1/2001, 5/2001, 10/2001, 8/2002, 12/2002, 6/2003, 10/2003, 9/2004 व 3/2005.

(3.) वित्तीय स्थिति:-

(क) नगर पंचायत, खर्दी की अवधि 4/97 से 3/05 तक के लेखों की वित्तीय स्थिति का विवरण अगले पृष्ठ में निम्न प्रकार रहे है:-

	वर्ष 1997-98	वर्ष 1998-99
गत शेष	4,30,741-47	4,78,068-67
कुल आय	14,56,602-20	33,33,630-20
योग	18,87,343-67	38,11,698-87
व्यय	14,09,275-00	19,21,865-00
अन्तिम शेष	4,78,068-67	18,89,833-87
	वर्ष 1999-2000	**वर्ष 2000-01**
गत शेष	18,89,833-87	6,15,454-87
कुल आय	16,53,334-00	19,34,641-00
योग	35,43,167-87	25,50,095-87
व्यय	29,27,713-00	17,39,985-00
अन्तिम शेष	6,15,454-87	8,10,110-87
	वर्ष 2001-02	**वर्ष 2002-03**
गत शेष	8,10,110-87	3,38,572-97
कुल आय	14,16,274-00	27,66,590-80
योग	22,26,384-87	31,05,163-77
व्यय	18,87,811-90	20,48,928-00
अन्तिम शेष	3,38,572-97	10,56,235-77
	वर्ष 2003-04	**वर्ष 2004-05**
गत शेष	10,56,235-77	11,76,351-01
कुल आय	24,04,181-24	24,49,256-39
योग	34,60,417-01	36,25,607-40
व्यय	22,84,066-00	22,16,754-00
अन्तिम शेष	11,76,351-01	14,08,853-40

बैंकों में जमा राशियों का विवरण

(1)

Name of Bank.	A/c No.	Balance info in 31-3-05
The Jogindra Co-op Bank Ltd. Arki	46647	4,39,298-00
State Bank of Patiala Batal	01100056004	4,89,737-60
UCO Bank Arki	7547	1,10,158-68
UCO Bank Arki	9843	95,012-00
The Jogindra Co-operative Bank, Arki	4688	3,91,982-00
Post office A/c Arki	239833	1,523-50
PLA A/c	—	81-62
	कुल योग	15,27,790-40.

(2) Interest given by the Bank in A/c No-9843 not taken in the cash book. (–) 1,061-00

15,26,729-40

(3) Cash less drawn from Bank against Ch. No- 214225 dt 21-11-04 (25529 - 22529) = (–) 3,000-00

15,23,729-40

(4) Amt deposit into Bank A/c No-4688 amounting to Rs. 4,13,974 but cr. given by the Bank Rs. 4,12,874/- on 14-3-05 So that the less credit of Rs 1100/- given. + 1,100-00

15,24,829-40

balance c/d. 15,24,829-40

(5) excess withdrawal from Ch. No- 21453 of [illegible] amounting to Rs. 100-00 + 100-00

15,24,929-40.

(6) Difference due to fund less deposit into the bank for the year 2002-03, 2004-05 in the various months. + 1,555-00.

15,26,484-40

(7) Ch issued but not cleared for verification 31-3-05 (–) 1,21,582-00

14,04,902-40

A/c No.	Ch. No.	Amt.
01100050074 of SBI	564980	22,674-00
— " —	564981	50,000-00
— " —	564982	19,769-00
4688 of Tagendra Co-op Bank.	0733919	14,279-00
	0733918	6,110-00
	0733920	8,750-00
		1,21,582-00.

(8) Difference showed in previous Audit report not corrected in the Cash Book on 31-3-05 + 3,951-00

total 14,08,853-40

(ख) कैश बुक में अनियमिततायें :-

उक्त पंचायत, समिति की रोकड़ बही अवधि 4/97 से 3/05 तक की विस्तृत जांच करने पर पाया गया कि श्री स. पंचायत का कर्मचारी रोकड़ बही को लिखता है इसने जानबूझ कर रोकड़ बही में त्रुटियाँ की हैं। कई माह/तिथियों में रसीदों से प्राप्त आय तथा भुगतान वाउचरों में दिखायी गयी राशियों को गलत दिखाकर व इन्हें अगली तिथियों में ऊपर दिखाकर या पूरे योगों को ठीक करके इन्हें ठीक किया गया है। जिसके फलस्वरूप लेखा-परीक्षा के दौरान रोकड़ बही की विस्तृत जांच करके गलत राशियों को ठीक किया गया। उक्त रोकड़ बही में जो गम्भीर अनियमिततायें पायी गयी, उनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

(ग) रोकड़ बही में हस्तगत राशि रखकर, दिखाकर बैंकों से मिलान करना :-

उक्त पंचायत के सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा निम्नलिखित तिथियों में हस्तगत राशी दिखाकर रोकड़ बही के बकाया को बैंकों के बकाया से मिलान किया गया दिखाया। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि हस्तगत राशि को दिखाकर राशियों

(अ) कैश बुक में अनियमिततायें :-

उपर संस्थान, की रोकड़ बही अवधि 4/97 से 3/05 तक की विस्तृत जांच करने पर पाया गया कि श्री म० संस्थान का कर्मचारी रोकड़ बही को लिखता है इसने जानबूझ कर रोकड़ बही में त्रुटियाँ की है, कई जगह / तिथियों में जमीयों के कुछ आय तथा भुगतान वाउचरों में दिखायी गयी राशियों को गलत दिखाकर व इन्हें अपनी तिथियों में ऊपर दिखाकर या पूरे योगों को ठीक करके इन्हें ठीक किया गया है। जिसके फलस्वरूप लेखा-परीक्षा के दौरान रोकड़ बही की विस्तृत जांच करके गलत राशियों को ठीक किया गया। तद्नु रोकड़ बही में जो अनियमिततायें पायी गयी, उनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

(ब) रोकड़ बही में हस्तगत राशि रुपया दिखाकर बैंकों से मिलान करना :-

उपर संस्थान के सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा निम्नलिखित तिथियों में हस्तगत राशी दिखाकर रोकड़ बही के बकाया को बैंकों के बकाया से मिलान किया गया दिखाया। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि हस्तगत राशि को दिखाकर राशियों

का अस्थायी दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है।

अवधि	धनराशि	टिप्पणी
12/97	2-00	—
1/98	4002-00	—
12/2001/30/1/02	17564-00	धनराशि रु0 17564/- माह 2/02 को म0प0 निधि में जमा करा दी गई।
8/2001	60-00	—

उक्त हस्तगत धनराशि में से केवल धनराशि रु0 17564-00 माह 2/02 को म0पं0 निधि में जमा करा दी गया शेष बकी हस्तगत धनराशि रु0 2+4002+60 = 4064/- को म0पं0 निधि में जमा की गयी, ———— के सम्बन्धित कोई भी टिप्पणी न तो रोकड़-बही में लगायी गई और न ही उक्त हस्तगत धनराशि को जमा कराने से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा-परीक्षा को प्रस्तुत किये गये। अतः लेखाकार, नजर पेन्शन [illegible] बकाया बकी हस्तगत धनराशि रु0 4064/- की यदि वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से नहीं की गई है तो इसकी वसूली की जाये और यदि इसकी वसूली कर ली गई है तो इससे सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जायें।

(घ) रोकड़-बही में व बैंक खातों में प्राप्तियों का मिलान न होने के फलस्वरूप प्राप्ति रु० 1555/- तथा बैंक में जमा प्राप्ति रु० 1200/- का कम क्रेडिट (Credit) देना।

(1) लेखा-8 से मिलान किये जाने से बनाये गये बैंक खातों से जमा प्राप्तियों के विवरण के अन्तर्गत क्रम सं० 4 व 6 के अनुसार रोकड़ बही के अवशेष का मिलान बैंकों के खाते से किये बिना प्राप्तियों को जमा करने पर पाया गया कि क्रम सं० 4 से खाता सं० 4688 में दिनांक 14-3-05 को प्राप्ति रु० 4,18,874/- जमा कराये गये दिखाये गये जबकि बैंक के खाता सं० 4688 में प्राप्ति रु० 4,17,874/- जमा दिखाये। इस प्रकार प्राप्ति रु० 1200/- का कम credit advice द्वारा कम किया जाना या किसी सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा बैंक में प्राप्ति रु० 1,200/- कम जमा करवाई गई प्रतीत होती है। अतः सचिव, ग्राम पंचायत इस मामले में पूरी छानबीन करके बैंक प्राप्ति रु० 1,200/- कम जमा करवाने का जो अन्तर आ रहा है उसका समाधान करें तथा की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जावे।

(2) विविध विवरण पत्रिका के क्रम सं० 6 तथा दिखाये गये अन्तर प्राप्ति रु० 1555-00 की वसूली सम्बन्धित दोषी से करके और बैंक में जमा करवायी जावे तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जावे।

[illegible] अंकेक्षण के परिशिष्ट 'अ'

4. ऋण देय :-

नगर पंचायत अर्की के दिनांक 31-3-05 तक निम्न ऋण देय थे।

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति निगम सोलन को दिनांक 31-3-05 तक राशि रु० 74,173/- ऋण के बकाया के रूप में वापिस करने शेष थे। जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'क' पर अंकित है।

उक्त ऋण के अतिरिक्त और कोई ऋण न०पं० द्वारा अवधि 1-4-97 से 31-3-05 तक लिया या बकाया ऋण शेष है, के बारे में कोई सूचना लेखा परीक्षा कार्य समाप्त होने तक लेखा परीक्षा को नहीं दी।

(5) निवेश :- नगर पंचायत अर्की ने अवधि 1-4-97 से 31-3-05 तक न०पं० निधि से सावधि योजना या अन्य योजना के अन्तर्गत किये निवेश से सम्बन्धित कोई भी सूचना लेखा-परीक्षा को लेखा-परीक्षा कार्य समाप्त होने तक प्रेषित नहीं की। इस सूचना को ले०प० अधियाचना सं० 3 दिनांक 6-7-05 द्वारा न०पं० अर्की को उपलब्ध करवाने के लिये निवेदन किया गया था।

(6) अंकेक्षण शुल्क :-

नगर पंचायत अर्की के अवधि 4/97 से 3/05 तक के लेखों का लेखा-परीक्षा शुल्क (Audit fee) मु० 47701/- रु० बनते हैं। जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ख' में दिखाया गया है। अतः, नगर पंचायत अर्की को

अनुभाग अधिकारी (लेखा) के अर्धशासकीय संख्या -4 दिनांक 21.7.05 द्वारा उपरोक्त राशि को सरकारी के मद "0070- अन्य प्रशासनिक सेवायें, 60- अन्य सेवायें, 110- सरकारी लेखा-परीक्षा के लिये शुल्क (के०ग्रा० सु० सम० क्षे०)" के अन्तर्गत जमा करवाने हेतु अनुरोध किया गया था। अतः इस राशि को उपरोक्त शीर्ष के अधीन सरकारी कोष में शीघ्र जमा करवाकर कुलसचिवालय को सत्यापन करने व तत्पश्चात् चालान लौटाये जाने हेतु शीघ्र अतः निदेशालय को भेजा जाये।

7 सरकारी अनुदान :-

अवधि 1-4-97 से 31-3-98 तक प्राप्त की गई सरकारी अनुदान राशियों का विवरण विवरण उपरोक्त प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ख' में 'ख-1' में दिया गया है। इन राशियों को सरकार के निर्देशानुसार खर्च किया जाये तथा जी.एफ.आर. 150 के अनुसार खर्च हुआ होने के उपरान्त खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार/ निदेशालय, खादी विभाग एवं अन्य संस्थानों को भेजे जायें जिनसे अनुदान राशियां प्राप्त हुई थीं।

परिशिष्ट ख-2 में वर्ष 2000-01 में MSB/ 2105 के अन्तर्गत प्राप्त राशि रु० 33,239/- को अभी तक खर्च नहीं किया गया है। अतः इस राशि को निदेशालय, खादी विभाग को वापिस लौटाया जावे अथवा अनुदान राशि को खर्च करने की स्वीकृति प्राप्त करके इसे उन योजना पर शीघ्र व्यय किया जाये जिसके

अनुदान राशि प्राप्त की गई है। व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय शहरी निकाय को शीघ्र भेजा जावें।

नगर पंचायत, बसेड़ी द्वारा विभिन्न अनुदान राशियों के विवरणों में अधिकतर अनुदान राशियों को व्यय किया जा चुका है तथा इनके उपयोगिता प्रमाण पत्र भी सम्बन्धित संस्थानों को भेजे जा चुके हैं, परन्तु परिशिष्ट घ-1 के क्रम सं० 1 से 5, 8, 9, घ-2 के क्रम सं० 1 से 5 व 9 से 23, घ-3 के क्रम सं० 1 से 12, घ-4 के क्रम सं० 14 से 17, 25 से 31 घ-5 के क्रम सं० 18 से 25, घ-6 के क्रम सं० 1 से 6 व घ-7 के क्रम सं० 1 से 5 तक के अनुदान राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा-परीक्षा को सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः समिति, नगर पंचायत उक्त में दिखाये क्रमांक के अनुदान राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी संपरीक्षण के दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

8 आय में अनियमितताएँ :-

अवधि 1-4-97 से 31-3-05 तक नगर पंचायत के G-8 रसीद बुकों से प्राप्त आय की जांच रोकड़-बही में करने पर पाया गया कि नगर पंचायत के सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा कुछ G-8 रसीदों के प्राप्त आय को रोकड़-बही में नहीं लिया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

(1) G-8 रसीद सं० 10/875 से 29/875 द्वारा प्राप्त आय राशि रु० 2560/- को रोकड़-बही में जमा न करने। न होने के फलस्वरूप उक्त राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना :-

G-8 रसीद सं० 10/875 से 29/875 के प्राप्त आय जिसका विवरण निम्न प्रकार से है, को रोकड़-बही में न लेने के फलस्वरूप सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उक्त राशि का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है।

G-8 रसीद सं०/बुक सं० एवं दिनांक	राशि
10/875 दि० 27-4-97	150-00
11/875 दि० —"—	150-00
12/875 दि० —"—	150-00
13/875 दि० —"—	150-00
14/875 दि० —"—	10-00

15/8/75	दि० - [illegible] -	200-00
17/8/75	दि० - [illegible] -	150-00
19/8/75	दि० - [illegible] -	150-00
20/8/75	दि० - [illegible] -	10-00
21/8/75	दि० - [illegible] -	150-00
22/8/75	दि० - [illegible] -	500-00
23/8/75	दि० - [illegible] -	100-00
24/8/75	दि० - [illegible]	150-00
25/8/75	दि० - [illegible] -	200-00
26/8/75	दि० - [illegible] -	10-00
28/8/75	दि० - [illegible] -	150-00
29/8/75	दि० - [illegible] -	150-00
	कुल योग :	2530-00

नगर पंचायत इस मामले में पूरी छानबीन करे तथा इस राशि रू० 2530-00 जो कि रोकड़ बही में नहीं चढ़ाये गये इस राशि की वसूली दोषी कर्मचारी / पदाधिकारी से करके ब्याज सहित नगर पंचायत निधि में जमा की जावे तथा नियमानुसार दोषी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे, की गई कार्यवाही से निदेशालय, स्थानीय निकाय को शीघ्र अवगत करवाया जावे। अन्यथा बैंक में जमा कराने का विवरण [illegible]

(२) G-8 रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़-बही में कम दिखाकर रुपये ८३५/- के दुर्विनियोजन की सम्भावना

उपर संलग्न के G-8 रसीद सं० ३६/९६०, ३८/९६० व ३९/९६० के द्वारा रुपये ८३५/- प्राप्त हुये जबकि रोकड़-बही में उक्त G-8 रसीदों को दर्शाकर रुपये १०/- जमा करते हुये दिखाये गये। इसलिए फलस्वरूप रुपये ८२५/- के दुर्विनियोजन किये जाने की सम्भावना है। जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

G-8 रसीद सं० तथा दिनांक	G-8 रसीद सं० द्वारा जितनी रकम प्राप्त की।	रोकड़ बही में जितनी राशि जमा की	कम जमा
३६/९६० दि० ९-६-०४	२००-००	१०-००	१९०-००
३८/९६० दि० ९-६-०४	१०-००	—	१०-००
३९/९६० दि० ९-६-०४	६२५-००	—	६२५-००
कुल योग	८३५-००	१०-००	८२५-००

कम जमा राशि रु० ८२५-००.

नगर पंचायत कस्बा [illegible]
से पुनः छानबीन करे और रोकड़ बही में कम जमा करवायी गई राशि रु० 325/- की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी से करके न० पंचायत कोष में जमा की जाये तथा उसके साथ-2 सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये। यदि यह कार्यवाही [illegible] निदेशालय, स्थानीय निकाय को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

(3) रोकड़बही में G-8 रसीद बुकों द्वारा प्राप्त वास्तविक राशियों से कम राशियों को दिखाकर राशि रु० 350/- के दुर्विनियोजन की सम्भावना :-

न०प० कार्यालय की विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय की जांच रोकड़-बही से करने पर पाया गया कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा G-8 रसीद से प्राप्त राशि से कम राशि को रोकड़-बही में दिखाकर राशियों का दुर्विनियोजन किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

G-8 रसीद बुक संख्या	दिनांक	G-8 रसीद से प्राप्त राशि	रोकड़ बही में दिखाई राशि	कम जमा
40/888	3-3-98	18,185-00	18,165-00	20-00
बुक 965 13/965	6-10-04 से 8-10-04	320-00	290-00	30-00

रसीद बुक सं० / कुल संख्या	दिनांक	रसीद बुक में कुल राशि	रोकड़ बही में	कम राशि दर्ज
1/467 से 14/467	4-11-2004	500-00	440-00	60-00
34/467 से 36/467	29-11-04	30-00	—	30-00
18/470	31-1-05	680-00	580-00	100-00
26/470 से 34/470	7-2-05	3525-00	3415-00	110-00
			कम दर्ज राशि:	350-00

नगर पंचायत, खर्चों इस आपत्ति को पूर्ण समायोजित करे तथा उक्त राशि रू० 350/- को रोकड़ बही में दर्ज जमा की गई है इसकी वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से ब्याज सहित करके न० पंचायत निधि में जमा की जावे तथा दोषी के विरुद्ध नियमा-नुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे और रसीद बुक, रोकड़ी रसीद बुक को शीघ्र प्रस्तुत करवाया जावें। अवशेष जमा करवाई गई राशि का विवरण आगामी अंकेक्षण के समय दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

As your
Panchayat at New Shimla s

९. G-8 स्टॉक बुकों को अन्य स्थानीय निकायों के लिये देना :-

G-8 स्टॉक बुकों के प्राप्त व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि सचिव, नगर पंचायत ठियोग ने G-8 स्टॉक बुक नं० ७४९ व ७५० सचिव नगर पंचायत कुसुम्पटी जिला शिमला को जारी दिखायी गई है। जबकि G-8 स्टॉक बुकें किसी सक्षम अधिकारी के आदेशों से जारी की गई, और लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। अतः इन से जारी G-8 स्टॉक बुकों का उपयोग नगर पंचायत कुसुम्पटी द्वारा किया है, और सचिव नगर पंचायत ठियोग सत्यापित करे तथा आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करें ताकि इन G-8 स्टॉक बुकों के दुरुपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके।

10.(i) जी-8 रसीदों की कार्बन प्रति (Duplicate receipt) को बिना कार्बन के उपयोग के स्थान पर पैन से पुनः लिख कर कटी राशि को म० पंचायत निधि में जमा करवाना।

वर्ष/1997 से/2005 के दौरान G-8 रसीदों की जांच रोकड़-बही से करते समय पाया गया कि G-8 रसीद सं० 23/891, 14/898, 2/904 व 9/906 की कार्बन प्रति (डुप्लीकेट रसीद) को पुनः पैन से लिख कर राशि क्रमशः रु० 10-00, रु० 1500-00, रु० 300-00 व 50/40/- दिखाकर म० पंचायत निधि में जमा करवाये गये हैं। G-8 रसीद की कार्बन प्रति (डुप्लीकेट रसीद) को मूल प्रति जैसी करके पुनः पैन से लिखना यह संदेह पैदा करता है कि G-8 रसीद की मूल प्रति में दिखायी राशि और डुप्लीकेट रसीद में दिखायी राशि में भिन्नता हो। अतः सचिव, ग्राम पंचायत इस मामले में पूर्ण छानबीन करे तथा यह सत्यापित करे कि G-8 रसीद की मूल प्रति तथा डुप्लीकेट रसीद में दिखायी राशि में भिन्नता है या नहीं। यदि इन G-8 रसीदों की मूल प्रति एवं डुप्लीकेट रसीद में दिखायी राशि में अन्तर है तो दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा G-8 रसीदों की मूल प्रति व डुप्लीकेट रसीद में आये अन्तर की वसूली भी तत्काल प्रभाव से की जाये और अनुपालना से निदेशालय, ग्रामीण विकास को अवगत करवाया जाये।

(क) जी-8 रसीदों के प्राप्त आय को कैश बुक में मिलान करते समय मूल रसीद के साथ डुप्लीकेट रसीदें न होने के कारण प्राप्त राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना :-

नगर पंचायत [illegible] के जनवरी 4/07 से 31-3-05 तक का अंकेक्षण करते समय पाया गया कि जी-8 पुस्तिका (बुक संख्या 875, रसीद संख्या 18 व 27 की दोनों प्रतियाँ (मूल व डुप्लीकेट) पुस्तिका से फाड़/नष्ट कर दी गई थी, जिसके अतिरिक्त पुस्तिका में ब्लेड द्वारा काटे गये निशान के चिन्ह मौजूद थे। अतः इन रसीदों द्वारा प्राप्त राशि का दुर्विनियोजन किया जाना प्रतीत होता है। जिसकी पूर्ण जाँच की जावे तथा वास्तविक स्थिति से निदेशालय को तुरन्त अवगत कराया जावे। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला जो कि उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। भविष्य में जी-8 को प्रयोग में लाने से पहले पृष्ठ सत्यापित प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अनुलिपि में अंकित किया जावे इसके उपरान्त ही जी-8 का प्रयोग किया जावे।

(ख) जी-8 रसीद संख्या 38/462 में दर्शाई राशि को पूर्ण रूप से नगर पंचायत निधि में जमा न करने बाबत:-

जी-8 पुस्तिका संख्या 462 रसीद संख्या 38, दि. 11-8-04 द्वारा प्राप्त राशि को कैश बुक में दर्ज करते समय पाया गया कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत बोर्ड [illegible] को उनसे प्राप्त चैक संख्या 209364, दिनांक 10-8-2004, राशि 9432 रुपये के अतिरिक्त उक्त रसीद की कार्बन प्रति में क्रमशः राशि कुलिया (800+50+870+20) 1740 के आंकड़े भी अंकित किए गए हैं जो उक्त रसीद में दर्ज नहीं थे। यह आंकड़े जिनको [illegible] उक्त रसीद में दर्ज नहीं किए गए थे क्योंकि रोकड़ बही में केवल 9432 रुपये ही दर्ज किए गए थे जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त रसीद में अंकित आंकड़े कुल 1740 रुपये का कहीं दुर्विनियोजन तो नहीं किया गया। अतः इसके बारे में अधिशासी, नगर पंचायत [illegible] अपने स्तर पर इसकी जाँच गम्भीरता से करके वस्तुस्थिति से निदेशालय को तुरन्त अवगत करायें।

लगातार पृ० 33

(ग) **जी-8 रसीदों को रद्द किया जाना व सम्बद्ध अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित न करवाना:-** अवधि 1.4.97 से 31.3.05 तक का अंकेक्षण करते समय पाया गया कि विभिन्न जी-8 रसीदों को लेखापाल द्वारा काटने के पश्चात् रद्द किया गया तथा कुछ रसीदें मूल रूप से दूसरी कापी तैन से लिखकर अभिलेख में मौजूद थी जबकि रसीद की दूसरी प्रति कार्बन कापी के रूप में होनी चाहिए ताकि वास्तव में प्राप्त राशि पर सन्देह उत्पन्न न हो, किन्तु मूल पैन से लिखकर दूसरी प्रति में लिखा जाना अतः वास्तविक प्राप्त राशि पर सन्देह उत्पन्न होता है। दूसरी ओर रसीद काटने के उपरान्त उसे सचिव से प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर रद्द किया जाना चाहिए था किन्तु लेखापाल द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। अतः उक्त दोनों प्रकरणों में सचिव नगर पंचायत अपने स्तर पर गहनता से जांच करके तदनुसार निदेशक, शहरी विकास को सूचित करें व भविष्य में इसे रोकथाम करें व इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएँ ताकि G-8 रसीदों से प्राप्त होने वाली आय के दुरुपयोग से बचा जा सके। रद्द की गई G-8 रसीदों का विवरण निम्न है, जिन्हें सचिव से प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए:-

जी-8 पुस्तिका क्रमांक व रसीद सं०		दिनांक	राशि	संक्षिप्त विवरण
(1) 968/42	—	14-1-05 =	13,161 रु०	मूल रसीद संलग्न नहीं थी।
(2) 968/44	—	14-1-05 =	6316 रु०	—"—
(3) 875/16	—	शून्य —	1,100 रु०	प्रतिहस्ताक्षरित नहीं थी।
(4) 875/20 से 50 तक	—	17-11-2000 —	— —	इन सभी रसीदों को रद्द करने का कारण स्पष्ट किया जाये

— " —

11(ii) **दुकानों व स्टालों के किराये की वसूली :-** नगर पंचायत अर्की के अवधि 4/97 से 3/05 तक किराये से सम्बन्धित कितना किराया बकाया है, कितने किराये की मांग सृजित की, कितनी वसूली व कितना अन्तिम शेष के रूप में बकाया रहे, अधिभार था, की सूचना लेखा परीक्षा में आज तक प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1, दिनांक 25-5-2005 के पैरा 2 द्वारा मांगी गई थी।

अवधि 1-4-97 से 31-3-05 तक के किराये की वसूली से सम्बन्धित अभिलेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत अर्की की विभिन्न दुकानों व स्टालों, जो कि विभिन्न व्यवसायियों को समय-समय पर किराये के रूप में दिए गए थे, से दिनांक 31-3-2005 को रु० 2,03,873 रुपये बाबत किराये की वसूली करनी शेष थी। जिसका विवरण अगले पृष्ठों में दर्शाया गया है। वर्ष 2004-05 के मांग व प्राप्ति के मिलान करने पर कुल वार्षिक मांग 3,77,360 रु० व वसूली केवल रु० 1,73,487 रुपये व अन्तिम शेष (31-3-05) रु० 2,03,873 रु० बकाया है। जिसका वसूली विवरण अगले पृष्ठों में दर्शाया गया है।

नगर पंचायत अर्की अवश्य इतनी बड़ी राशि की वसूली हेतु विशेष पग उठाये ताकि दुकानदारों से किराये की वसूली की जा सके। वसूली हेतु The Rules for Leasing out of stalls constructed by municipalities in H.P. के अन्तर्गत ठोस कार्यवाही अमल में लाने की शीघ्र करें तथा की गई कार्यवाही से समय-समय पर निदेशक, शहरी विकास विभाग, हि०प्र० शिमला-2 को सूचित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

(क) नगर पंचायत द्वारा किराये की कम मांग करने के फलस्वरूप रुपये 71,209=00 का वित्तीय नुकसान

नगर पंचायत की दुकानों एवं स्थलों के किराये अवधि 4/97 से 3/05 तक के किराये की जांच किरायादार मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर से करने से पाया गया कि नगर पंचायत के सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा दुकानों के किराये के मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर का रखरखाव सही ढंग से न करने पर तथा दुकानदारों से प्राप्त किराये की वसूली को सम्बन्धित व्यक्ति/G-8 रसीदों को सम्बन्धित दुकानदारों के खाते में सही न दिखाने के फलस्वरूप नगर पंचायत को अवधि 4/97 से 3/05 तक किराये की मांग को कम दिखाकर रुपये 65,109/- का वित्तीय नुकसान होता गया प्रतीत होता है। जिसका विस्तृत विवरण इसी रिपोर्ट के संलग्न है। इसी प्रकार इस संकेतक प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/97 के पैरा-8 में क्रम-2 दुकानदारों की किराये की कम मांग, मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में दिखायी गयी जिसका विवरण संलग्न है, जो भी अभी तक मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में सम्बन्धित दुकानदारों के खातों में नहीं जोड़ा गया। जिसके फलस्वरूप न. पंचायत को किराये की कम मांग दिखाने के कारण रुपये 7,209/- का वित्तीय नुकसान हुआ। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

अवधि 4/94 से 3/97 के किराये की कम मांग रुपये 6,100/00
अवधि 4/97 से 3/05 के किराये की कम मांग रुपये 65,109/00
कुल नुकसान 71,209/-

जारी/

अतः, स०लेखाकार ने ब्यौरे की यह मांग [illegible] रु० 71,209/- की शीघ्र इन दुकानदारों [illegible] से दिलाकर इसकी वसूली शीघ्र की जावे अन्यथा इसकी वसूली इन दोषी अधिकारी/कर्मचारी से की जावे जो इसके लिये स्वयं जिम्मेदार हैं व नियमानुसार कार्यवाही भी प्रारम्भ की जावे। की गई कार्यवाही से निरीक्षणदल, आडिट विभाग को शीघ्र अवगत कराया जावे।

वर्ष 1997-98 के आवंटित [illegible] की भिन्नता।

किरायेदार का नाम व मकान संख्या		[illegible] द्वारा [illegible] अंकित [illegible]	[illegible] के अनुसार अंकित [illegible]	भिन्नता
[illegible]	1	150 रु०	1700 रु०	1550 रुपये
[illegible]	3	540 रु०	960 रु०	420
[illegible]	5	800	950	150
[illegible]	6	1350	2180	830
[illegible] सिंह	10	1040	1170	130
[illegible] कुमार	13	2160	2380	220
[illegible]	14	40	200	160
[illegible]	15	280	420	140
[illegible] Shop-22	5	750	1750	1000
[illegible] Shop-25	8	750	1,000	250
Smt. [illegible] Shop-29	12	1250	1500	250
[illegible] देवी Shop-30	13	1750	2000	250
श्री [illegible] Shop-31	14	1500	1750	250
[illegible] Shop-32	15	750	1000	250
[illegible] Shop-34	22	750	1000	250
			योग	6400 रुपये

अतः [illegible] दुकानदारों से [illegible] रु० 71,209/- की [illegible] वर्ष 2005-06 की [illegible]
[illegible]
[illegible] की जावें :-
[illegible]

(ख) एक ही जी-8 रसीद संख्या व तारीख को एक से अधिक स्टालों या अन्य किरायेदार के स्टाल में दर्शाकर किरायेदारों को अनियमित लाभ पहुँचाने के फलस्वरूप नगर पंचायत को क्षति रु० 9045 रु० का वित्तीय नुकसान।

नगर पंचायत कार्यालय के अवधि 1-4-97 से 31-3-2005 तक के किराये से सम्बन्धित मांग एवं प्राप्ति रजिस्टरों के G-8 रसीदों से प्राप्त किराये की राशियों की जाँच करने पर पाया गया कि सम्बन्धित लेखापाल (वरिष्ठ लिपिक) ने एक G-8 रसीद से प्राप्त किराये एवं अन्य स्टालों की रकम को एक से अधिक किरायेदारों के स्टालों में प्रविष्ट करके किरायेदारों को अनुचित लाभ पहुँचाकर नगर पंचायत को वित्तीय क्षति पहुँचाई है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

(1) वर्ष 1997-98 में श्री राजेश कुमार द्वारा G-8 संख्या 32/884 से जमा करवाये गये। किन्तु इनके द्वारा रु० 140 रुपये किराये के रूप में जमा करवाये गये। प्राप्ति की प्रविष्टि श्री राजेश कुमार के नाम व इसके अलावा श्री दीना नाथ के नाम इसी G-8 क्रमांक 32/884 द्वारा प्राप्ति दर्शाकर की गई थी। जिसके राजेश कुमार आवंटित स्टाल का किराया व लेखापाल द्वारा दर्शाने पर भी उन्हें उसका लाभ नहीं मिला व लेखापाल द्वारा श्री दीना नाथ को रु० 140 रुपये का अनावश्यक जमा दर्शाकर अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

(2) जी-8 रसीद संख्या 9/886 द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार ने रु० 225 रुपये जमा करवाये किन्तु इसी रसीद क्रमांक 9/886 दिनांक 2-9-1997 को जमा करवाये किन्तु इसी रसीद से प्राप्त किए दर्शाये गये। द्वारा श्री नरेश कुमार के स्टाल में रु० 260 रुपये प्राप्त किए दर्शाये गये। जबकि उनके (श्री नरेश कुमार) रु० 260 रुपये आवंटन से प्राप्त ही नहीं किए गये थे। अतः लेखापाल द्वारा श्री नरेश कुमार को रु० 260 रु० का अनुचित लाभ व नगर पंचायत को इतनी ही राशि की क्षति पहुँचाई गई। जिसके लिए नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाये।

ह०/-

(40)

(3) जी-8 संख्या 31/887, राशि रु० 100 रुपये:- श्री भूपेन्द्र सिंह तोमर से G-8 संख्या 31/887 द्वारा दिनांक 9-12-1997 को रु० 100 रु० प्राप्त किए गए। श्री तोमर के पास नगर पंचायत के 2 स्थान संख्या 7 व 44 ठेका व प्रातिक पंजिकानुसार किराए पर थे। लेखापाल द्वारा श्री तोमर से उक्त G-8 सं० 31/887 द्वारा प्राप्त राशि रु० 100 रुपये की प्रविष्टियाँ वर्ष 1997-98 में दोनों स्थानों में क्रमशः 100-100 रुपये की कर दी गई थी, जिससे नगर पंचायत को रु० 100 रु० का नुकसान पहुँचाया गया व श्री भूपेन्द्र तोमर को अनुचित लाभ दिया। जिसके लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके राशि वसूल की जावे।

(4) श्री राजेश तोमर के स्थान संख्या I का वर्ष 1997-98 के किराए के बदले G-8 रसीद संख्या 32/884 द्वारा रु० 150 रुपये प्राप्त किए गये थे। जिसका इन्द्राज ठेका व प्रातिक पंजिका में उनके खाते में किया गया था। परन्तु इसी G-8 द्वारा रु० 300 रु० का इन्द्राज पुनः (उक्त दैनि. I के अतिरिक्त) श्री हीरा लाल के किराए के खाते में कर दिया गया था। अतः इस प्रकार सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा श्री हीरा लाल को कुल रु० 300 रु० का अनुचित लाभ पहुँचाने व नगर पंचायत निधि को अनुचित हानि पहुँचाई गई, जिसकी वसूली दोषी कर्मचारी से करके निधि में जमा करवाई जावे।

(5) वर्ष 2004-05 में दुकानों व स्थानों की ठेका व प्रातिक पंजिका का निरीक्षण करने पर पाया गया कि G-8 पुस्तिका सं० 22/969 स्थान न० 3 श्री [illegible] के खाते में दिनांक 11/04 को रु० 160 रुपये की राशि दर्ज की गई जबकि वास्तव में उक्त G-8 द्वारा श्री परमा राम से रु० 1932 रुपये Duty on transfer of Land के रूप 2% की दर से शुल्क जमा करवाया गया था। इस प्रकार श्री [illegible] को रु० 160 रुपये का लेखापाल द्वारा अनुचित लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया, जिसकी वसूली दोषी कर्मचारी से करके निधि में जमा की जावे व अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षा के हवाले की जावे।

(6) जी-8 संख्या 39/963 श्री विनोद राम के ठेकेदारी के रूप में रु० 10 रुपये प्राप्त किए गए थे, जबकि इसी जी-8 क्रमांक की प्रविष्टि को कार्यालय प्रति के स्थान में जनवरी, 2005 के किराये की प्राप्ति के रूप में रु० 320 रुपये की दर्शाई गई थी। अतः इस प्रकार लेखापाल द्वारा श्री राम लाल को रु० 320 रु० का अनुचित लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया जिसकी वसूली दोषी अधिकारी से करके निधि में जमा करवाई जाए।

(7) जी-8 संख्या 30/960 रु० 60 रुपये श्री टेक चन्द से माह अप्रैल व मई 2006 के किराये के रूप में प्राप्त किए गए, दर्शाए गए थे जबकि [illegible] रहीम की जगह दूसरी प्रविष्टि श्री मेकराम स्टाल नं 5 के स्थान में रु० 735 रुपये की गई, दर्शाई गई थी। जिससे श्री मेकराम को अनावश्यक रूप से रु० 735 रुपये का लाभ सम्बन्धित अधिकारी द्वारा पहुँचाया गया व पालिका निधि को [illegible] हानि निर्धारित करके दोषी अधिकारी से वसूली करके निधि में जमा करवाई जाए।

(8) जी-8 संख्या 48/970 रु० 275 रुपये श्री सुरेन्द्र कुमार से स्टाल नं० 9 का माह मार्च, 2005 का किराया प्राप्त किया दर्शाया गया था जबकि इसकी दूसरी प्रविष्टि श्री ओमप्रकाश के स्थान में भी की गई थी जो कि माह जनवरी, 2005 के किराये के रूप में स्टाल नं० 6 रु० 375 रु० की गई थी अतः सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा श्री ओमप्रकाश को अनावश्यक रूप से रु० 375 रुपये का अनुचित लाभ व पालिका निधि को हानि पहुँचाई गई। जिसकी वसूली दोषी कर्मचारी से करके पालिका निधि में जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(९) जी-४ रजिस्टर सं० ५५/९६२ की पैतराम से स्टाल नं० ५१ का किराया रु० ५५० रुपये प्राप्त किया गया था जबकि लेखाकार द्वारा अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए उसकी गलत दूसरी प्रविष्टि श्री भूपेन्द्र ठाकुर के स्टाल में मास ४/०५ के किराए की प्राप्ति के रूप में की गई थी। अतः रु० ५५० रुपये की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से कोष निधि में जमा करवाई जाये व दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए। इसकी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(१०) G-8 संख्या १४/९६६ दिनांक रु० १००० रुपये अधिकृत सन्तोष भाटिया से स्टाल नं० २९/१२ का मास ११/०४ का किराया प्राप्त किया गया दर्शाया गया था। परन्तु इसी जी-४ रजिस्टर की दूसरी प्रविष्टि श्री सुरेन्द्र सिंह स्टाल नं० २४/११ के स्टाल में मास ११/०४ में भी दर्शाई गई थी। जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह किरायेदार को अनुचित लाभ व पालिका निधि को हानि पहुँचाई गई। जिसकी वसूली दोषी कर्मचारी से कोष निधि में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाई जाये।

(११) जी-४ सं० २४/९६० द्वारा श्री कालू राम से लाइसेंस शुल्क के रूप में रु० १०० रुपये प्राप्त किये गये थे। इसी G-8 रजिस्टर की दूसरी प्रविष्टि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा श्री प्रेम राज स्टाल नं० ३१/१४ मास ५/०५ में रु० २७५ रुपये की इनसे वसूले हैं की गई थी जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा पालिका निधि को रु० २७५ रुपये की हानि व व्यक्ति विशेष को नाजायज लाभ पहुँचाया गया जिसके लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आपके स्तर से नियमानुसार के लिए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये व तदनुसार अंकेक्षण को सूचित किया जाये।

(12) जी-8 क्रमांक 9/963 द्वारा श्री मोहन राम के स्टाल नम्बर 39/22 का माह जून 9/04 का किराया रु० 1000 रुपये प्राप्त किया गया दर्शाया था। सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा इसी G-8 क्रमांक में रु० 500 रुपये की दूसरी प्रविष्टि भी उन्हीं के स्टाल के पुनः से कर दी गई। जिससे उन्हें रु० 500 रु० का अनुचित लाभ व पालिका निधि को हानि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा पहुंचाई गई। जिसका दायित्व निर्धारित करके दोषी से वसूली करके निधि में जमा करवाई जाये।

(13) श्रीमति आशू देवी स्टाल नं० 38/21 के स्टाल के G-8 नं० 14/968 व 13/9602 (क्रमांक पूरा पठनीय नहीं) द्वारा क्रमशः रु० 275 रु० 275 रुपये की प्रविष्टियाँ माह 2/05 में की गई थी [illegible] G-8 क्रमांक 14/968 द्वारा रु० 100 रुपये दुरमाह के अधिक [illegible] की वसूली के रूप में [illegible] से प्राप्त किए गये थे। व G-8-13/96-2 स्पष्टतः [illegible] किया गया है। अतः इस प्रकार स्पष्ट नहीं हो रहा कि स्टाल के किराये सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा श्रीमति आशू देवी की गलत प्रविष्टियों की वसूली के रूप में 275+275 रुपये की गलत अनुचित लाभ करके पालिका निधि को हानि व उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया जिसका दायित्व निर्धारित करके दोषी कर्मचारी से वसूली की जाये व आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये।

(14) श्री चेतराम स्टाल नं० 41/24 के स्टाल के 11/04 में G-8 क्रमांक 13/964 राशि 550 रुपये की गलत प्रविष्टि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा की गई थी, जबकि वास्तव में उक्त G-8 क्रमांक 13/964 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार ने स्टाल नं० 52 का किराया रु० 315 रुपये जमा करवाया था। इस प्रकार लेखापाल द्वारा श्री चेतराम को रु० 550 रु० का अनुचित लाभ पहुंचाया गया व पालिका निधि को हानि जिसकी वसूली दोषी कर्मचारी से करके पालिका निधि में जमा करवाई जाये व लापरवाही बरतने के लिए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये।

(44)

(15) G-8 स्कीम सं० 18/970 के राशि रु० 680/- की प्रवीण कुमार के किराये के खाते में माह 2/04 के किराये की वसूली के दिखाये जबकि वास्तव में उक्त स्कीम द्वारा किराया श्री राजेन्द्र वर्मा से माह 10/2004 में प्राप्त किया गया था जिसकी प्रविष्टि भी सम्बन्धित रजिस्टर में की गई है। अतः इस प्रकार श्री प्रवीण कुमार के खाते में G-8 स्कीम सं० 18/970 द्वारा प्राप्त किराये की राशि रु० 680/- की गलत प्रविष्टि करके उक्त दुकानदार को अनुचित लाभ व न०प० को वित्तीय नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वसूली दोषी से करके आगामी अंकेक्षण के अवलोकन हेतु प्रस्तुत करें।

(16) G-8 स्कीम सं० 26/969 के द्वारा प्राप्त राशि रु० 275/- श्री केवल राम, दुकान सं० 41/24 के माह 1/05 के किराये के रूप में प्राप्त की तथा जिसकी प्रविष्टि भी सम्बन्धित किरायेदार के खाते में की गई परन्तु उक्त स्कीम सं० की दूसरी प्रविष्टि श्री केवल राम, दुकान सं० 20/3 के खाते में की गई। अतः इस प्रकार सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा श्री केवल राम किरायेदार को राशि रु० 275/- का अनुचित लाभ पहुंचाकर न०प० को वित्तीय नुकसान पहुंचाया, जिसकी भरपाई सम्बन्धित कर्मचारी से करके न०प० निधि में जमा की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(17) ए-8 रसीद सं० 32/070 से राशि रु० 2,000/- श्री पवन राम से स्टाल सं० 1 के किराये के रूप में प्राप्त किये गये। जिसकी प्रविष्टि सम्बन्धित किरायेदार के खाते में कर दी। जबकि इसी ए-8 रसीद संख्या की दूसरी प्रविष्टि श्री नैनराम, स्टाल सं० 26/ए के खाते में माह 3/05 में राशि रु० 275/- की गई दिखाई है। अत: इस प्रकार सम्बन्धित कर्मचारी श्री नैनराम किरायेदार को अनुचित लाभ दिया गया प्रतीत होता है। जिसकी वसूली सम्बन्धित से करके न० निगम [illegible] में जमा की जावे व अनुशासनात्मक कार्यवाही [illegible] को अवगत करवाया जावे।

(18) श्री इन्द्र सिंह स्टाल नं० 57 के खाते में ए-8 क्रमांक सं० 38/060 राशि रु० 800/- की प्रविष्टि सम्बन्धित रजिस्टर में की गई दिखाई है जबकि रसीद सं० 38/060 के द्वारा श्री राम बहादुर से तहबाजारी के रूप में 200/- प्राप्त किये गये हैं। अत: सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा श्री इन्द्र सिंह किरायेदार के खाते में ए-8 रसीद सं० 38/060 राशि रु० 800/- की गलत प्रविष्टि दिखाकर अनुचित लाभ दिया गया प्रतीत होता है। जिसकी वसूली सम्बन्धित दोषी से करके आगामी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत करें।

(19) ए-8 रसीद सं० 1/006 द्वारा श्री [illegible] से स्टाल नं० [illegible] का किराया रु० 400/- राशि दि० 1-8-04 को प्राप्त किया गया जबकि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा इस

किराये की वसूली से सम्बन्धित G-8 रसीद सं० 1/46 की प्रविष्टी अर्थात 1998-99 के किराये मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में भी की गई थी। जोकि अनुचित प्रतीत होती है। अतः रसीद पर अंकित रु० 4,001/- की वसूली [illegible] करके [illegible] में जमा की जाये व अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

(ज) <u>किराये की मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में G-8 रसीदों का पूर्ण विवरण न देना:-</u>

वर्ष 1997-98 से वर्ष 2004-05 तक के किराये के मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा किरायेदारों को जारी G-8 रसीदों का पूर्ण विवरण मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में न करने के फलस्वरूप किराये की आय का सत्यापन नहीं किया जा सका। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

(1) श्री मदन लाल किरायेदार के खाते में माह 8/04 को रसीद सं० 17 से रु० 1300/- रुपये G-8 रसीद बुक 34 पुस्तिका सं० अंकित नहीं की है की प्रविष्टी दिखाई है। G-8 रसीद पुस्तिका सं० न दिखाने के कारण उक्त आय की जांच नहीं की जा सकी। अतः G-8 रसीद बुक सं० के पुस्तिका सं० दिखाकर उक्त वसूल किये गये किराये की जांच आगामी लेखा परीक्षा में करवाई जाये।

(2) श्री हनुमान किरायेदार, मकान नं० -21/4 के

मकान नं० 21/04 को G-8 प्लॉट नं० 21/691 जनकपुरी (खरीदा)।

की फुरविटी की गई दिखाई है। जबकि G-8 प्लॉट नं०

नहीं अंकित न होने के कारण उक्त किराये की वसूली

की जा सकती। इसको ठीक करके आगामी अवलोकन में

कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाये।

श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा किरायानामा इकरारनामा दिनांक 21-10-2003 को बनवाया गया जिसे कार्यालय में जमा किया उसके कुछ भी ज्ञात नहीं होता था क्योंकि उसे लेखाकार द्वारा कार्यालय के डायरी में नहीं चढ़वाया गया। श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा प्रतिभूति राशि रु० 9000 रुपये दिनांक 3-11-03 को G-8 क्रमांक 21/452 द्वारा जमा करवाये गये। इकरारनामे की शर्त संख्या I में श्री राजेन्द्र कुमार ने उपरोक्त सभी शर्तों के अनुसार ऐक्ट 1973 के किराया से सम्बन्धित सभी नियमों पर पाबन्द रहने का वचन दिया था।

इकरारनामा की शर्त संख्या 2 में वचन दिया गया था कि किराया प्रति माह की 10 तारीख को पेशगी के रूप में जमा करवाया जायेगा अन्यथा चार माह का दोगुना किराया दूंगा। कोई ...कार्यवाही ... की कोटी इसके पश्चात कालिका को

(4) मकान नं० 52 को दिनांक 14-10-2003 को हनुमान कोठी द्वारा किराये पर देने के फलस्वरूप नियमानुसार कार्यवाही न करने से अनियमितता।

कार्य प्रणाली :- मकान नं 52 श्री राजेन्द्र कुमार S/o श्री गोवर्धन दास, ग्राम व डाकखाना कुम्हिहार, जिला सोनभद्र (मिर्जापुर) को हनुमान-कोठी के माध्यम से दिनांक 14-10-2003 को मासिक किराया रु० 1575 रु० की दर से किराये पर दिया गया जो कि उपरोक्त कोठी / मिल्कियत थी। किरायेदारी की शर्तें रखी गई थी कि उपरोक्त कोठी खाता द्वारा एक सप्ताह के भीतर प्रतिभूति के रूप में रु० 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) जमा कराने होंगे तथा मकान के लिए इकरारनामा जमा कराना होगा।

उपरोक्त कोठी खाता श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा रु० 10,000 रु० का इकरारनामा दिनांक 21-10-03। [illegible] जमा न करने पर कोठी के नाम जमा राशि रु० 10,000 रुपये जमा करनी थी और 21-10-03 से पूर्व इकरारनामा व प्रतिभूति राशि जमा कराने पर कोठी के नाम जमा राशि रु० 10,000/- रुपये समायोजित की जानी थी।

श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा किराया इकरारनामा दिनांक 21-10-2003 को बनवाया गया जिसे कार्यालय के समक्ष दिया उसके कुछ भी ज्ञात नहीं होता था क्योंकि उसे लेखापाल द्वारा कार्यालय के हाजरी में नहीं बनवाया गया। श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा प्रतिभूति राशि रु० 9000 रुपये दिनांक 3-11-03 को G-8 क्रमांक 21/952 द्वारा जमा करवाये गये। इकरारनामे की शर्त संख्या 1 में श्री राजेन्द्र कुमार ने उपरोक्त सभी शर्तों व नगर पंचायत अधिनियम 1973 के किराया से सम्बन्धित सभी नियमों पर पाबन्द रहने का वचन दिया था।

इकरारनामा की शर्त संख्या 2 में वचन दिया गया था कि किराया प्रति माह की 10 तारीख को पेशगी के रूप में जमा करूँगा। [illegible] अन्यथा [illegible] दोगुना किराया दूंगा। [illegible] इसके पश्चात् [illegible] बेदखली करने का हक रखती है, कर सकेगी।

उक्त प्रकरण में अभिलेखों के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत ... के लेखापाल द्वारा 21-10-2003 के बाद इकरारनामा व बोली की शर्तों के अनुसार कोई कार्यवाही न करके दिनांक 3-11-03 को रु० 9000 रु० प्राप्त करके नगर पंचायत ... को रु० 1000 रु० जो कि बोली के समय धरोहर राशि के रूप में प्राप्त किए गए थे, जमा न करके निधि को नुकसान पहुंचाया, इसके इकरारनामे की शर्त संख्या 2 के अनुसार सम्बन्धित मास एक के किराया देना तय किया गया उस मास का 1575 रुपये के स्थान पर दोगुना जमा न कराने के कारण रु० 1575 रुपये का अतिरिक्त नुकसान पालिका निधि को पहुंचाया गया इसके अतिरिक्त ब्याज वसूली भी नहीं करवाया गया। दिनांक 31-3-05 तक किराये की शेष राशि रु० 17,325 की राशि किराये के रूप में व 1575 रुपये इकरार नामा की शर्त के अनुसार दण्ड स्वरूप कुल रु० 18,900/- को ठेकेदार से वसूल करने योग्य है। जिसका ... सम्बन्धित दोषी कर्मचारी का निर्धारित करके नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जावे व तदानुसार निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग को सूचित किया जावे।

(३०) गत अंकेक्षण द्वारा सत्यापित अन्तिम शेषों को आगामी वर्ष में गलत उठाना / दर्शाना:-

वर्ष 1996-97 के अन्तिम शेष को कि लेखापाल द्वारा वर्ष 1997-98 की विभिन्न रोकड़ व प्रारम्भिक पंजिका में आरम्भिक शेष के रूप में उठाये गये गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाये विवरण की असमान राशि — से कम दर्शाकर रु० 700 रुपये की राशि का वित्तीय नुकसान नगर पंचायत को पहुंचाया गया जिसका विवरण निम्न है:-

क्रमांक	विवरण का नाम	वर्ष 1996-97 का वास्तविक अन्तिम शेष	वर्ष 1997-98 में दर्शाया गया आरम्भिक शेष	कम दर्शाया गया आरम्भिक शेष।
1	श्री [illegible] कुमार Sr No. 4.	800	600	200.
2	श्री [illegible]राम Sr No. 5	800	600	200.
3	श्री [illegible]राम Sr No. 12	1800	1500	300.

योग: 700 रुपये

अत: उक्त प्रकरण में सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नगर पंचायत कोष को रु० 700 रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है जिसकी वसूली दोषी से [illegible] निर्देश से [illegible] कार्यवाही की जाये व लापरवाही बरतने के लिए नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाये व तदनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग को सूचित किया जाये।

उक्त वैकल्पिक रोकड़ व प्रारम्भिक पंजिका आदि भी इसलिए [illegible] सत्यापित नहीं करवाई गई। वास्तविक रोकड़, प्रारम्भिक व अन्तिम शेषों के रोकड़ लेखापाल द्वारा लिखे ही नहीं गये थे अथवा [illegible] पंजिका में वर्ष 2004-05 के लिए गये थे जो कि बिलकुल ही गलत थे। जिन्हें ठीक किया जाये व सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

(ग) दुकानों व स्टालों के किराये के मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर का सही ढंग से रख-रखाव न करना:-

उक्त संस्थान [illegible] के दुकानों व स्टालों के किराये की मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर का रख-रखाव [illegible] लिपिक द्वारा उसमें इन्द्राज किया जा रहा था। जिसमें आरम्भिक शेष व वार्षिक मांग एक ही कालम में दिखाये गये थे, जबकि रजिस्टर में आरम्भिक शेष तथा वर्तमान मांग को अलग-2 दर्शाकर उसके पश्चात् उनका योग करके कुल वाले कालम में दिखाया जाना अपेक्षित था। अवधि 4/07 से 3/05 तक बताये गये। किराये के मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर से यह पता नहीं चल सकता था कि किराये का पिछला बकाया, वर्तमान मांग, प्राप्ति एवं वसूल योग्य कितनी राशि बकाया है। अतः अवधि 3/05 को दिखाये किराये की बकाया राशि व वर्तमान मांग को वर्ष 2005-06 के मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में अलग-2 दिखाकर उनका योग किया जावे तथा वर्ष 2005-06 के प्राप्त किरायेदारों की राशि को उनके ठीक खातों में दिखाकर सही वसूल योग्य किराये की राशि [illegible] निकाली जावे व स्वीकृति क्र0-[illegible] उक्त [illegible] को, ताकि भविष्य में लेखों का रख-रखाव ठीक से रखें। व अनुपालना [illegible] अंकेक्षण [illegible] में [illegible] करवाई जावे।

(ङ) प्रतिभूति राशि रु० 660 रुपए की वसूली न करना:- (52)

(1) दुकानों व स्टालों के किराये के वर्ष 1999-2000 के मांग व प्राप्ति पंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि स्टाल नं० 13 दिनांक 1-8-1999 को श्री भूपेन्द्र गुप्ता को रु०330रु० मासिक किराये पर नगर पंचायत अधि० द्वारा गठित कमेटी ने आवंटित किया। 2 मास का किराया/ रु०660 अर्थात बतौर धरोहर राशि/ प्रतिभूति के रूप में नगर पंचायत के पास जमा करवाना अनिवार्य था परन्तु उक्त किरायेदार द्वारा रु० 660 रुपये की राशि जमा नहीं करवाई गई न ही इसे वसूलने अथवा स्टाल को खाली करवाने हेतु कोई प्रयास सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे पालिका निधि को रु०660रु० का नुकसान व सम्बन्धित किरायेदार को लाभ पहुँचाया गया। अत: प्रतिभूति/धरोहर राशि प्राप्त न करने का ठोस कारण अंकेक्षण को बताया जाये अन्यथा होने से वसूली करके निधि में जमा करवाई जाये।

[illegible] कार्यवाही जानी अपेक्षित की जाए।

(2) प्रतिभूति पंजिका के रख-रखाव बाबत:- नगर

पंचायत अधि० द्वारा दुकानों /स्टालों को किराये पर देते समय 2 मास का किराया जो कि नियमानुसार अग्रिम राशि/ बतौर प्रतिभूति राशि के रूप में किरायेदार द्वारा जमा करवाने को आवश्यक नहीं बनाया गया था जबकि नियम-नुसार यह आवश्यक था दूसरी ओर यदि कोई किरायेदार इसे जमा करवाता भी था तो इसे मांग व प्राप्ति पंजिका में ही इसी मास में दर्ज किया जाता था जबकि इसके लिए पृथक से प्रतिभूति पंजिका का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित था व प्रतिभूति जब्त होने की स्थिति में इसकी प्रविष्टि मांग व प्राप्ति पंजिका में सम्बन्धित मासों के किराये के समायोजन हेतु की जानी थी तथा वापिस करते समय इसी प्रतिभूति पंजिका में करके प्रतिभूति वापिस की जानी थी।

अत: भविष्य 1-4-97 से प्रतिभूति पंजिका तैयार करके समस्त प्रविष्टियाँ आगामी अंकेक्षण से समय सत्यापित करवाई जानी सुनिश्चित की जावे।

B. गृहकर की आय में अनियमितताएं :-

(1) नगर पंचायत अर्की के लेखा-परीक्षा को कोई भी ऐसी सूचना प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह पता चल सके कि अवधि 1-4-2003 से 31-3-05 तक वर्षवार कितनी गृह कर की मांग, मांग के प्रति वसूलियां हुई हैं, कितनी प्रतिवर्ष गृह कर वसूली आय प्राप्त हुई और कितनी बकाया (किस मद) में है। इस अवधि में यह विवरण, नगर पंचायत को लेखा-परीक्षा अधियाचना संख्या 3 दिनांक 8-7-05 को दो दिन के अन्दर सूचना लेखा-परीक्षा में उपलब्ध/प्रस्तुत करने को कहा गया था।

(2) नगर पंचायत द्वारा अवधि 1-4-2000 से 31-3-05 तक गृह कर का निर्धारण न करने पर रु० 4,23,080/- का वित्तीय नुकसान :-

हि० प्र० सरकार के शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या: एल० एस०जी०-डी०(1) 9/94 दिनांक 18-8-1997 को जारी अधिसूचना के अन्तर्गत हि० प्रदेश की सभी स्थानीय निकायों को 10% से 7½% तक गृह कर अधिरोपित करने के आदेश जारी किये गये थे (जैसे कि नगर पंचायत है) जिसके अनुसार नगर पंचायत, अर्की को नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत आने वाली सभी भूमि, बिल्डिंग पर 7½% प्रति वर्ष के हिसाब से Annual value पर गृह कर अधिरोपित करने को कहा गया। जिसकी अनुपालना करते हुए नगर पंचायत ने

वार्ड सं० 1 से 7 तक अवधि 1-9-97 से 31-3-2000 तक नगर पंचायत सीमा के भीतर 225 सं० वृद्धि गृह निर्धारण पर कर का निर्धारण रुपये रु० 2,10,685/- किया और अवधि 1-4-2000 से आज तक न तो कर का निर्धारण Assessment Register में किया और न ही अवधि 1-9-97 से आज तक प्रतिवर्ष कार्य उक्त पुराने रजिस्टर को बनाया गया। जिसके फलस्वरूप नगर पंचायत को गृहकर से रुपये रु० 4,27,080/- की धनराशि अवधि 31-3-05 तक वित्तीय नुकसान हुआ। जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

1-4-2000 से 31-3-2005 तक गृह कर निर्धारण नहीं किया जाना था

प्रतिवर्ष कर निर्धारण जोकि अवधि 1-9-97 से 31-3-2000 तक के कर निर्धारण पर बनता है:-

कुल कर निर्धारण अवधि 1-9-97 से 31-3-2000 तक रुपये

रु० = 2,10,685/-

जोकि 2½ का वर्ष का है अत: एक वर्ष का कर निर्धारण रुपये रु० :

$$\frac{2,10,685}{30 \text{ माह}} \times 12 = 85416\text{-}00 \text{ प्रतिवर्ष}$$

Say 85416-00 प्रतिवर्ष

अत: अवधि 1-4-2000 से 31-3-2005 तक कर निर्धारण न करने पर वित्तीय नुकसान

गृहकर प्रति वर्ष = 85416/- रु०

1-4-2000 से 31-3-05 तक = 85416 × 5 = 4,27,080-00

अतः अवधि 1-4-2000 से 31-3-05 तक गृह कर का निर्धारण न करने के फलस्वरूप रु० 4,27,080/- का वित्तीय नुकसान हुआ है उसके लिये सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जानी चाहिये तथा अवधि 1-4-2000 से 31-3-05 तक गृह कर मांग का निर्धारण करके एवं मांग रजिस्टर में चढ़ा करके वसूली यथाशीघ्र की जाये। तथा कृत कार्यवाही से निदेशालय, स्थानीय निकाय को अवगत कराया जाये।

(3) अवधि 31-3-2000 के पश्चात् नगर पंचायत सीमा के भीतर कितने भवनों का निर्माण आज तक हो गया। इनका गृह कर निर्धारण न करने के फलस्वरूप नगर पंचायत को करोड़ों रुपये के वित्तीय नुकसान की सम्भावना :-

नगर पंचायत ने गृहकर निर्धारण से सम्बन्धित केवल Assessment रजिस्टर ही तैयार कर रखा है जिसमें केवल उन भवनों का गृह निर्धारण किया गया है जो कि 31-3-2000 तक नगर पंचायत सीमा के भीतर निर्मित थे अर्थात् 1-4-2000 से आज तक कितने नये भवनों का निर्माण नगर पंचायत के भीतर हुआ है जिसे नगर पंचायत से नक्शा एवं बिजली के आवेदन प्रमाण पत्र after completion of building आदि जारी है

से सम्बन्धित कोई अभिलेख नगर पंचायत से तैयार नहीं किये गये थे। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा आपत्तिपत्रावली संख्या 2 दिनांक 17-6-05 को नगर पंचायत को वर्ष 1997-98 से वर्ष 2004-05 तक नगर पंचायत सीमा के भीतर निर्मित भवनों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देयकों व सभी नक्शे के जांच आदि किये गये, की सूचना वर्ष-वार बनाकर तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करने के लिये कहा था परन्तु नगर पंचायत ने लेखा-परीक्षा समाप्त होने तक कोई भी N.O.C. से सम्बन्धित सूचना लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की। जिससे यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि अवधि 1-4-2000 से 31-3-05 तक कितने नव निर्मित भवनों का निर्माण नगर पंचायत सीमा में किया गया था। अतः स्पष्ट है नगर पंचायत द्वारा अवधि 1-4-2000 से 31-3-05 तक नव भवनों का गृह कर निर्धारण नहीं किया गया। उनका गृह कर निर्धारण करें तथा उसकी वसूली भी सुनिश्चित करें। इसके ... प्रपत्र-2 अवधि 31-3-2000 के पश्चात गृह कर का निर्धारण व उसकी वसूली क्यों नहीं की गई, का औचित्य भी स्पष्टीकरण, आरोपी लिपिक को ओदेश प्रेषित किया जायें।

(5) <u>नगर पंचायत द्वारा अवशेष 31-3-2000 तक की गृह कर राशि रु० 2,20,685/- की वसूली हेतु कोई कार्यवाही न करना :-</u>

नगर पंचायत

द्वारा अवधि 31-3-2000 तक Assessment register
में निर्धारित गृह कर राशि रु0 2,20,685/- के
सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर पाया
गया कि नगर पंचायत ने केवल अवधि
31-3-2000 तक की गृह कर निर्धारित एवं सम्बन्धित
बिलों को प्रति वर्ष जारी किया गया परन्तु उसकी
वसूली कर दाताओं से ... न होने पर नगर
पंचायत ने गृह कर की बकाया वसूली हेतु हिमाचल
प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 86(2)
(3)(4) व 87(1) के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं
की गई प्रतीत होती जिसके फलस्वरूप आज तक नगर
पंचायत किसी भी कर दाता से अवधि 1-4-97 से
31-3-2000 तक की अर्थ गृह कर निर्धारित राशि
रु0 2,20,685/- की वसूली आज तक नहीं की गयी।
अतः नगर पंचायत उक्त गृह कर की वसूली
शीघ्र करने हेतु हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम
1994 की धारा 86(2)(3)(4) व 87(1) के अन्तर्गत
ठोस कार्यवाही अमल में लाने तथा की गई
कार्यवाही से व उक्त 1994 नगर पालिका अधिनियम, 1994
में दी धारा के अन्तर्गत आज तक कार्यवाही न करने
के संबंध में तर्क संगति देते हुए निदेशालय, शहरी
विकास को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

13. विद्युत शुल्क

अवधि 1-4-97 से 31-3-2005 तक का अंकेक्षण करते समय [illegible] संख्या 273 दिनांक [illegible] NPA (विद्युत)/97-354, दि. 26-7-97 के अवलोकन से पता चलता था कि नगर पंचायत [illegible] की [illegible] आवश्यकता 61,017 यूनिट बिजली की बचत दिनांक 26-7-97 को थी। [illegible] पूर्व [illegible] बचत 61,017 यूनिट [illegible] की [illegible] 3/05 तक में नगर पंचायत क्षेत्र के [illegible] और [illegible] का निर्माण हुआ जिसमें कुछ अन्य [illegible] की [illegible] बिजली की बचत होने का अनुमान है।

नगर पंचायत [illegible] के लेखापाल द्वारा दिनांक 10-9-2003 से पहले का कोई भी अभिलेख विद्युत शुल्क के [illegible] लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत न नहीं किया [illegible] यह पता नहीं [illegible] कि बिजली [illegible] के [illegible] किया जाना सुनिश्चित किया जाये। जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड [illegible] द्वारा विगत [illegible] नगर पंचायत [illegible] को [illegible] द्वारा [illegible] गया।

1 NOA 807/E-[illegible] 03-4679-80, दि. 10-9-03 [illegible] Rs. 3726.
2 ——— " ——— 1662-63 दि. 31-5-03 ——— Rs. 5640
3. ——— " ——— 2796 दि. 10-8-04 ——— Rs. 9,432.
4 ——— " ——— 6021 दि. 14-1-05 ——— Rs. 6316.

नगर पंचायत [illegible] द्वारा कोई भी अभिलेख/पंजिका इत्यादि तैयार नहीं की गई थी जिससे यह पता लगता हो कि विद्युत खण्ड के समय-समय पर कितनी राशि प्राप्त की जानी है व कितनी प्राप्त की गई है। अतः अंकेक्षण अवधि 1-4-97 से 31-3-2005 तक की अवधि का [illegible] [illegible] पंजिका में प्राप्त, [illegible] व शेष [illegible] तैयार किया जाये व आगामी अंकेक्षण के समक्ष [illegible] अभिलेख सहित प्रस्तुत किया जाये।

विद्युत [illegible] उपभोक्ताओं से [illegible] [illegible] दो बार [illegible] विद्युत बिलों की राशियाँ प्राप्त करता है [illegible] नगर पंचायत को [illegible]। [illegible] से [illegible] [illegible] करता है जिसके लिए नगर पंचायत द्वारा कोई भी [illegible] कार्यवाही नहीं की जाती [illegible] निदेशालय को सूचित किया जाये।

किया जाये व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

14. **व्यापार/व्यवसाय शुल्क:-**

नगर पंचायत अर्की की अध्यक्ष द्वारा सर्वसम्मति से बैठक के दिनांक 8.7.1996 को नगरपालिका क्षेत्र के व्यापारियों/व्यवसायियों से रु० 25 रुपये वार्षिक शुल्क लगाने का प्रस्ताव पारित किया था, किन्तु 31.3.05 तक इसकी वसूली नहीं की गई थी। जिसके कारण स्पष्ट किए जायें।

15. **शराब की बिक्री पर कर:-**

नगर पंचायत अर्की द्वारा दिनांक 8.7.1996 की बैठक में नगर पंचायत क्षेत्र में शराब की बिक्री पर एक रुपया प्रति बोतल की दर से शुल्क लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। जबकि सचिव द्वारा 7.1.2004 से पूर्व का कोई भी अभिलेख शराब की बिक्री से प्राप्त आय के सन्दर्भ में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सचिव, नगर पंचायत अर्की से अनुरोध है कि अवधि 1.4.97 से 31.3.2005 तक का लेखा तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

अंकेक्षण अवधि में 7.1.2004 को रु० 80,050 रुपये सोलन के जिला कर अधिकारी से एक बैंक ड्राफ्ट, डी० एक्स० टी० एन० एस० एन० डी० (सोलन) दिनांक शुल्क वर्ष 2002-03 की आय के रूप में प्राप्त हुए थे। तत्पश्चात 31.3.05 तक कोई भी राशि नगर पंचायत द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी न ही कार्यालय द्वारा इसकी वसूली हेतु कोई अपेक्षित कार्यवाही की गई थी। जिसे स्पष्ट किया जाये व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

16. पशु नस्ल शाला (शुल्क 5 रुपये प्रति नग)

(1) श्री बाबू राम, नूनार को दिनांक 21-5-98 से 20-6-98 तक 29+41=70 पशुओं का नस्ल किया। जिसका शुल्क रु० 350 रु० बनता था। श्री बाबू राम के रु० अ० सं० 42/8443 दि० 22-7-98 को रु० 325 रु० जमा करवाये गये। अतः 25 रुपये वसूल करके निधि में जमा करवाये जायें।

(2) श्री अशोक, नूनार द्वारा अवधि 21-5-98 से 20-6-98 व 22-10-98 को क्रमशः 11 व 3 नस्ल कराये गये जिसके 5 रु० प्रति नग की दर से 70 रुपये बनते थे जो कि 31-3-2005 तक प्राप्त नहीं किए गये थे। अतः 70 रु० तुरन्त वसूल करके निधि में जमा करवाये जायें।

(3) अवधि 1-4-97 से 20-5-98 तक का पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा मासिक पशु नस्ल विवरण लेखा पाल द्वारा अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किए गये जिसके कारण पंजिका में की गई प्रविष्टियों की जांच नहीं की जा सकी। जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) अवधि 21-5-98 से 31-3-05 तक के लेखों/पंजिकानुसार नस्ल शाला की 31-3-05 को पशु नस्ल शुल्क के रूप में वसूल की जानी शेष थी:-

	कुल	प्राप्त	शेष राशि
(1) 1-1-02 से 31-3-05 श्री बाबू राम	1070 रु०	1040 रु०	30 रु०
(2) 21-5-98 से 31-3-03 श्री कान्शी राम	2833 रु०	360 रु०	2473 रु०
		कुल राशि	2503

17. रजिस्ट्री शुल्क से प्राप्त आय :-

Transfer of Land, 2% Tax Thereon

नगर पंचायत नूनार के लेखापाल द्वारा ऐसा कोई अभिलेख नहीं रखा जाता था, जिससे उक्त स्रोत से प्राप्त आय को जांच किया जा सकता। इस सम्बन्ध में सचिव नगर पंचायत नूनार को अंकेक्षण अभियाचना संख्या 3, दिनांक 6-7-05 द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया था जो कि अंकेक्षण की समाप्ति तक उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः अवधि 1/4/97 से 31-3-05 तक का समस्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

18(ग) नगर पंचायत, अर्की द्वारा अप्रैल 4/97 से 3/05 तक बिजली के सामान की खरीद बिना औपचारिकताएं पूर्ण किये करना

नगर पंचायत अर्की बिजली के सामान की खरीद लोकल मार्किट से कोटेशन प्राप्त किये बिना न्यूनतम दर पर M/s Goel traders Arki से की, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

वाउचर सं./दिनांक	राशि
385 of 2/99	2855-00
376 of 3/98	709-50
411 of 3/98	1615-00
427 of 2/99	979-00
428 of 2/99	185-00
435 of 3/2000	2126-00
436 of 3/2000	3721-00
437 of 3/2000	1279-00
438 of 3/2000	1607-00
57 of 8/2000	6283-00
79 of 12/02	9082-00
14 of 6/03	11,166-00
82 of 3/05	5,3600-00
[illegible]	14,279-00

जबकि हि० प्र० वित्त विभाग के
पत्र सं०: वित्त 1-बी (14) 1/83 दिनांक 6-9-95
के क्रम सं० 25 (Material of supply or store)
में जारी निर्देशों के आधार पर रु० 50000-00
तक की खरीद HOD की स्वीकृति से हि० प्र०
सरकार के Controller of store द्वारा अनुमोदित
होने वाली या DGS&D द्वारा अनुमोदित दरों
वाली फर्मों से की जानी अपेक्षित है। जबकि
न० पंचायत ने उक्त निर्देशों की अवहेलना
करते हुये और बिना औपचारिकतायें पूर्ण
किये लोकल मार्किट से बिजली के सामान
की खरीद की। जोकि एक गम्भीर मामला है।
अतः नगर पंचायत, अपने Head of Department
के माध्यम से लोकल मार्किट से बिजली के
सामान की खरीद की कार्योत्तर स्वीकृति
प्राप्त करे और आगामी अंकेक्षण के दौरान
प्रस्तुत करें। भविष्य में बिजली के सामान
की खरीद Rate Contract वाली फर्मों से ही
औपचारिकतायें पूर्ण करके करना सुनिश्चित करें।

(ख) वाउचर सं०-403 माह 1/99 राशि रु० 19491-00
वाउचर सं०-404 माह 1/99 राशि रु० 7000-00

ग्रा० पंचायत ने उक्त वाउचर द्वारा M/s Bhargava Engineering works, Sangri, P.O. Manjyat, Teh Arki Distt. Solan से railings — Dust bins की खरीद के रूप में किया। खरीद में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

(1) हि०प्र० सरकार के नियंत्रक एवं भण्डार विभाग द्वारा निर्धारित दरों वाली फर्मों से खरीद न करके केवल ओपन मार्किट से खरीद करना:-

हि० प्र० वित्त विभाग के पत्र सं० वित्त 1-सी(14)1/83 दिनांक 6-9-1995 की धारा(15) (materials, supply or store) के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अन्तर्गत रु० 50 हजार तक की खरीद H.O.D की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके हि० प्र० के नियंत्रक एवं भण्डार विभाग द्वारा किये रेट कान्ट्रैक्ट वाली फर्मों से किया जाना अपेक्षित था। जबकि ग्रा० पंचायत ने सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना करते हुये बिना औपचारिकतायें पूर्ण किये ओपन मार्किट से किया। जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति सरकार से प्राप्त की जाये और खरीद के नियमों का पालन किया जाये। अनुपालना से इसकी अंकेक्षण को

(ड) Railings तथा Dustbins की प्रविष्टियाँ आवधिक (property) रजिस्टर में न करना :-

उपरोक्त Railings तथा Dustbins की प्रविष्टियाँ आवधिक रजिस्टर में नहीं की गई। जोकि अब किया जावे और आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जावे।

(च) वाउचर सं० 406 माह 1/09 राशि रु० 2300-00

वाउचर सं०- 746 माह 1/09 राशि रु० 1200-00.

नगर पंचायत ने उक्त वाउचर द्वारा M/s Bhagwa Engineering works, Dangri P.o. Manjyat, Teh. Arki Distt. Solan H.P. से supply of sign board तथा मौ० फ्रेम जाब वर्क और Painting के मद्द क्रमशः राशि रु० 2300/- व राशि रु० 1,200/- का भुगतान किया। भुगतान में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गयी।

(1) नगर पंचायत ने Sign Board की खरीद न०प० के कार्यालय सीमा में ओपन मार्किट से कोटेशन प्राप्त कर अपने आप तीन Quotations collect करके न्यूनतम दर के आधार पर M/s Bhagwa Engineering works, Dangri, Teh Arki

को Sign Boards supply करने के आदेश जारी
कर दिये। जब कि राशि रु0 1,000 की खरीद
के बाद उ0 प्र0 म्युनिसिपल एकाउन्ट कोड, 1975
की धारा 170(4) के अन्तर्गत निविदायें आमन्त्रित
की जानी अपेक्षित थी जबकि न0 पा0 अधि0
ने Sign Boards की खरीद के लिये कोई निविदायें
आमन्त्रित नहीं की और कतिपय आपूर्तिकर्ता द्वारा
अस्थापित रूप में फर्मों के ... प्राप्त की
कोटेशन के आधार पर न्यूनतम दर वाली फर्म
को Sign Board जारी करने के supply order
जारी कर दिये नियमों की स्पष्टतः अवहेलना है।
उ0प्र0 Municipal Account code 1975 की धारा 170(4)
की अनुपालना न करने बारे अपना औचित्य
प्रस्तुत करें तथा उक्त खरीद को नियमित करने
के लिये सरकार की अपनी कार्योत्तर स्वीकृति
प्राप्त की जाये।

(2) Sign board की खरीद किस उद्देश्य के लिये
किया गया और इसका उपयोग कहाँ-2 किया गया
लेखा-परीक्षा के समक्ष नहीं किया जिसे अपनी
अपेक्षा में प्रस्तुत करें।

(3) खरीद किये Sign Boards की प्रविष्टी न तो स्टाक रजिस्टर में पायी गयी और न ही अस्थायी रजिस्टर में। अतः अभिलेखों में प्रविष्टी का न पाये जाने के फलस्वरूप इनका खरीद संदेहास्पद प्रतीत होती है जिसकी पूर्ण छानबीन की जाये तथा वास्तविकता से आपत्ती को अवगत करवाया जायें।

(ड़) वाउचर सं० 378 ता० 4/99 राशि-रु० 3000/-

[illegible] उपमण्डल से इस भुगतान Sub divisional Magistrate cum Chairman Sairotsav Committee Arki, Distt Solan (HP) को Souvenir में विज्ञापन देने के अवसर के लिए भुगतान के निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी:-

(1) हि० प्र० वित्त विभाग के पत्र संख्या: वित्त-1-सी(14)1/83 दिनांक 6-9-95 से जारी हिदायतों के अनुसार Advertising and Publicity पर व्यय केवल वित्त विभाग की concurrence तथा Administrative Department की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी भी प्रकार का Advertisement एवं Publicity नहीं की जा सकती। जबकि स० प्र० [illegible] से उक्त हिदायतो की अवहेलना

करते हुये Souvenir में विज्ञापन देने के लिये सारे रु० 1,000/- का व्यय किया जोकि अनियमित था। अतः इस व्यय को नियमित करवाने के लिये हि० प्र० सरकार द्वारा जारी मितव्ययता निर्देशों के अधीन इसकी कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जाये और आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करें।

(2) जिस Souvenir में विज्ञापन दिया गया उसकी कापी लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। जिसे आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

(8) वाउचर सं० 74 माह 6/99 राशि रु० 490.

न० पंचायत ने उक्त वाउचर द्वारा मैसर्स ठाकुर जनरल स्टोर, लोअर बाजार, सुन्नी से दो जोड़े Duck back जूते खरीदने के एवज में भुगतान किया गया।

इनका खरीद किये Duck back जूते के जोड़े न० पंचायत ने अपने दैनिक चौथी श्रेणी कर्मचारियों को दिये जो कि नियमानुसार देय नहीं है. हि०प्र० [illegible] नियमों में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को वर्दी या जूते आदि की सुविधा प्रदान की जाये। अतः उक्त नियमों के अन्तर्गत न०पंचायत ने दैनिक श्रेणी चतुर्थ कर्मचारियों को दिये Duck back जूते के मूल्य राशि रु० 490/- की वसूली की जाये तथा अनुपालना से निदेशालय लेखा विभाग को अवगत करवाया जाये।

(9) वाउचर सं० 75 माह 6/99 राशि रु० 740-00

नगर पंचायत ने उक्त भुगतान मैसर्स ठाकुर फर्नीचर हाउस, दी माल, सुन्नी को दो नम्बर कुर्सियों की खरीद के बाबत किया।

हि० प्रदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन-1 सी०3(14)1/83 दिनांक 19-9-95

(72)

(ज) वाउचर सं० 164 माह 10/01 राशि रु० 3480.

---

(70)

में जारी मितव्ययता निर्देशों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के नये फर्नीचर की खरीद पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। जबकि ग्रा० पंचायत, उन्होंने ने उक्त निर्देशों की अवहेलना करते हुये बिना औपचारिकतायें पूर्ण किये लोकल मार्किट से दो नम्बर कुर्सियों की खरीद की। जोकि अनावश्यक था। अतः ग्रा० पंचायत उक्त कुर्सियों की खरीद की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में दिखायें अन्यथा अनियमित ढंग से खरीद की गई कुर्सियों पर हुई खर्च राशि रु० 760/- की वसूली दोषी से करके ग्रा० पंचायत निधि में जमा करवाई जाये।

(घ) वाउचर सं० -162 माह 10/01 राशि रू० 575रू०.

न०प० ने उक्त भुगतान माननीय मुख्यमन्त्री उ० प्रदेश के आगमन के लिये कपड़े पर्ची पर बैनर लगाने पर किया। भुगतान में निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गईं।

(1) भुगतान के सम्बन्धित वाउचर के साथ केवल राशि रू० 75/- का कपड़े के खरीदने का बिल संलग्न है जबकि वाउचर के द्वारा राशि रू० 75 + रू० 500 Painting करवाने पर हुये व्यय को दिखाया है। परन्तु वाउचर में Painting करवाने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख पत्र संलग्न नहीं है। बिना बिल के भुगतान राशि रू० 500/- को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः इसकी वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से करके न० प० निधि में जमा करवायी जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(2) उक्त बैनर की प्रविष्टि सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर में नहीं पायी गई इसके बारे अपना आक्षेप दिया जाये।

(ज) वाउचर सं० 164 माह 10/01 राशि रु० 3280.

नगर पंचायत कार्यों के विभिन्न -2 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिये M.P. State Civil Supplies Corporation से कैश मैमो क्र०- 3012274 दिनांक 5-10-01 से 30 बैग सीमेंट के खरीद किये। उक्त खरीद गये सीमेंट की प्रविष्टि की जांच सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर (cement stock register) पर पाया गया कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा M.P. State Civil Supplies Corporation द्वारा खरीद किये गये 30 नग सीमेंट बैग की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में नहीं पायी गयी जिससे फलस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि न० पंचायत के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उक्त सीमेंट का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी पूर्ण छानबीन अपने स्तर पर की जावे और यदि उक्त सीमेंट बैग की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में नहीं है तो राशि रु० 3280/- की वसूली दोषी से की जावे तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही प्रमाण से अवगत करायें। और की गई कार्यवाही व वसूली से निरीक्षणकर्ता कार्यालय को अवगत कराया जावे।

(अ) वाउचर सं० 60 माह 8/2002 राशि रु० 15,000-00.

नगर पंचायत से बकाया भुगतान

सचिव, नगर पंचायत, अर्की को अग्रिम के रूप में wheel barrow and dust bins की खरीद के लिये दिये। इस खरीद में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं:-

(1) बिना codal formalities किये व बिना सरकार से NOC प्राप्त करके open market से खरीदे द्वारा अपने स्तर wheel barrow व dustbin की खरीद करना :-

नगर पंचायत, अर्की के प्रस्ताव संख्या 27/10 दिनांक 17-5-02 द्वारा 2 No. wheel barrow व 4 No. Dustbin खरीद करने की अनुमति प्रदान की तथा नगद अग्रिम राशि रु० 15,000/- अग्रिम के रूप में सचिव नगर पंचायत अर्की को दी। सचिव, नगर पंचायत, अर्की ने अकेले ही चंडीगढ़ जाकर व्यक्तिगत रूप से तीन फर्मों की कोटेशन ली और अपने आप ही कुटेशन दर वाली कम्पनी M/s Industrial Traders (India) Phase-II Chandigarh को 2 No. wheel barrow व 4 Nos Dust bins के supply करने के

आदेश के लिये जबकि M.P. Municipal Account Code, 1975 की धारा 170(4) के अनुसार रु० 1,000/- से ऊपर की खरीद के लिये नियमानुसार निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जब कि उक्त नगर पंचायत ने उक्त नियम की उपेक्षा करते हुये अपने स्तर पर अकेले ही M/s Industrial Traders (India) Phase-II Chandigarh को 2 No wheel barrow व 4 No. Dust bin supply करने के आदेश दिये जो कि अनुचित था। इसके अलावा हि०प्र० सरकार के वित्त विभाग के पत्र सं०: वित्त-1-C(4)-1/83 दिनांक 6-9-95 के क्रम सं० -24 से जारी निर्देशों के अनुसार किसी भी प्रकार मशीनरी / equipment जिसका मूल्य रु० एक लाख तक हो या 1400 की पूर्ति अनुमति लेकर सरकार द्वारा अनुमोदित दरों वाली फर्म या DGS&D दरों पर खरीद की जानी अपेक्षित है। यदि कोई सामग्री खुले बाजार से खरीदनी है तो इसका NOC controller of store से प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। जबकि नगर पंचायत ने न तो उक्त सामान की खरीद open market से करने की अनुमति नियंत्रक Controller of store से ली और न ही M.P. Municipal Account Code, 1975 की धारा 170(4) का अनुसरण किया।

जोकि अनियमित था। अतः नियमों की उल्लंघना करके खरीद करने को नियमित नहीं ठहराया जा सकता। जिसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जाये। इस सन्दर्भ में की गई कार्यवाही से निरीक्षण/लेखा विभाग को अवगत करवाया जाये।

(अ) <u>खरीद किये गये Dust bins and wheel barrow के नाप/जोख/Sub-standard size होने के कारण रु० 10% के freight का नुकसान</u> :→

Dust bins and wheel barrow के सत्यापित स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त Dust bins व wheel barrow की खरीद में 5 नग Dust bins Sub standard size के पाये गये जिनका और सत्यापित स्टाक रजिस्टर पर किया गया है जो सिद्ध/स्पष्ट होता है कि संबंधित, ग्राम पंचायत द्वारा खरीद की सामग्री से 5 नग Dust bins sub standard थे जोकि ग्रा० पंचायत ने पुनः से [illegible] को वापिस करके उसके स्थान पर नये Dust bins मंगवाये sub-standard Dust bins की वापसी के ऊपर जो freight का भुगतान किया गया उसका नुकसान ग्रा० पंचायत को हुआ है, जिसकी वसूली सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी से की जाये तथा अनुपालना से अधोहस्ताक्षरी/निरीक्षक को अवगत करवाया जाये।

(5) वाउचर सं० 94 माह 3/05 राशि रु० 8750.00

उक्त पंचायत के तहत भुगतान M/s Bright line Computer's Pvt Ltd को क्रमशः रु० 2750/- व रु० 6000/- का भुगतान Computer Table, Electrical wire, socket, fitting and Training के बाबत किया। भुगतान के निम्नलिखित कमियाँ पायी गई।

(i) ग्रा० पंचायत द्वारा Computer Table की खरीद से राशि रु० 1300/- का अधिक भुगतान

ग्रा० पंचायत ने Computer table की खरीद के लिये ग्रा० पंचायत में 4 suppliers की Quotation प्राप्त हुई जिनमें से सबसे कम दर M/s R.K. Association, Arrah की राशि रु० 1200/- थी। जबकि ग्रा० पंचायत ने भुगतान सबसे ऊंची दर फर्म को नजरअंदाज करके M/s Bright line Computer's Pvt ltd से राशि रु० 2500/- का Computer table खरीद किया जिससे अनावश्यक ग्राम पंचायत को राशि रु० 1300/- का अधिक भुगतान करना पड़ा। जिसकी वसूली सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी से करके ग्राम पंचायत निधि में जमा की जावे और अनुपालना से निदेशालय आडिट विभाग को अवगत करवाया जावे।

(2) उप पंजीयक, बाँदा द्वारा Bright Line Computer's Pvt. Ltd. Agra को कर्मचारियों को Computer training के लिये रुपये रु० 6,000/- का भुगतान।

उप पंजीयक, बाँदा ने अपने कर्मचारियों को Computer की training कराने के लिये रुपये रु० 6,000/- भुगतान किया, परन्तु जिस फर्म के बिल पर भुगतान किया गया इसके साथ कोई भी ऐसा अभिलेख नहीं पाया गया कि जिससे यह पता चल सके कि कौन से कर्मचारियों को Computer की training करायी गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय को इससे सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा तो इन्होंने [illegible] कर्मचारियों को उच्च अधिकारी के आदेश [illegible] के आदेशों से कर्मचारियों की training करायी गयी, ऐसा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये। अभिलेख कहा जाता कि इसके सम्बन्ध में कोई लिखित आदेश जारी नहीं किये गये। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उप पंजीयक के कर्मचारियों को training कराये बिना ही Bright Line Computers को रुपये रु० 6,000/- का भुगतान किया। जिसकी वसूली सम्बन्धित फर्म से या फिर उत्तरदायी अधिकारी से की जाये जिसकी लापरवाही से इस रुपये का भुगतान फर्म को किया गया। अनुपालन से निरीक्षक, आडिट विभाग को शीघ्र अवगत कराया जाये।

(ठ) (1) वाउचर सं० 441 माह 3/2000 धनराशि रु० 5540-00
(2) वाउचर सं० 441 माह 3/2000 धनराशि रु० 1070-00
(3) वाउचर सं० 245 माह 5/2001 धनराशि रु० 5720-00
(4) वाउचर सं० 246 माह 5/2001 धनराशि रु० 4130-00.

उक्त अंकेक्षण के उक्त भुगतान M/s [illegible] फर्मों से क्रमशः 40 बैग, 5 बैग, 40 बैग व 10 बैग सीमेंट की खरीद के सम्बन्ध में थे। खरीद में निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गईं:-

नगर पंचायत ने सीमेंट की खरीद न तो हि० प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम से की और न ही उक्त खरीद खुले बाजार से करने से पूर्व हि० प्रदेश [illegible] कोड 17.0(4) की अनुपालना की। अतः बिना औपचारिकताएं पूर्ण किये खुले बाजार से सीमेंट की खरीद करने का अपना औचित्य स्पष्ट किया जाये। तथा [illegible] हि० प्र० नागरिक आपूर्ति निगम से सीमेंट की खरीद न करने का कारण स्पष्ट करते हुये खुले बाजार से सीमेंट की खरीद की कार्योत्तर अनुमति [illegible] प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जाये। भविष्य में खरीद को हि० प्र० नागरिक आपूर्ति निगम से की जानी सुनिश्चित किया जाए।

(3) निर्माण-कार्यों में अनियमितताएं:-

वाउचर सं०-185 दिनांक 15-09-97 राशि 60213/00.

उक्त वाउचर द्वारा नगर पंचायत के C/o Public Shed and fuel store at Hakikhad के निर्माण कार्य के लागत की स्वीकृत राशि को अंतिम running bill का भुगतान किया। भुगतान में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी।

(1) भुगतान में राशि रु० 1509-00 का अधिक भुगतान:-

उक्त निर्माण कार्य के सम्बन्धित M.B संख्या 5/97 पृष्ठ संख्या 35 व 36 में की प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि दरों की गलत गणना करने के फलस्वरूप सम्बन्धित ठेकेदार को राशि रु० 1509/- का अधिक भुगतान किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

मद का ब्यौरा	Qty	दर जो ली गई	दर जो ली जानी थी	अन्तर	अधिक भुगतान
(1) Half Brick Masonry with common burnt clay building brick with C.M 1:4	31.50 m³	55.70 m³	51.00 m³	4.70	148.05
Stone soling properly laid and packed.	2.94 m³	108.45 m³	91.15 m³	17.30	50.86

कुल राशि - 198.91

+ 190% above estimate - 377.93

कुल अधिक भुगतान - 576.84

2. अलग-अलग कटौती पर:

जितनी कटौती की गई है	जितनी कटौती की जानी थी	कम कटौती
11554-00	10624.00	930-00

(3) ट्रेड्स के रूप में उनके भुगतान में कटौती का दर = 2-00

अत: कुल अधिक भुगतान = 577+930+2
= 1509/-.

जितना भुगतान बिल से किया गया 21100-00
जितना भुगतान बिल से किया जाना
अपेक्षित था = 19591-00

अधिक भुगतान = 1509-00

2. नगर पंचायत ने ठेकेदार को कार्य का आवंटन करते हुए Tender में भरे न्यूनतम Premium के आधार पर आवंटित कर दिया जो कि अनियमित था। बि०पू० works rules के अनुसार, जब भी कोई निर्माण कार्य ठेकेदार को आवंटन किया जाता है तो उसके पूर्व दर निर्धारण के लिए उसके बाजार दरों के Analysis of rate तथा Justification बनाई जानी अपेक्षित होती है ताकि ठेकेदार को किस प्रतिशतता (Premium) पर कार्य आवंटित किया

जा रहा है कि within Justification है या नहीं जोड़ने कराये जाने वाले कार्य में हानि तो नहीं हो रही, का पता चलता है, जबकि ग्राम पंचायत ने C/o Public shed and fuel store at Anki Khad के निर्माण कार्य का आवंटन ठेकेदार को करने से पूर्व कोई Analysis of rate तथा Justification आदि तैयार कर यह पता कर सकते कि ठेकेदार को किस Premium के ऊपर निर्माण कार्य का आवंटन किया, उससे ग्राम पंचायत को हानि तो नहीं। अतः ग्राम पंचायत उक्त कार्य की Analysis of rate व Justification प्राप्त करे और यदि ठेकेदार को निर्माण कार्य का आवंटन Justification से अधिक प्रीमियम (Premium) से अधिक Premium में आवंटन किया है तो उसकी वसूली की ... दोषी से की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जावें।

(3) निर्माण कार्य के निष्पादन वाले जारी मदों की प्रविष्टियों को M.B में किसी भी उच्च अधिकारी से Test check नहीं करवाया गया जिसे प्राप्त करवाया जावें।

(4) निर्माण कार्य का भुगतान ठेकेदार को बिना Pass-order के किया गया है।

(5) उक्त कार्य की प्रविष्टि Property register में की जाये।

उक्त आपत्तियों को बिन्दुवार ठीक किया जाये तथा आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करें।

(2) वाउचर सं० 184 दिनांक 9/07 राशि रु० 22958.00

उक्त वाउचर द्वारा रु० ... में श्री योगेन्द्र मेहता ठेकेदार को C/o concrete pavement to Mohalla Zolong के निर्माण कार्य के तहत किया। निर्माण कार्य में निम्नलिखित अनियमितता रही।

(1) बिना Analysis of rate and Justification बनाये ठेकेदार को सीधे कार्य का आवंटन करना

उक्त पंचायत अधीन ने C/o concrete pavement to Mohalla Zolong का निर्माण ठेकेदार श्री योगेन्द्र मेहता को इनके द्वारा टेंडर में भरे न्यूनतम रेट के आधार पर सीधा आवंटित कर दिया जो कि कल्याण विभागों की उल्लंघन अवहेलना है। झा०प्र० कल्याण विभागों के अधीन जब भी कोई निर्माण कार्य ठेकेदार को आवंटित किया जाता है तो उसके पूर्व N.I.T. में दिये मदों का Analysis of rate

तैयार किया जाता तथा इसके पश्चात Justification तैयार की जाती है। Justification में सभी प्रतिभूतियों के आधार पर ठेकेदार द्वारा भरे रेट में प्रतिशतता की गणना के उपरान्त Justification के सभी प्रतिशतताओं के भीतर कार्य का आवंटन ठेकेदार को किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ठेकेदार को भी उसे आवंटित कार्य में अ० पंजीयन कोई विशेष लाभ तो नहीं। अतः स०प० द्वारा कैसे Analysis of rates एवं Justification बनाये कार्य का आवंटन ठेकेदार को करने के उपरान्त पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें तथा उक्त कार्य की Analysis of rate एवं Justification पुनः तैयार की जाये और यदि Justification के सभी प्रतिशतताओं के अधिक प्रतिशततापर कार्य आवंटन किया है तो इसकी वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जाये और अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्तुति के साथ प्रस्तुत करें।

(2) निर्माण कार्य के लिये N.I.T के रेट भरे मदों को घटाके उसके स्थान पर दूसरे मदों का निष्पादन किया गया जबकि इसकी स्वीकृति सक्षम से प्राप्त करवायी

को नहीं की गई। ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

अ.उ.प में दिये गये	और स्थल निरीक्षण स्थिति
C.C. 1:2:4 [illegible] complete in tracks, pathways etc.	— Some item done —
stone soling properly hand packed filling interstices with spalls consolidating and rolling	— No item done in the work —
Preparing of sub-grade by dressing to camber earth work for the cutting involved for sub-grade to be paid for separately depending upon the classification of soil)	20 mm thick cement plastering in singal coat.

इस प्रकार विवरण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अ.उ.प में दिये items के स्थान पर दूसरी items का निष्पादन ठेकेदार को अनुचित लाभ देने के लिये किया गया। अत: जिम्मेदार अधिकारी की स्वीकृति से substitute item को करवाने सम्बन्धी आदेश उपलब्ध करावें और यदि substitute item के निष्पादन से वास्तविक लागत को अधिक व्यय हुआ है तो उस अधिक व्यय की वसूली की कार्यवाही करते हुये [illegible] से आगामी अंकेक्षण को अवगत करावें।

(३) बिना Test-check करवाये ठेकेदार को भुगतान किया गया जो कि आपत्तिजनक था। इसकी अब Test-check करवाया जावे और लेखा-परीक्षा को प्रस्तुत करें

(थ) Vr No-163 माह 10/01 राशि रु० 46640.

अधिक भुगतान = रु० 27-00.

क० प० ने उक्त भुगतान श्री राम पाल ठेकेदार को Chanalization of Nalla in Mohalla Murari के तहत IInd and final bill का किया। जिस में निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी।

(1) क० प० ने श्री राम पाल ठेकेदार को Chanalization of Nalla in Mohalla Murari का कार्य आदेश सं० ०/No-92 dated 12-03-01 को HPSR 1999 से नीचे दरों पर below 20% पर आवंटित किया। उक्त कार्य की माप पुस्तिका सं० 4/97 पृष्ठ 81 से 82 पर लिये गये माप की प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि ठेकेदार को उपरोक्त जमा (total) करने पर राशि रु० 27-00 का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है।

रुपयों में

किया भुगतान किया गया = 46640-00

किया भुगतान जाना था = 46613-00

अधिक भुगतान = 27-00

नोट:- (अधिक भुगतान total में गलती करने से किया गया)

अतः छोटेकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से प्रस्तावित दोषी अधिकारी/कर्मचारी से करके स०प० नियम के कारवाई जाये। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाये।

2. आय पुस्तिका सं० 4/27 पृष्ठ-81 से 83 में किये गये मदों की प्रविष्टियों को किसी भी सक्षम अधिकारी (तकनीकी) द्वारा Test-Check नहीं किया गया। जिससे यह सुनिश्चित हो सकता कि निर्माण कार्य स्थल पर किये गये मदों में ठीक प्रकार से Ratio के अनुसार सामग्री का प्रयोग किया गया। Test check के बिना ठेकेदार को निर्माण कार्य का भुगतान करना उचित नहीं माना जा सकता। अतः Test check न करने के सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट करें तथा यह सुनिश्चित करें प्रमाण दिया जाये कि उक्त निर्माण P.W.D. Specification के आधार पर ही किया गया है।

(ग) वाउचर सं० 84 माह 6/94 धनराशि रु० 43909.00.

अधिक भुगतान : Rs. 6390.00.

नगर पंचायत से उक्त भुगतान श्री कोमेश्वर शर्मा ठेकेदार को C/o retaining wall & steps in Changau के कार्य के प्रथम व अन्तिम बिल के भुगतान में किया। भुगतान में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी।

(घ) ठेकेदार को उच्च आगणन के फलस्वरूप रुपये रु० 6385/- का अधिक भुगतान :-

नगर पंचायत शर्मा के C/o retaining wall & steps in Changau का कार्य श्री कोमेश्वर शर्मा को 180% above HSR, 1987 के दर आवंटित किया। निर्माण कार्य सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता के माप पुस्तिका सं० 2/97 पृ० 46-47 में दिया गया। उक्त निर्माण कार्य में लगे गये मदों की जांच माप पुस्तिका सं० 2/97 पृ० 46-47 से करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य के निष्पादित मद स्वीकृत विस्तृत आगणन से अधिक करके अधिक भुगतान किया गया।

मद का विवरण	m.b. के अनुसार मात्रा	स्वीकृत आगणन मात्रा	अधिक मात्रा	दर	अधिक भुगतान
Random rubble masonry hexagonal rubble masonry (uncoursed/brought to course) with hard stone of approved quality in foundation & plinth with C.M. 1:6, 1:2 in cement mortar 1:6 for wall or retaining wall.	51.83 m3	44.66 m3	7.17 m3	318.30	2281.62

...का लिया गया ... को

कुल अधिक भुगतान की राशि 2282.62

+ 180% above of HPSR 1987 = 4107.72

कुल अधिक भुगतान = 6389.92

Says Rs. 6390-00.

अतः बिल के ठेकेदार को किये गये अधिक भुगतान राशि रु० 6390/- (43909-37519-00) की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार अथवा सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता से करके न० पंचायत निधि में जमा करवायी जावे।

(ढ) वाऊचर सं० 85 माह 6/99 राशि रु० 36443.

अधिक भुगतान = 1234-00

नगर पंचायत ने इस भुगतान की राशि उक्त ठेकेदार को C/o concrete pavement from SAKB road to I.P.H. rest House [illegible] अंतिम बिल का भुगतान किया।

(ण) ठेकेदार को निर्माण कार्य में राशि रु० 1234/- का अधिक भुगतान :-

नगर पंचायत ने C/o concrete pavement from SAKB road to I.P.H rest House का निर्माण कार्य ठेकेदार श्री राम लाल को उनके द्वारा निविदा पर भरे दरों के आधार पर 225% above of HPSR 1987 पर आवंटित कर दिया। इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य/मापपुस्तिका संख्या 2/97 पृ० 44 से 45 में की प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया कि न० पंचायत के M.B के गलत जोड़ने, उनके ठेकेदार को

अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

मद का ब्यौरा	M.B. में अभिलेखित	तकनीकी नापानुसार	अधिक	दर	अधिक भुगतान
P/L CC 1:2:4 in pavement, roads, track, and ramps laid to required slope and chamber.	19.25 m³	18.55 m³	0.70 m³	542.50	379.75

कुल अधिक भुगतान = 379.75

+ 225% above HPSR 1997 = 854.44

कुल अधिक भुगतान = 1234.19

Say Rs. 1234.00.

अतः इस प्रकार ठेकेदार को इस निर्माण कार्य में अधिक भुगतान किया गया है इसकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से अथवा सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता से करके स०नं० तिथि से जमा की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

निम्नलिखित निर्माण कार्यों के आवंटन में अन्य अनियमितताएं:-

(1) C/o retaining wall & steps in Changar

(2) C/o concrete pavement from SMCA Road to I.P.H. Rest House.

उपर संलग्न में इन निर्माण

की आमन्त्रण को उनके द्वारा निविदा में दिये न्यूनतम दर के आधार पर आवंटित कर दिये अपितु अनुकूल ठेकेदार को कोई निविदा कार्य आवंटन करने की छूट. इस निविदा में निष्पादन होने वाले मदों के Analysis of rate व उसके आधार पर Justification बनायी जाती है ताकि यह पता चल जाये कितना प्रतिशत (Percentage) के आधार पर ठेकेदार को कार्य आवंटन किया जा रहा है इन्होंने ग्राम पंचायत को करने के नहीं दो रहे हैं। परन्तु ग्राम पंचायत ने C/o retaining wall and steps in Changou का कार्य श्री कनेश्वर ठेकेदार को और C/o concrete pavement from SAKA Road to I.P.H. Rest House का कार्य श्री नारायण को बिना Analysis of rates व Justification बनाये. HPSR, 1987 में दिये दरों के ऊपर 180% व 125% पर आवंटित कर दिये जो कि आपत्तिजनक था।

अतः ग्राम पंचायत उक्त निर्माण कार्यों के उक्त Analysis of rates व Justification तैयार करे और यदि कार्यों का आवंटन Justification में प्राप्त प्रतिशत (Percentage) से अधिक पर कार्यों का आवंटन किया जाता है तो जो विधि अनुसार उक्त निर्माण कार्य करवाने पर ग्राम पंचायत को हुआ है उसकी वसूली होनी चाहिये। कार्यवाही से भी जांच और अनुपालना से निरीक्षणालय अवगत करवाया

को भुगतान करवाया जावे।

(ग) वाउचर नं० 30 माह 5/01 राशि रु० 39821

अधिक भुगतान :- 165/-.

नगर पंचायत ने उक्त भुगतान श्री ओमी राम ठेकेदार को C/o Retaining wall near M.P. Sharma, House No-6, Ani के कार्य व फाइनल बिल का किया। भुगतान में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई।

(घ) निर्माण कार्य में ठेकेदार को अधिक भुगतान राशि रु० 165/-.

नगर पंचायत आनी ने C/o retaining wall near M.P. Sharma, House No-6, Ani का कार्य श्री ओमी राम ठेकेदार को HPSR 1999 की दरों से अधिक (above) 25% पर आवंटित किया। उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 4/97 पृ० 47-48 में की निर्माण कार्य की प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत ने ठेकेदार के प्रथम व फाइनल बिल के भुगतान से Crushed stone की कम कटौती करने के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Item जिसकी वसूली की जानी थी	Qty जितनी वसूली की गई	Qty जो actual करनी थी	जितनी Qty की कम वसूली की
Crushed stone	40.56 m³	41.31 m³	0.75 m³

जारी दर से वसूली करनी थी = Rs. 220/- per m³

जितनी वसूली कम की = 0.75 m³ × 220-00 = Rs. 165/-

(93)

M.B / बिल में कितना भुगतान किया = 47442.54.

Actual में कितना भुगतान किया

होना अपेक्षित था = 47277-54

अधिक भुगतान = Rs. 165-00

अत: उक्त निर्माण कार्य में ठेकेदार को राशि रु० 165/- का अधिक भुगतान किया गया किया जिसकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से या फिर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता से करके रा० प० निधि में जमा करवाई जावे. तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जावें।

(5) वाउचर सं० 31 माह 5/01 अति० रु० 15965.

ग्राम पंचायत के अधिक भुगतान = 439
बाबत भुगतान

श्री मोहन स्वरूप ठेकेदार को C/o concrete pavement to path from NHC latrine to the house of Sh. Rameshwar के प्रमाण का निरीक्षण किया गया। भुगतान में निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयीं।

(6) निर्धारित कार्य के ठेकेदार को अधिक भुगतान रु० 439

ग्राम पंचायत, अमों के श्री मोहन स्वरूप ठेकेदार को C/o concrete pavement to path from NHC latrine to the house of Sh. Rameshwar का कार्य HPSR, 1999 below 25% के दर स्वीकृत किया। निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका सं० 4/03 पृ० 59 से 60 से की प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत ने इस कार्य में गलत गणना करने के फलस्वरूप रुपये रु० 439/- का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। (विवरण निम्न प्रकार से है:-

मद का ब्यौरा	M.B. में लिखी मात्रा	वास्तविक लिखी मात्रा	लिखी अधिक मात्रा	दर
P/L C.C 1:2:4 in pavement, road, ton, tracks and runways are laid to required slope and chamber	9.15 m³	8.81 m³	0.34 m³	1721.10

अधिक भुगतान = 0.34x1721.10 = 585.00

Less 25% HPSR 1999 = 146.12

439.88

कुल अधिक भुगतान = says 439.00

अत: इस प्रकार कुल भुगतान में, राशि रु० (15965-1526) = 4439-00 का अधिक भुगतान किया जिसकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से अथवा सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी से करके न० पंचायत निधि में जमा की जावे। अनुपालना से निदेशालय शहरी निकाय को अवगत करवाया जावे।

(ग) वाउचर नं० 33 माह 5/2001 राशि रु० 40845

अधिक भुगतान रु० 1266-00

नगर पंचायत ने इस भुगतान को करके श्री ठेकेदार को C/o Channelization of Nallha in Mesrani Mohalla RD 0/00 to 0/17 के कार्य के प्रथम बिल का भुगतान किया। भुगतान में निम्नलिखित अनियमितता पाई गई।

(क) निर्माण कार्य में ठेकेदार को अधिक भुगतान राशि रु० 1266/-

नगर पंचायत कार्य के C/o channelization of Nallha in Mesrani Mohalla RD 0/00 to 0/17 का कार्य का आवंटन श्री करमचन्द ठेकेदार 18% below HPSR 1999 पर किया। इस कार्य के कोई नये निर्धारित मदें। सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 4/97 पृष्ठ 55-56 की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत ने निर्धारित मदों की अवहेलना करके इस ठेकेदार को राशि रु० 1266/- का अधिक

भुगतान किया गया प्रतीत होता है। विवरण/ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

Item का ब्यौरा	M.B. में लिखी Qty of	निरीक्षणानुसार मिली Qty	अधिक Qty	Rate	अधिक भुगतान
RR masonry/polygonal rubble masonry (uncoursed/brought to course) with hardstones of approved quality in foundation plinth with CC 1:6:12 at plinth level in C.M 1:6.	35.25 m³	33.89 m³	1.36 m³	1135.03 kg	1544.28

अधिक भुगतान = 1544.28.

Less 18% below HPSR 1999 = 277.98

कुल अधिक भुगतान. 1266.30

अत: इस प्रकार इस निर्माण कार्य में उक्त मद में गलत अंकन करके कुल भुगतान राशि रु० (40845.00 − 39579.00) = 1266.00 का अधिक भुगतान किया गया। जिसकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से अथवा सम्बन्धित जेईन कनिष्ठ से करके रा० खजाना शीर्ष में जमा की जावे और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जावे।

(ग) वाउचर सं० 8 माह 12/02 राशि रु० 2,79,148-00
वाउचर सं० 37 माह 10/03 राशि रु० 3,70,141-00.

नगर पंचायत के द्वारा भुगतान M/s Sawoltia Engg. works, Solan को C/o Rehan Basera at Arki के IInd and IIIrd running bill के रूप में किया। इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई।

(1.) बिना Analysis of rates एवं Justification बनाये कार्य का आवंटन अधिक दर (items rates) पर ठेकेदार को करना :-

निदेशालय, शहरी विकास, हि० प्र० शिमला के पत्र सं०: UD-NSDP/EWS-H(3)(7)-1/99-IV दिनांक 15-6-2001 को हि० प्र० की समस्त स्थानीय निकायों को EWS/NSDP के अन्तर्गत Construction of community Infrastructure such as night shelter/ Rehan Basera centre to be used for pre-school education, community toilets and bath etc. के अन्तर्गत अनुमानित लागत का प्रस्ताव भेजने को कहा। इन आदेशों के अनुपालन नगर पंचायत अर्की ने इस कार्य का अनुमान एवं साइट के नक्शे का मानचित्र (drawing) तैयार निदेशालय, शहरी विकास को भेजा, निदेशक शहरी विकास के पत्र सं०: UD-H(C)(10)/96-17743 दिनांक 13-12-01 को C/o Rehan Basera के निर्माण के

जिसमें उन्होंने रु० 7,09,500/- का अनुमानपत्र तैयार कर इसे
नगर पंचायत कार्यों को भेजा। इस० निर्माण कार्य
के लिये नगर पंचायत के निविदादाता आमंत्रण
से दिनांक 8-1-2002 को [illegible] Tender Notice
जारी किये बिना नगर पंचायत कार्यों को नजर
ठेकेदारों के निविदायें प्राप्त हुई और ठेकेदार दर
कम भी इस० कार्य M/s [illegible] Samarttha
Engg. works, Solan को निविदा, जारी विभाग के
पत्र सं० नप-3809 दिनांक 7-03-2002 से अनुमति
प्राप्त करके दिनांक 13-3-02 को NPA/Tender/
2002-2667/0271 के द्वारा कार्य करने हेतु award
letter जारी कर दिया गया। जबकि कार्य पूर्ण करने
की अवधि जो Tender Notice के दिनांक जारी की के
अनुसार 6 माह रखा गया लेकिन समय बढ़ोतरी
का कोई प्रावधान नहीं किया।

ठेकेदार को [illegible] Rehan
Bazaar के निर्माण कार्य के आवंटन से सम्बन्धित
अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि जिस
दर पर M/s Samarttha Engineering works, Solan
को कार्य का आवंटन किया गया है निविदा की
के Justification के भीतर है या नहीं, का पता नहीं
चल सका, क्योंकि न० पंचायत के कार्यकारी
अधिकारी द्वारा न तो कार्य के Analysis of rate
बनाये गये और न ही Justification। जिस

Analysis of rate तथा Justification बनाये निर्माण कार्य का आंकलन item wise rate के आधार पर होने को आलोचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः उपर्युक्त संस्थान उक्त निर्माण कार्य के Analysis of rates और Justification स्वयं तैयार करके लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत करें यदि निर्माण कार्य में भुगतान Justification में बाजारी दर से अधिक किया गया है तो उस अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से या फिर सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी से की जाये और उस कार्य का निस्तारण करवाया जाये।

2\. इसी प्रकार Rahan Bawara में पानी की टंकियों के लिये उपर्युक्त संस्थान ने ध्यान के रुपये रु० 3,06,861-10 का अनुमान पत्र बनाया जिसे तकनीकी तौर पर सहायक अभियंता (अधिशासी अभियंता) ने स्वीकृत किया और प्रशासनिक तौर पर किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं करवाया गया। जबकि हि० प्रदेश सरकार के वित्त (Regulation) (विनियम) विभाग के Notification सं० Fin (C) A(3)-25/75 दिनांक 30-3-1996 के अनुसार तीन लाख से ऊपर के अनुमान पत्र पर तकनीकी स्वीकृति अभियंता (selected) ही कर सकता है जबकि Rahan Bawara में पानी की टंकियों के अनुमान पत्र की तकनीकी स्वीकृति उपर्युक्त संस्थान के सहायक अभियंता द्वारा किया गया है जो कि उक्त Notification

के आधार पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान नहीं कर सकता। अतः उन्होंने बिना सक्षम विभागानुसार अधिकारी की स्वीकृति बगैर उक्त निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति व प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके इसको अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करें।

उक्त कार्य को करवाने के लिए नगर पंचायत अर्की ने दिनांक 21-03-03 को Tender Notice जारी किया जिसमें उक्त कार्य के निष्पादन के लिए 90 दिन का समय रखा। इस कार्य के निष्पादन के लिए नगर पंचायत में चार न० ठेकेदारों की निविदायें प्राप्त हुई तथा उक्त निर्माण कार्य न्यूनतम दर के हिसाब से M/S Saimbotha Engineering works, Solan को 179.66 % above on HPSR (IPH) 1993 पर आवंटित कर दिया (Award letter No- MC/works/ar- दिनांक शून्य हुआ) निर्माण कार्य के आवंटन से सम्बन्धित फाईल/रिकार्ड पायी गयी।

नगर पंचायत ने Rehan Basera में water – sanitary की फिटिंग का आवंटन भी Saimbotha Engineering works, Solan को percentage rate के आधार पर आवंटित किया गया जोकि राज्य/नगर निगम अंकेक्षण 5/2001 के पृष्ठ 58 से 82 में उक्त कार्य की प्रविष्टि items rates पर कार्य अनुमान तैयार करवा लेने/जोड़े क्योंकि नगर पंचायत इनके द्वारा कार्य का आवंटन बिना analysis of rate and

Justification बनाये बिना तथा जोकि यह नाजायज प्रतिबंधित था है. उप. निदेशक, उन्होंने विभाग [illegible] के पूर्ण इस्तेमाल करने का कार्य करते रहे जोकि कार्य के आबंटन में ही अनियमितता थी है.

3. C/o of Rehan Sarai तथा Providing & fixing water supply and sanitary fitting in Rehan Sarai के करवाने कार्य का एक ही बिल बनवाकर ठेकेदार को भुगतान करना:-

नगर पंचायत ने M/s Sauhota Engg. works Solan को Rehan Sarai के निर्माण का कार्य का आबंटन पत्र सं०: NPA/Tender/2001-2166-2171 दिनांक 13-3-02 को आवंटन किया। जिसके उपरान्त का अनुबन्ध किया गया और दूसरा कार्य Providing & fixing water supply and sanitary fitting in Rehan Sarai का कार्य का आबंटन दिनांक 21-3-02 को उसका किया गया। परन्तु M.B. सं० 5/2001 के पृष्ठ 58 से 82 के ऊपर IIIrd running bill बनाया गया जबकि Rehan Sarai के निर्माण तथा पानी एवं बिजली की फिटिंग के बीच उसे निकालने को मिलाकर राशि रु० 390,141/- का भुगतान किया गया। जोकि अनियमित था। उनके निविदानुसार दोनों कार्य की प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका में अलग-2 से करके ही ठेकेदार को उक्त निर्माण कार्य का

[illegible] Penalty के बराबर रु० बिल का

भुगतान किया जाना अपेक्षित था। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धित कार्यपालक अभियन्ता द्वारा दोनों आवंटित कार्यों की प्रविष्टियाँ M.B. में एक ही जगह करके ठेकेदार को अनुचित लाभ-देने की कोशिश की गई है, क्योंकि Rain Basera के निर्माण के कार्य को पूर्ण करने के लिये Tender notice में 6 माह का समय दिया था तथा Award letter के अनुसार 6 माह का समय दिनांक 13-3-02 के 15 दिन के बाद जारी हो जायेगा जिसके अनुसार ठेकेदार द्वारा इस निर्माण कार्य दिनांक 27-9-02 तक पूर्ण किया जाना था जबकि IInd running bill के अनुसार Rain Basera का निर्माण कार्य 2-07-03 तक भी पूर्ण नहीं हुआ था जबकि ठेकेदार यदि कार्य 27-9-02 तक Complete नहीं करता तो प्रतिदिन 1% के हिसाब से Penalty लगायी जानी अपेक्षित थी। यही कारण था कि सम्बन्धित कार्यपालक अभियन्ता तथा तकनीकी अधिकारी ने ठेकेदार को Award letter में दी Penalty की शर्त में इस राशि का भुगतान न करना पड़े इसलिए ग्रा० विकास के कार्यपालक अभियन्ता और तकनीकी अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका में एक ही जगह दोनों कार्यों की प्रविष्टि IInd running bill में दर्ज करके ठेकेदार को Penalty से बचाया तथा बिना भुगतान किया। अतः निवेदन, इसकी निष्पक्ष जाँच

मामले में कहीं गई आपत्तियों के मद्देनजर रखते हुये, सम्बन्धित कार्यवाही की कृपा करें तथा ठेकेदार द्वारा Rehan Reserve के निर्माण को 6 माह के भीतर पूर्ण न करने पर जितने दिन अधिक लगाये हैं उसकी वसूली 1% प्रतिदिन के हिसाब से Tender Notice में दिखाये राशि रू० 8,83,052 पर करें। क्योंकि उक्त निर्माण Award Letter में दी तिथि के 15 दिनों के पश्चात दिनांक 29-9-02 को पूर्ण करना अनिवार्य था जबकि M.B पुस्तिका संख्या 5/2001 के पृष्ठ 27 पर उक्त कार्य की दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार ठेकेदार ने कार्य दिनांक 10-6-03 को पूर्ण किया जिसके फलस्वरूप प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड की राशि रू० (378 × 883052 × 1/100) = रू० 33,37,936-56 बनती है जो ठेकेदार से वसूल करने का अधिकारियों/कर्मचारियों को भी आदेश जिन्होंने ठेकेदार के द्वारा देरी से कार्य पूर्ण करने पर कार्यवाही नहीं की। इस लिए यदि ठेकेदार ने समय बढ़ोतरी हेतु कोई आवेदन दिया है तो उसकी सहित पूर्ण रखें। निदेशालय शहरी विकास को प्रस्तुत करें।

(उक्त निर्माण कार्यों के Tender Notice, Award Letters, की फोटो प्रतियाँ साथ संलग्न हैं।

(उ) अ०प० द्वारा ठेकेदार को जारी किये सरिये की वसूली किस दर से कम करने पर राशि रु० 1127.00 का अधिक भुगतान :-

Rehan Basera के निर्माण के IInd running bill :- से सम्बन्धित M.B.No-5/2001 पृष्ठ 30 से 40 तक की प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया कि अ०प० ने IInd running bill में ठेकेदार को जारी सरिये की वसूली किस दर से की है वे कम वसूली करके ठेकेदार को बिल का ज्यादा भुगतान किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

किस दर से सरिये की जो वसूली करनी है।

8 mm Ø 351.84 kg @ 17.22 = 6059-00
10 mm Ø 1936.95 kg @ 17.32 = 33547-97
12 mm Ø 1303.20 kg @ 17.11 = 22297-75
16 mm Ø 770.85 kg @ 17.22 = 13274-00
20 mm Ø 1292.74 kg @ 16.90 = 21847-00
95125-72
Say 95126-00

किस दर से सरिये की जो वसूली की गयी (M.B. पृष्ठ - 40)

8 mm Ø 351.84 kg @ 17.22 = 6059-00
10 mm Ø 2006.44 kg @ 17.32 = 34751-00
12 mm Ø 1056 kg @ 17.11 = 18068-00
16 mm Ø 770.85 kg @ 17.22 = 13274-00
20 mm Ø 1292.74 kg @ 16.90 = 21847-00

कुल वसूली = 93999-00

कम वसूली राशि रु० = 95126-93999-00 = 1127/-

अतः ठेकेदार से अथवा सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी से राशि रु०(2445 + रु० 1127) = Rs. 3572.00 की वसूली करके ग्रा०पं० निधि में जमा की जावे और अनुपालना से निदेशालय ग्रामीण विकास को अवगत करवाया जावें।

(सं.2) निर्माण कार्य में काम लिये गये सीमेंट के खाली कट्टों की वसूली न करने पर राशि रु० 770-00 का वित्तीय नुकसान।-

ग्राम पंचायत क्षेत्र के Kitchen Shed के निर्माण के लिये सीमेंट ठेकेदार को स्टोर से जारी किया गया। परन्तु ग्रा०पंचायत ने न तो ठेकेदार से खाली कट्टों की वसूली की और न ही इसकी कीमत की वसूली राशि रु० 1/- प्रति कट्टा की। जिसका विवरण निम्नलिखित है।

M.B. पृष्ठ	सीमेंट कट्टों का विवरण	कीमत	कुल राशि जो वसूली जानी है
5/2001 पृ०-18	480 bag	1-00	480-00
पृ०-40	120 bag	1-00	120-00
पृ० 81	170 bag	1-00	170-00
		कुल योग राशि	770-00

इस प्रकार से राशि रु० 770-00 की वसूली करके ग्रा० पं० निधि में जमा की जावे व अनुपालना से निदेशालय ग्रामीण विकास को अवगत करवाया जावें।

[illegible] जावे। [illegible] आवंटित

[illegible]

(31) Rehau Basera के पानी एवं सैनेटरी के fitting कार्य में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिये मदों का निष्पादन करना :-

Rehau Basera भवन/फ्लैटर में पानी व सैनेटरी की फिटिंग से सम्बन्धित ठेकेदार के बिल की जांच सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 5/2001 पृष्ठ 58 से 81 में की प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि ठेकेदार ने Rehau Basera भवन में पानी व सैनेटरी की फिटिंग में कुछ एक ऐसे मदों का निष्पादन किया जो N.I.T में नहीं रखे गये। और न ही इन —— निष्पादित अतिरिक्त मदों की स्वीकृति सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी से प्राप्त की गई प्रतीत होती है, क्योंकि इनसे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख सम्बन्धित पत्रावली में नहीं पाये गये। अत: ठेकेदार द्वारा जो अतिरिक्त मदों का निष्पादन, जिनका विवरण N.I.T में नहीं है, औचित्यपूर्ण स्वीकृति आगामी लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत करने का लिये इन —— मदों के भुगतान की वसूली ठेकेदार से करके न० पंचायत विधि के नियमों की अनुपालना के निर्देशानुसार राशि विभाग को अवगत करवाया जावे। कार्य में जो अतिरिक्त मद extra items/substitute items का

निष्पादन किया गया है इसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

मदों का ब्योरा	Qty	दर	कुल राशि
P/L in trenches C.I pipe class 'B' earth work in trenches & jointing of pipe to be measured & paid for separately. 75 mm Ø Nominal dia meter.	42.80 sqmt	250-00	10,700
P/L Double Socket C.I band 80 mm Ø	12-00 No.	351-00	4,212
P/L All sockets C.I. tees 80 mm Ø	16 No.	455-00	7,280
P/L C.I collar (C.C) 100 mm Ø.	13 Nos.	336-00	4,368-00
80 mm Ø	19 Nos	276-00	5244-00
Providing lead caulked joints in specified bore on C.I pipes. 80 mm Ø	55 No	37-00	2035-00
80 mm Ø	48 No.	32-90	1579-00
Providing & fixing PVC/HDPE water storage tank. 2 No. 1000 Ltr.		300	6,000-00
Cutting chase in stone/brick masonary for fixing sand CI/C.I pipe. with CM 1:3	30 Nos	25-00	750-00

(ग) वाउचर सं० 11 माह 6/2003 राशि रु० 63605-00.

अ०वि०के उक्त भुगतान M/s Samlotha Engineering works Solan को special repair of damaged sewerage line in ward no-7 Nagar Parishad Solan. के कार्य के निष्पादन बिल के बदले में किया गया। निर्माण कार्य के अंकेक्षण के निष्पादन में निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गयी।

1. बिना प्रशासनिक स्वीकृति लिये कार्य का निष्पादन करवाना।

अ०पं० ने Special repair of damaged sewerage line in ward no-7 के निर्माण कार्य को करवाने के लिये राशि रु० 59,008/- का अनुमान पत्र बनाया गया जोकि तकनीकी तौर पर स्वीकृत करवाया गया परन्तु प्रशासनिक तौर पर स्वीकृत नहीं करवाया गया जोकि अनियमित था। बिना पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति लिये कार्य का निष्पादन करवाना व इस पर हुये व्यय राशि रु० 63,605 के भुगतान को नियमित नहीं माना जा सकता। अतः अनुमान पत्र को प्रशासनिक तौर पर स्वीकृत करवाया जाये व आगामी अंकेक्षण में अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

2. बिना Analysis of rates व Justification बनाये कार्य का अंकन items rates पर ठेकेदार को आबंटन करना:-

अ०प० ने special repair of damaged sewerage line in ward no-7 के

निर्माण कार्य का आवंटन M/s Samoltha Engineering works Solan को उनके द्वारा निविदा में दर्ज item rates पर बिना Analysis of rates and justification बनाये आवंटित कर दिया जबकि H.P. water rates के अतिरिक्त कोई भी निर्माण कार्य ठेकेदार को आवंटित करने से पूर्व NIT से हटकर मदों के Analysis of rates व इनके अनुसार कार्य की justification बनायी जानी अपेक्षित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ठेकेदार को जिन दरों पर निर्माण कार्य का आवंटन किया गया है वे Justification में आई दरों के भीतर है ताकि कार्य करवाने में कोई वित्तीय हानि तो नहीं हो रही, सुनिश्चित हो सके। अतः बिना Analysis of rates व Justification बनाये ठेकेदार को special repair of damaged sewerage line in ward No-7 के कार्य का आवंटन करने बारे अपना औचित्य आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें और इसके साथ-2 उक्त निर्माण कार्य के Analysis of rates व Justification तैयार की जाये यदि निर्माण कार्य का आवंटन Justification में आई दरों से अधिक है तो अधिक दर से की गई भुगतान की वसूली दोषी अधिकारी/कर्मचारी से की जाये व अनुपालना से लेखापरीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

(30) बिना संशोधित अनुमान पत्र बनाये स्वीकृत अनुमान पत्र से स्वीकृत रुपये रु0 59008/- से अधिक भुगतान करना।

नगर पंचायत से Special repair of damaged sewerage line in ward no 7 के कार्य के लिये रुपये रु0 59008/- का अनुमान पत्र तकनीकी एवं प्रशासनिक तौर पर स्वीकृत किया गया था। जबकि उक्त कार्य के बाद रुपये रु0 74132/- का व्यय हुआ। इस प्रकार नगर पंचायत ने बिना संशोधित अनुमान पत्र बनाये रुपये रु0 15124/- का अधिक भुगतान किया जो कि अनियमित था। अतः उक्त निर्माण कार्य में हुये अधिक व्यय को नियमित करने के लिये उक्त निर्माण कार्य का संशोधित अनुमान पत्र बनाया जाये व सक्षम तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जाये।

(31) Award letter में उक्त कार्य के लिये दिये समय से अधिक समय लेकर कार्य पूर्ण करने पर निर्माणकर्ता ठेकेदार को Penality न लगाना।

उक्त निर्माण कार्य के Ist - final bill की जांच सम्बन्धित M.B. No-5/2001 पृष्ठ 46 से 50 में की प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा जब उक्त कार्य की Record entry की तिथि- 24[illegible]

को ने उक्त समय Date of completion में निर्माण कार्य को in progress दिखाया है जबकि Award letter के अनुसार उक्त निर्माण कार्य के लिये 60 दिन का समय उक्त टेन्डरिंग के Award letter जारी किया गया था, तब से दिया गया था। ठेकेदार को Award letter दिनांक 24-8-2002 को जारी किया गया था और ठेकेदार ने दिनांक 24-8-2002 को Award letter प्राप्त किया जिसके अनुसार उक्त निर्माण कार्य दिनांक 23-10-2002 को समाप्त/पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था जबकि M.B. सं० 5/2001 पृष्ठ 46 में कार्यपालक अभियंता ने दिनांक 21-12-02 को Record entry की तब कार्य in progress दिखाया है, जबकि उक्त निर्माण कार्य की अवधि में कहीं भी ठेकेदार ने extension of time का आवेदन नहीं किया है, अतः देरी से कार्य समाप्त करने के फलस्वरूप ठेकेदार के विरुद्ध M.P. Municipal works Rules, 1973 व Tender में दी शर्तों के अनुसार कार्यवाही करना की जानी चाहिए और की कार्यवाही की जानकारी, रिपोर्ट विभाग को अवगत करवाया जावे।

... Justification

(126)

(३) बाउचर सं० 12 माह 2/98 राशि रु० 16,897-00
बाउचर सं० 13 माह 2/98 राशि रु० 24,772-00

स०लेखाधिकारी श्री ने इस भुगतान ठेकेदार श्री Sudarshan Singh को c/o V shape drain in Bengali Mohalla तथा Mohalla Mirzapur के निर्माण कार्य के बदले में किया। निर्माण कार्य में निम्नलिखित अनियमिततायें पायी गयीं।

(1) निर्माण कार्य का अनुमान-पत्र बनाये बिना कार्य का निष्पादन कराया:-

स०लेखाधिकारी श्री ने c/o V shape drain in Bengali Mohalla and Mohalla Mirzapur का कार्य ठेकेदार से बिना Drawing व अनुमान पत्र बनाये कराया। ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि इसके पत्रावलियों में भी अनुमान पत्र व Drawing अभिलेखों में नहीं रखे गये। जबकि उ०प्र० ... works order के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य को कराने से पूर्व उस कार्य की Drawing व अनुमान पत्र बनाया जाता है तथा उसे तकनीकी व प्रशासनिक तौर पर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराया जाता है। परन्तु स०लेखा० ने उक्त निर्माण कार्य में बिना औपचारिकतायें पूरी किये उक्त निर्माण कार्य ठेकेदार से कराया जोकि नियमों की स्पष्ट अवहेलना है। जिसकी औपचारिकतायें पूरी करके सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराया जाये और

आपत्ति संपरीक्षा के दौरान प्रस्तुत किये जायें।

(2) बिना Analysis of rates एवं Justification बनाये निर्माण कार्य का आवंटन ठेकेदार को जाना:-

के० एस० पटेल नगर निगम नियमों के अनुसार कोई भी निर्माण कार्य ठेकेदार को आवंटन करने से पूर्व उक्त कार्य का Analysis of rates एवं Justification तैयार की जाती है ताकि यह पता चल सके कि ठेकेदार को निर्माण कार्य का आवंटन Justification के आधे प्रतिशत के भीतर ही आवंटन किया जा रहा है और उस कार्य से कोई वित्तीय हानि नहीं है। जबकि न०पा० द्वारा के C/o U shape drain in Aarasi Mohalla & Mohalla Meerpur का कार्य ठेकेदार को ठेकेदार द्वारा निविदा में भरे न्यूनतम दर के आधार पर आवंटन कर दिया। जो कि नियमों की स्पष्ट अवहेलना है। अतः नियमों की अवहेलना करके कार्य का निर्माण करवाना औचित्यपूर्ण को मान्य नहीं है। अतः उक्त निर्माण कार्य के Analysis of rates तथा Justification तैयार की जाये तथा आगामी संपरीक्षा के दौरान प्रस्तुत की जाये। ताकि यह विदित हो सके कि न०पा० द्वारा ठेकेदार से करवाये इस निर्माण से कोई वित्तीय नुकसान तो नहीं हुआ।

... करवाया जाए।

(3) बिना तकनीकी अधिकारी के Test check करवाये ठेकेदार को भुगतान करना:

C/o U shape drain in Sarai Mohalla and Mohalla Miranpur के निर्माण कार्य के भुगतान ठेकेदार को भुगतान माप पुस्तिका सं0 1/17 पृष्ठ 42 से 43 तथा 44 से 45 व 46 से की प्रविष्टियों के सापेक्ष को सक्षम अधिकारी से Test check नहीं करवाये किया गया। जो कि नियमानुसार नहीं है। अत: निर्माण कार्य की प्रविष्टियां माप पुस्तिका में किये गये मदों को सक्षम अधिकारी से Test check करवाया जाये तथा आगामी लेखा-परीक्षा के दौरान प्रस्तुत करें।

(4.) माप पुस्तिका में उक्त निर्माण कार्य के जो मद निष्पादित किये गये दिखाये गये हैं उनका अवलोकन करने पर पाया गया है कि तुलनात्मक वे मद Building निर्माण या retaining wall के निर्माण के दौरान किये जाते हैं। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि C/o U shape drains के कार्य के लिये मदों का निष्पादन ठेकेदार को अनुचित लाभ देने के लिये किया गया। जिसकी जांच तकनीकी सक्षम अधिकारी से करवायी जाये और वास्तविकता से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ज) वाउचर सं० 2 माह 4/98 राशि रू० 14909/-.

उक्त संभागत कार्यों के एक भुगतान वैतनिक श्रेणी कर्मचारियों और मस्टरोल के द्वारा C/o Pucca Nallah at Khadyala के निर्माण कार्य निष्पादित तौर पर करवाने के Verification किया। भुगतान में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी।

(1) मस्टरोल पर स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या पर मैसन व मजदूरों को रखकर राशि रू० 1796/- का अनियमित भुगतान.

C/o Pucca Nallah at Khadyala के निर्माण कार्य के लिये सक्षम अधिकारी ने मस्टरोल सं० 366/98 जारी किया गया जिसमें एक मैसन एवं 4 मजदूर रखने की अनुमति दी गई जबकि तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता ने उक्त योजना को करवाने के लिये मस्टरोल पर दो मैसन व [illegible] मजदूरों को रखकर निर्माण कार्य करवाया। इस प्रकार बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के एक मैसन की अतिरिक्त नियुक्ति करके राशि रू० 1796/- का अनियमित भुगतान किया गया। अतः इस राशि के अनियमित भुगतान को नियमित करवाने के लिये इसकी कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाये अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता से करके रा० कोष में जमा की जाये और अनुपालना से सम्बन्धित अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(2) अतहटोल से रुपये 2.0 78-00 का अधिक भुगतान.

उक्त मदहोल के संवत्त्थापन माप पुस्तिका सं० 1/27 के पृष्ठ 47-48 से जो प्रविष्टियाँ की गई हैं कि जांच करने पर मात्रा-नाल के अनुपलब्ध कार्येटर कागपत्रा के कुछ मदों में दर कायम लगा कर निर्माण कार्य की प्रगति दिखाई है। जिसके फलस्वरूप रुपये 2.0 78/- का अधिक भुगतान किया जाना प्रतीत होता है जिसका विवरण निम्न प्रकार रहे हैं:-

मद का ब्यौरा	मात्रा	स्वीकृत्य दर	रुपये
P/L C.C. 1:2:4 stone aggregate ... running complete in foundation & plinth	7.54 m³	56.40 P.cu	538.05
Excavation in drain channel etc.	187.38 m³	11.25 P.cu	2108.37
Stone soling properly hand packed.	8.64 m³	17.70 P.cu	152.97
P/L cement concrete 1:4:8.	4.32 m³	54.20 P.cu.	234.14
Foundation rubble masonry with properly hand packed in foundation & plinth with c. mortar 1:6 each with c.c. 1:6:12	8.44 m³	91.20 P.cu.	769.73
Zero. ladder deputed for work.	60 days	12.00	720.00
		total	4519.86
		10% overhead charges.	451.98
			4971.84

जोड़

56 x 38.45 = 2153.20

253 x 33.75 = 8646.10

14831.83

Say 14831.00

संवेदक को जो भुगतान किया गया = 14904.10

संवेदक को जो भुगतान बनता है = 14831.00

अधिक भुगतान 73.10

अतः संवेदक पर किये गये अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित कार्यपालक अभियन्ता को करते हुए सं. विपत्र में जमा की जावे और अनुपालना से उन्हें अंकेक्षण को अवगत करवाया जावे।

(3) उक्त निर्माण कार्य में उपयोग की गई सामग्री को लेखा संघ पुस्तिका के Consumption statement बनाकर MAS रजिस्टर के Reconciliation के प्रति किया गया दिखाया है, जबकि नियमानुसार निर्माण कार्य में उपयोग की गई सामग्री की Consumption statement PWF&AR के और Consumption of Materials Chapter-23 के [illegible] आधार पर बनाकर उतनी ही सामग्री उपयोग की जानी अपेक्षित होती नियमानुसार बनती है, अतः उक्त निर्माण कार्य की consumption statement बनाई जाकर तथा आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जावे।

(घ) वाउचर सं० 79 माह 6/09 राशि रु० 10,675/-

नगर संचालन के उक्त भुगतान

नियमित तौर पर कराये कार्य C/o Drain/Nallaha under NSDP work के तहत सत्यापित कर उसे टैक्निकल सेल ऑफ अधिकारियों को भेजा गया। जिसे निम्नलिखित अनियमिततायें पायी गयी।

(1) टैक्निकल सेल ऑफ अधिकारियों को भुगतान करने के लिये अनियमित ढंग से भुगतान दिखाकर राशि रु० 4205.00 का अधिक भुगतान होने की सम्भावना :-

C/o Drain/Nallaha under NSDP work के बारे मापी की प्रविष्टियों की जांच सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 2/07 पृष्ठ 56 से 59 पर करने पर पाया गया कि सम्बन्धित कनीय अभियन्ता द्वारा कुछ मद मापी की प्रविष्टियाँ अधिक मात्रा में दिखाकर कर दिये ऐसी प्रविष्टियाँ की गई जो उक्त निर्माण कार्य में उपयोग नहीं की गई। जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

(1) Cement Plastering 20 mm in single coat on fair side of brick concrete/masonary work smooth 1:6 के मद में 86.50 Sq. mtr के कार्य कराया गया दिखाया गया जबकि cement concrete का कार्य केवल 56.09 Sq. mtr में ही कराया गया था। अतः इस प्रकार 30.41 Sq. mtr से cement plastering का अधिक कार्य कराया गया दिखाया जिसके फलस्वरूप राशि रु० 675.75 की अनुमानित अधिक

अतः उपरोक्त से देखने वाले मदों के अनुसार रुपये रु० 4205.00 की अधिक भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:

क्रम सं०	रुपये
1	675.75
2	36.79
3	1912.50
4	2046.50

कुल अधिक भुगतान = 4671.73

Less 10% : 467.17

कुल अधिक भुगतान = 4204.56 Says Rs. 4205.00

जिसकी वसूली सम्बन्धित से करके रु० रु० निधि में जमा की जाये अन्यथा उसे नियमित करवाया जाये तथा की गई कार्यवाही से आगामी संप्रेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(2) बिना Consumption of statement बनाये तथा MAS register से सामग्री को सीधे निर्माण कार्यों को जारी करना:-

नगर निगम के कनिष्ठ अभियन्ता से उक्त निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली सामग्री को बिना Consumption of statement बनाये जारी कर दिया गया अनियमित है। जबकि नियमानुसार किसी भी

दिखायी गयी। जिसका विवरण निम्नलिखित है।

जितनी adj मापित दिखायी गयी = 30 R. mtr.

दर = x 5.30 per R. mtr

159-00

+ 325% Premium. 516.75

Total 675.75

(2) Providing mild steel / tor steel reinforcement for RCC work including bending, binding and placing in position complete upto floor two level (tor steel) के मद में उक्त कार्य मापित धनराशि दिखायी जिसका विवरण निम्न प्रकार गये हैं।

जितनी मात्रा M.B. में दिखायी	जितनी मात्रा भौतिक सत्यापन करते हैं	अधिकमात्रा
64.45 Kg	51.06 Kg	13.39 Kg

rate = 0.65 Per Kg

Total 8.70

Add 325% = 28.29

अधिक भुगतान 36.99

(3) इसी प्रकार इस निर्माण कार्य की भुगतान में अतिरिक्त धनराशि के Extra carriage of material 100 mtr away from the road का मद दिखाया है जबकि शिड्यूल रेट एवं MPSR के अनुसार the labour rates include the re-handling charges of materials within 100 mtr होते हैं। अतः इस

कार्य की प्रगति को पूरा करने के लिये इस मद की देखभाल जोकि आवश्यक नहीं है। अतः इस प्रकार अंकित मद दिखा जा सकते। रु0 1912.50 की अधिक प्रगति दिखायी गई। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

मद की दिखायी गयी राशि रु0	450-00
Add premium 325% = रु0	1462-50
कुल अधिक प्रगति =	1912-50

(41) उक्त कार्य की प्रगति को पूरा करने के लिये अधिशासी अभियन्ता ने निम्नलिखित मदों को दिखाया जबकि C/O casual/baldars under MSDP work से कहीं भी नहीं लगाये गये। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

(a) 2 no. baldar deputed for maintenance of various works for 10 days i.e. 20 day x 12 rate per day =	240-00
(b) 1 no. baldar deputed for maintenance of street light for 10 days. i.e. 10x12 =	120-00
(c) 1 no. baldar deputed for parks for 10 days i.e. 10x12 =	120-00
Total =	480-00
Add 325% =	1566-50
अधिक प्रगति =	2046-50

निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली सामग्री विश्लेषण मदों की Consumption of material के आधार पर MAS Register से [illegible] उपयोग किया जाना दिखाया जाना था। अतः उक्त निर्माण कार्य की नियमानुसार Consumption of material तैयार की जावे और आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जावें।

(3) M.A.S. रजिस्टर से ऐसी सामग्री के निर्माण कार्य के लिये जारी करना जो कार्य में उपयोग नहीं हो सकती थी:-

निर्माण कार्य की स्वीकृत [illegible] व्यय पत्रिका सं0 2/97 पृष्ठ 56 से 59 के हिसाबी उपयोग सामग्री में निम्नलिखित सामग्री की खपत को दिखाया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Plug :	2 No.
Union :	3 No.
wheel valve ½" :	1 No.
Nipple ½"x6" :	3 No.
G.I. pipe :	5 No.
wheel value 2" :	1 No.
Fxa Nipple 2" :	2 No.
Nipple ½"x4" :	1 No.

टिप्पणी

यह सामग्री MAS रजिस्टर पृष्ठ 141 द्वारा जारी की गई दिखायी है।

उपरोक्त सभी Item Sanitary से सम्बन्धित हैं और [illegible] item C/o of drains/Nallah under NSAP में कहीं भी की गई

नहीं दर्शायी है जिसमें उक्त सामग्री का उपयोग हुआ है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त दर्शायी गयी सामग्री का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी छानबीन अपने स्तर पर की जावे और सम्बन्ध से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जावें।

421 of 2/99 A-1151 8324-00 7874-00 450-00

20(क) बिजली के बिलों के भुगतान में अनियमिततायें:-

बिजली के बिलों में अधिभार राशि रू० 803-00 का अनियमित भुगतान :-

म०प० में माह 2/99 में A/C No- A-119 व A-1151 के बिजली के बिलों का भुगतान विलंब से अधिभार के साथ किया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

वाउचर/माह	Account No.	बिजली के बिल का भुगतान किया गया	बिजली के बिल का औसत भुगतान बिना अधिभार	अधिभार का अधिक भुगतान
420 दि० 2/99	A-119	6894-00	6541-00	353-00
421 दि० 2/99	A-1151	8324-00	7874-00	450-00
			अधिभार का भुगतान	803-00

बिलों के भुगतान से सम्बन्धी अभिलेखों से कहीं भी ऐसा स्पष्ट नहीं होता कि बिलों को Due Date से जमा न कराकर देरी से जमा कराने का क्या कारण था। अत: बिजली के बिलों को Due Date में जमा न कराकर Due Date के बाद जमा कराने पर जो राशि रू० 803-00 का अधिक भुगतान अधिभार के रूप में विद्युत विभाग को करना पड़ा इसकी वसूली सम्बन्धित दोषी अधिकारी / कर्मचारी से

नगर पंचायत निधि में जमा किये जावें तथा अनुपालना की आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जावें।

(27) **बिजली के बिलों में बकाया राशि रु॰ 16,331-00 के उपर भुगतान करना :-**

नगर पंचायत ने माह 1/2001 व 10/2001 में बिजली के बिल खाता सं॰ A-119, व A-1151 का भुगतान बकाया राशि के सहित किया। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वा॰ सं॰/माह	बिल खाता सं॰	बिल का भुगतान जो बकाया राशि के साथ किया	बिल का भुगतान बिना बकाया राशि के	बकाया राशि जो भुगतान किया।
249/1/2001	A-119	8002-20	4774-20	3228-00
250/1/2001	A-1151	8629-00	4707-00	3922-00
1529/10/2001	A-1151	12107-00	6237-00	5870-00
1530/10/2001	A-119	6992-00	3681-00	3311-00
				16,331-00

बिजली के बिलों में बकाया राशि किस ... बकाया भुगतान की जानकारी है न तो विद्युत विभाग ने बिलों में दिखाया है और न ही नगर पंचायत ने विद्युत विभाग से पता करने की कोशिश की और न॰ पंचायत

से बकाया राशि सहित बिजली के बिलों का भुगतान कर दिया जिसमें राशि रु० 16,331-00 का भुगतान बकाया रूप में किया जो अनियमित है। अत: नगर पंचायत विद्युत निगम से पत्राचार करके पता लगाये कि बिजली के बिलों में बकाया किस से सम्बन्धित है जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

(झ) वाउचर सं० 159 अक्टूबर 10/01 राशि रु० 90-00
वाउचर सं० 160 अक्टूबर 10/01 राशि रु० 90-00

न० पंचायत कार्यों के हेतु भुगतान ट्रैक्टर नं० — HP-11-0888 के ट्रायर चैम्बर को ठीक करवाने के हेतु से — पर भुगतान M/s R.K. Automobiles को किया। भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि ट्रायर चैम्बर के बिलों की प्रविष्टि न तो सम्बन्धित लॉग बुक में की गई और न ही ट्रैक्टर के मुरम्मत रजिस्टर में। अतः बिना बिलों की प्रविष्टि के भुगतान राशि रु० 180/- को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
इसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके न० पंचायत निधि में जमा करवायी जाये।

(ञ) वाउचर सं० 80 X माह 3/05 राशि रु० 255-00
वाउचर सं० 80 XI माह 3/05 राशि रु० 45-00

उक्त राशि का भुगतान M/s Manas Motors Arki को, (ट्रैक्टर सं०- HP-11-0888 के) ग्रीस, मोबिल आयल व एक बोतल Battery water (डलवाने) के हेतु से किया। जबकि भुगतान से सम्बन्धित बिलों की प्रविष्टि सम्बन्धित ट्रैक्टर की लॉग बुक में नहीं पाई गई। बिना प्रविष्टि के भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः राशि रु० 300/- की वसूली सम्बन्धित दोषी से करके न० प० निधि में जमा की जाये तथा

अनुपालना की आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जावें।

(३०) वाउचर सं० 93 (VIII) अप्रैल 3/05 राशि 6028-00

ग्रा० पंचायत ने इस भुगतान M/s Manas Motors Arki को ट्रैक्टर सं० HP-11-0888 की मुरम्मत के लिये दिये। भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि मुरम्मत में ट्रैक्टर में Silter plate व Benjo bold with washer डलवाये गये परन्तु इनकी प्रविष्टि न तो सम्बन्धित स्टॉक बुक में दर्शायी गयी और न ही इनको सत्यापित करके ...... मुरम्मत रजिस्टर बनाया गया। अत: बिना बिल की प्रविष्टि के इस भुगतान को नियमित/उचित नहीं ठहराया जा सकता। जिसकी वसूली सम्बन्धित दोषी से करके ग्रा०परिषद निधि में जमा करवायी जावे और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जावे।

(ग) वाउचर सं० 63 दिनांक 24-8-2 राशि 60185.36/- रुपये

स०अं. ने हुक्म मुताबिक आनन्द कोटो होरेर अहमदाबाद और सिमेंट से ट्रेक्टर सं०-MP-11-0883 की मुरम्मत के मद किया। जिसमें निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गईं।

(1) अ० संभाग ने ट्रेक्टर सं० MP-11-888 की मुरम्मत आनन्द कोटो मद्रोर की कुटेशन दरों के आधार पर फर्म के भाजित इस अनुमान के [illegible] स्वीकृत करवायी गई। जबकि हि०प्र० वित्तीय नियमावली स्टोर्स कोड की धारा 170(4) के अनुसार राशि रु०1,000/- से अधिक के व्यय पर निविदायें आमंत्रित की जानी थी। बिना निविदायें आमंत्रित किये उक्त ट्रेक्टर की मुरम्मत के व्यय को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। इसे सरकार से स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाये और आगामी लेखा-परीक्षा के दौरान प्रस्तुत करें।

(2) ट्रेक्टर की मुरम्मत से पूर्व अधिशासी अभियन्ता ने हि० प्रदेश लोक निर्माण विभाग के वर्कशाप अधिकारी से न तो उक्त ट्रेक्टर की मुरम्मत करवाई और न ही इसका तकनीकी जाँच प्रमाण पत्र लिया गया न ही उसका कोई अनुमान पत्र बनवाया गया। जबकि नियमानुसार ट्रेक्टर की भारी मुरम्मत करवाने के लिये हि०प्र० लोक निर्माण विभाग के यांत्रिक उचित अधिकारी से रिपोर्ट

जानी अपेक्षित थी। जिसे स० प० द्वारा नहीं किया। जिसके
लिये जिम्मेदारी निर्धारित कर की जावे।

3.) ट्रैक्टर की दुकान की रसीद से पता चलता है कि उक्त ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसके फलस्वरूप उक्त ट्रैक्टर का 30% नुकसान हुआ। नोटिस में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ट्रैक्टर किन कारणों से दुर्घटनाग्रस्त हुआ अतः नियमानुसार ट्रैक्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच की जानी अपेक्षित थी तथा उसकी F.I.R दर्ज की जानी अपेक्षित थी ताकि दुर्घटनाग्रस्त वाहन का मुआवजा सम्बन्धित Insurance कम्पनी से लिया जा सके। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि स० संचालक, उनके द्वारा नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं की और न ही उसके नुकसान के मुआवजे के लिये सम्बन्धित Insurance Co. से कोई पत्राचार किया गया जिसके लिये सम्बन्धित कर्मचारी / अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया जावे और नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

4.) ट्रैक्टर की मरम्मत से सम्बन्धित नोटिस के अवलोकन पर पता चलता है कि स०प० अर्जी के ट्रैक्टर की मरम्मत करवाई गई थी जिसके M/s Anand Auto Store जवाहर रोड, सिरोंज से दिनांक 19-7-02 को कोटेशन प्राप्त की तथा उसके दो कोटेशन M/s Pullest machinery Store Nalagarh Road Pinjore व Gupta and Company Nalagarh

Ford Receipt को दिनांक 16-7-02 को दर्शाते की। उनके अनधिकृत कार्यवाही से दिनांक 11-7-02 को M/s Anand Auto Store को ट्रैक्टर की दुकान का अनुमोदन प्रदान एवं उपलब्ध करा दिया। अतः उक्त प्रकार हुई M/s Anand Auto Store के ट्रैक्टर के भुगतान की स्वीकृति बिना कोटेशन, टेण्डर आदि स्तर पर कम्पेरेटिव स्टेटमेंट दिनांक 10-7-02 को तैयार करके करना जैसा उपर्युक्त स्पष्ट से सन्देहास्पद प्रतीत होती है जिसकी विस्तृत जाँच की जाये अथवा सम्बन्धित प्रकरण की सतर्कता जाँच की जाये ताकि [illegible]ता का पता चलाया जाये। की गई कार्यवाही से निदेशालय, ...ही विभाग को अवगत कराया जाये।

(5) ट्रैक्टर की मरम्मत के दौरान बदले गये कल-पुर्जे आदि का समायोजन की कार्यालय अभिलेखों में स्टाक/कैश मैमो संख्या 556 के पिछले पृष्ठ पर प्रमाण पत्र श्री... द्वारा प्रमाणित किया गया था कि "All the unserviceable material has been hand over to Sh. Krishan, Driver of tractor" किन्तु ड्राईवर द्वारा कोई भी सामान कार्यालय में जमा नहीं कराया और न ही पुराने कल-पुर्जे के बदले जाने से सम्बन्धित को स्टाक रजिस्टर तैयार किया गया था। अत: इस प्रकरण की पूर्ण जाँच की जाये तथा पुराने कल-पुर्जे सम्बन्धित ड्राईवर द्वारा क०... में जमा नहीं कराये जाते तो उनकी कीमत की वसूली नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्ति से जमा की जाये व अनुपालना से आगामी लेखा-परीक्षा को अवगत कराया जाये.

(6) हैण्डलर के भुगतान में कैश बुक पृ० 553 से 556 तक का कुल योग रुपये रु० 14534 + 699 (उप ?%) = रु० 15233 बनता था परन्तु वास्तविक भुगतान रु० 15243/- रुपये का किया गया। इस प्रकार रुपये रु० 10/- का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली करके न० नि० निधि में जमा की जाये।

(7) अभिलेखों के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 21-3-04 को रु० 6,700 रुपये बिल संख्या 10 दिनांक द्वारा की खरीदा, तदनन्तर पत्र सं० 2 को हैण्डलर के अपने दोनों पुराने टायर जमा करने के लिये अभिलेख उप से लिये। परीक्षण आवश्यक लेखा एवं तुलना अंकेक्षण मार्च 2004 से 3/05 तक की समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही बदले गये टायरों/ट्यूबों की प्रविष्टियाँ अंकित पाई गयी जिससे यह अनुमानित किया जा सकता कि हैण्डलर के नये टायर डाले जा चुके हैं, और न ही पुराने टायरों को न० नि० स्टोर में जमा कराया गया। अतः जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नये टायरों की खरीद न करके केवल रुपये का दुर्विनियोजन किया गया है। जिसकी पूर्ण छानबीन करके उत्तर पर वास्तविकताओं से आवश्यक अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

21. ट्रैक्टर की लाग बुक संख्या HP 11-0888

(1) स्थानीय उपमण्डल, अर्की के ट्रैक्टर की लॉग बुक अवधि 1-4-97 से 31-3-2005 तक का अंकेक्षण करते समय पाया गया कि समय-समय पर इसकी मुरम्मत करवाई जाती रही व पुराने पुर्जे, टायर व बैटरी आदि बदले जाते रहे। किन्तु चालक द्वारा इन बदले गए पुराने पुर्जों को कभी भी कार्यालय के भण्डार में जमा नहीं करवाया गया न ही इसके लिए कोई रजिस्टर तैयार की गई थी जिसमें बदले गए कल पुर्जों की प्रविष्टियाँ की जानी अपेक्षित थी, जिन्हें समायोजित करवाया जाए। व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(2) ट्रैक्टर की लॉग बुक के चयनित मासों का अंकेक्षण करते समय पाया गया कि एक मास में ट्रैक्टर कुल 2 से 32 घण्टे चलाया गया जिसके प्रतिघण्टा डीजल की खपत 3 लीटर दर्शाई गई थी, मासिक विवरण निम्न था:

चयनित मास	मास में कुल कितने घण्टे चलाया गया	डीजल की खपत प्रतिघण्टा
		3 लीटर
मास 9/97	= 12 घण्टे	
3/98	= 7½ घण्टे	
4/98	= 32 घण्टे	
2/99	= 6 घण्टे	
6/99	= 6½ घण्टे	
3/2000	= 5 घण्टे	
4/2000	= 5 घण्टे	
1/2001	= 3 घण्टे	
5/2001	= 2 घण्टे	
10/2001	= 5 घण्टे	
8/02	= 7 घण्टे	
12/02	= 3½ घण्टे	
6/03	= 4 घण्टे	
10/03	= 8 घण्टे	
9/04	= 11 घण्टे	
7/05	= 4 घण्टे।	

उपरोक्त दर्शाए गए विवरण से स्पष्ट होता है कि मासिक औसत ट्रैक्टर चलाने की बहुत कम थी। अतः चालक का वेतन, ट्रैक्टर की मुरम्मत व डीजल आदि पर किए गए व्यय व इसके उपयोग को न्यायोचित ठहराया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

22(क) यात्रा भत्ते दावे में अनियमिततायें:-

वाउचर सं० 63 माह 8/02 राशि रु० 1853-00.

अधिक भुगतान रु० 616-00.

स०प० में उक्त वाउचर द्वारा विभिन्न-2 अड्डों पर कथित फील्ड विजिट में राशि रु० 2597/- यात्रा भत्ते दावा का भुगतान श्री ओम प्रकाश कनिष्ठ अभियन्ता को किया।

श्री ओम प्रकाश कनिष्ठ अभियन्ता के यात्रा भत्ते दावे की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी ने T.A. rules के नियमों की अवहेलना करते हुये अनियमित ढंग से दावे रु० 616-00 का अधिक भुगतान प्राप्त किया। जिसकी वसूली सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता से करके क० पंचायत निधि में जमा की जावे तथा अनुपालना से आडिट/निरीक्षण को अवगत करवाया जावे। अनियमित ढंग से किये गये अधिक भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है।

दिनांक	From	To	किलोमीटर	D.A	कटौती योग्य राशि
22-3-02	Panchayat 9 A.M. Arrived 7 P.M.	Ankhi 12 Noon Panchayat 10 P.M.	44 / 44	56	44 कटौती योग्य है।
28-3-02	Panchayat 6 A.M. Arrived 4 P.M.	Ankhi 9 A.M. Panchayat 7 P.M.	44 / 44	56	44 कटौती योग्य है।
		Panchayat - 44 [illegible]			44 कटौती योग्य है [illegible]

Date	From	To	Fare	Total	Remark
19-4-02	Parwanoo 7 Am	Arki 10 Am	— 44-00	56-00	44-00 देना नहीं
	Arki 5 Pm	Parwanoo 8 Pm	— 44-00		
20-4-02	Parwanoo 8 Am	Arki 11 Am	— 44-00	56-00	44-00 देना नहीं
	Arki 6 Pm	Parwanoo 9 Pm	— 44-00		
26-4-02	Parwanoo 7 Am	Arki 10 Am	— 44-00	56-00	44-00 देना नहीं
	Arki 5 Pm	Parwanoo 8 Pm	— 44-00		
27-4-02	Parwanoo 8 Am	Arki 11 Am	— 44-00	56-00	44-00 देना नहीं
	Arki 7 Pm	Parwanoo 10 Pm	— 44-00		
3-5-02	Parwanoo 6 Am	Arki 9 Am	— 44-00	56-00	44-00 देना नहीं
	Arki 4 Pm	Parwanoo 7 Pm	— 44-00		
4-5-02	Parwanoo 7 Am	Arki 10 Am	— 44-00	56-00	44-00 देना नहीं
	Arki 5 Pm	Parwanoo 8 Pm	— 44-00		
10-5-02	Parwanoo 6 Am	Arki 9 Am	— 44-00	56-00	44-00 देना नहीं
	Arki 4 Pm	Parwanoo 7 Pm	— 44-00		
11-5-02	Parwanoo 8 Am	Arki 11 Am	— 44-00	56-00	44-00 देना नहीं
	Arki 7 Pm	Parwanoo 10 Pm	— 44-00		
18-5-02	Parwanoo 9 Am	Arki 12 noon	— 44-00	56-00	44-00 देना नहीं
	Arki 7 Pm	Parwanoo 10 Pm	— 44-00		
19-5-02	Parwanoo 6 Am	Arki 9 Am	— 44-00	56-00	44-00 देना नहीं
	Arki 5 Pm	Parwanoo 8 Pm	— 44-00		

24-5-02	Parwanoo 7 A.M	Arki — 44-00 10 A.M	56-00	44.0 देय नहीं
	Arki 5 P.M	Parwanoo — 44-00 8 P.M		
25-5-02	Parwanoo 7 A.M	Arki — 44-00 10 A.M	56-00	44.0 देय नहीं।
	Arki 5 P.M	Parwanoo — 44-00 8 P.M		

कुल अतिरिक्त भुगतान — 616-00.

उक्त विश्लेषण से पता चलता है कि सम्बन्धित कार्मिक अभियन्ता द्वारा केवल यात्रा दावे को अधिक दिखाने के लिये ऐसा किया क्योंकि T.A rules के अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी को अर्की में ही ठहरना चाहिये था। जिससे इनको 44.00 प्रति दिन के हिसाब किराया इत्यादि दिया है उससे बच सकता। उक्त के अतिरिक्त अन्य मामलों में उक्त कर्मचारी द्वारा ऐसा यात्रा भत्ते दावे प्राप्त किये हैं तो उनको भी वसूली जाये और निदेशालय, शहरी विकास को अवगत करवाया जाये।

(इ) वाउचर सं० 53 माह 8/2002 राशि रु० 75,342

अनियमित भुगतान - रु० 1951-00.

उपर अंकेक्षण में उक्त वाउचर द्वारा विभिन्न-2 मदों पर हुये व्यय का भुगतान किया। जिसमें से श्री जगदीश गुप्ता, सचिव के यात्रा भत्ते हवाई यात्रा रु० 1951/- का भुगतान भी सम्मिलित है। उक्त कर्मियों के यात्रा भत्ते पत्रों की जांच करने पर पाया गया कि श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता, सचिव न०प० गढ़वाली जिनके पास अतिरिक्त भार सचिव न०प० कर्ण का भी था, ने माह 5/02 से 8/02 तक के यात्रा भत्ते पत्रों में अपनी निजी कार इस्तेमाल करके यात्रा भत्ते का भुगतान प्राप्त किया। जोकि अनियमित था। हि० प्र० सरकार के कार्यालय मैमोरैण्डम सं० - FIN-C(B)7-14/98 दिनांक 8-12-98 के पैरा 10 में जारी निर्देशों के अन्तर्गत केवल हि० प्र० सरकार के सचिव/विशेष सचिव/Head of Department जिनका मूल वेतन (Basic Pay) 18,400/- P.M है या उससे अधिक है, वे ही अपनी निजी कार द्वारा यात्रा करने के सक्षम हैं। जबकि सचिव, न०प० देहरा का मूल वेतन 8650/- प्रति मास है अतः वे नियमानुसार अपनी निजी कार से यात्रा करने के हकदार नहीं हैं। अतः सरकार

के निर्देशों के विपरीत अपनी निजी कार से यात्रा करके यात्रा भत्ते दावों का भुगतान प्राप्त किया है। वे देय नहीं है। अतः श्री [illegible] सचिव द्वारा गलत ढंग से प्राप्त यात्रा भत्ते दावे राशि रु0 1951/- की वसूली करके स0 पंचायत निधि में जमा की जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जावें। इसके अतिरिक्त अन्य मामलों में भी सचिव ग्रा0प0 अर्की ने अपनी कार द्वारा यात्रा करके यात्रा भत्ता दावे प्राप्त किये है तो उनकी भी वसूली करके निदेशालय शहरी विकास को अवगत करवाया जावें।

(ग) वाउचर सं० 81 माह 6/99 राशि रु० 39230-00

न०पंचायत ने उक्त भुगतान श्री कन्हैया राम सचिव को बकाया LSG Diploma करने के सम्बन्ध में किया। भुगतान में निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी।

न०पंचायत ने श्री कन्हैया राम सचिव न०पंचायत अर्की को LSG Diploma धारण करने के सम्बन्ध में बकाया राशि रु० 39230-00 का भुगतान अवधि 1/93 से 6/99 तक प्रस्ताव सं०-168 बैठक-कार्य दिनांक 31-5-99 को पारित प्रस्ताव करके किया। जोकि अनियमित था। क्योंकि श्री कन्हैया राम को नगर पंचायत अर्की में सचिव के पद पर माह 1/98 से तैनात किया था और इससे पूर्व दिनांक 1-1-93 से 31-12-97 तक वे क्लास-2 स्थानीय निकायों में रहे। अतः न०पंचायत अर्की से केवल 1/98 से जब तक वे न०पंचायत अर्की में रहे तब तक बकाया राशि का भुगतान किया जाना था तथा 1-1-93 से 31-12-97 तक किन निकायों के प्रमाण के राशि रु० 25,873/- (रु०39230-रु०13357) के भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता। जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जाये। और अवधि 1-1-93 से 31-12-97 के बकाया राशि का भुगतान उन स्थानीय निकायों से

प्राप्त कीया जिन स्थानीय निकायों के द्वारा अवधि 1-1-93 से 31-12-97 तक कार्यरत रहे। अनुपालन से निरीक्षण अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

(51) वाउचर सं० 25 माह 7/2004 राशि रु० 25,568.

अधिक भुगतान = रु० 14,350.

न० पंचायत के द्वारा भुगतान कीया श्री [illegible] राम सेवानिवृत्त कर्मचारी को leave Encashment के भुगतान के तहत Part Payment का किया। उक्त भुगतान से सम्बन्धित उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका से अर्जित अवकाश के खाते की जांच करने पर पाया कि नगर पंचायत ने उक्त कर्मचारी को बकाया अर्जित अवकाश के बदले में जो भुगतान से अधिक भुगतान कीया जिसका विवरण निम्नलिखित है.

न० पंचायत ने जो भुगतान कीया.

221 दिन के ऊपर बताये अर्जित अवकाश की राशि जो न० पंचायत ने बताई। = 48097.00

नियमानुसार जितना अर्जित अवकाश का भुगतान बनता है.

210 दिन पर: B.P. 4120 + DA 2376 (58%)

[illegible]

कुल = 6392

219 दिनों के अर्जित अवकाश

का भुगतान = $\frac{6392 \times 219}{30}$ = 46662-00.

अधिक भुगतान = 1435-00.

(न० पंचायत ने 219 दिनों के अर्जित अवकाश के बदले 221 दिनों के अर्जित अवकाश का भुगतान गलत गणना करके किया)

अत: सेवानिवृत्त कर्मचारी को किये गये उक्त अधिक भुगतान राशि रु० 1435-00 की वसूली सुनिश्चित करके न० पंचायत निधि में जमा की जाये व अनुपालना से निदेशालय, स्थानीय निकाय को अवगत करवाया जाये।

23 (क) **नायब तहसीलदार शर्मा को सचिव न०पंचायत के अतिरिक्त कार्यभार के फलस्वरूप अवधि 1-9-02 से 31-7-05 तक अनियमित ढंग से राशि रु० 1,05,000/- का मानदेय के रूप में भुगतान :-**

नायब तहसीलदार शर्मा जोकि सचिव नगर पंचायत का अतिरिक्त कार्यभार कर रहे को मानदेय के रूप में 3000/- प्रतिमाह की दर से नगर पंचायत के बैठक सं० 8/10 प्रस्ताव संख्या 137/8 दिनांक 1-02-03 द्वारा [illegible] लिये निर्णय के आधार पर भुगतान का रहे हैं। जबकि न०प० शर्मा द्वारा सचिव के अतिरिक्त भार के रूप में देय मानदेय अर्थात 3,000/- प्रतिमाह का मामला जो निदेशक शहरी विकास के द्वारा सरकार को स्वीकृति को भेजा था के प्रधान सचिव, (शहरी विकास) हि० प्र० सरकार द्वारा पत्र सं० UD(A) 2-7/97 दिनांक 8-6-04 द्वारा रद्द कर दिया गया। परन्तु सरकार द्वारा मानदेय का मामला (reject) रद्द होने पर नायब तहसीलदार शर्मा का नगर पंचायत के सचिव पद के अतिरिक्त कार्यभार का मानदेय राशि रु० 3000/- प्रतिमाह की दर से ले रहे हैं जोकि अनियमित है। अत: नगर पंचायत नायब

तहसीलदार से सचिव, न०पंचायत के अतिरिक्त कार्य करने के रूप में रखी गयी भुगतान राशि 105,000/- (3000×35) अवधि 1-9-02 से 31-7-05 की वसूली करके न०पंचायत निधि में जमा करे व अनुपालना से निदेशालय, शहरी विकास को अवगत करवाया जाये।

(ग) नायब तहसीलदार के निवास (Residence) के दूरभाष की अनियमित सुविधा देने पर राशि रु० 11,000/- की वित्तीय हानि।

नगर पंचायत ने नायब तहसीलदार के निवास (Residence) में दूरभाष नं० 22150 [illegible]-8-2003 को सुविधा प्रदान की जिसमें यह निर्णय लिया गया कि नगर पंचायत उक्त दूरभाष पर केवल 500/- प्रतिमाह के हिसाब से बिल का भुगतान करेगी व इससे अतिरिक्त का खर्च व स्वयं वहन करें। इसी स्तर पर स्वीकृति हेतु मामला पत्र सं० न०पं० अ० / स्था० प्र० / 03 / 1011 दिनांक 11-11-03 द्वारा निदेशालय, शहरी विकास, हि०प्र० को भेजा और निदेशालय, शहरी विकास, हि०प्र० ने पत्र सं०: यू०डी० - ए(बी) (3) - 7/86 - II - 15688 दिनांक 2-12-2003 को मितव्ययता निर्देशों के अन्तर्गत अस्वीकार कर दिया। परन्तु नगर पंचायत ने निदेशालय शहरी विकास के इस अस्वीकार पत्र की अवहेलना करते हुए नायब तहसीलदार के

निवास (Residence) पर दूरभाष की सुविधा अभी तक लगातार प्रदान की जा रही है और प्रतिमाह 500/- रु० पंचायत निधि से भुगतान किया जा रहा है जोकि अनियमित था। अतः अवधि 1-10-03 से 31-7-05 तक राशि रु० 11,000/- (500 x 22) की वसूली नायब तहसीलदार उनसे शीघ्र की जाये और न० पंचायत निधि में जमा की जाये तथा दिये गये दूरभाष की सुविधा शीघ्र समाप्त की जाये। अनुपालना से निदेशालय, शहरी विकास को शीघ्र अवगत करवाया जावें।

(ग) वाउचर संख्या 36(9) माह 9/2004 राशि रु० 6,000/-

उक्त वाउचर द्वारा न० पंचायत ने कर्मचारियों को 600/- प्रति कर्मचारी के हिसाब से राशि रु० 6,000/- के अग्रधन का भुगतान [illegible] बनाने के लिये किया। भुगतान में निम्नलिखित अनियमितायें पायी गयी।

नगर पंचायत ने festival advance के रूप में 10 कर्मचारियों को 600 प्रति कर्मचारी के हिसाब से राशि रु० 6,000/- का भुगतान किया जिसमें न०पं० ने इन चार कर्मचारियों को festival advance का भुगतान किया जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे। जिन्हें नियमानुसार festival advance की सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती थी। अतः इस प्रकार न० पंचायत ने festival advance में राशि रु० 2400/- (600x4) का अनियमित भुगतान किया। जिसे सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(13) वाउचर सं० 86(III) माह 3/05 राशि रु० 6423

क०प० ने उक्त भुगतान कोषागार.

मद :- की कीमत अवधि 1-4-04 से 30-9-04 के एवज में किया। इस भुगतान से सम्बन्धित बिल की जांच करने पर पाया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को राशि रु० 18 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके रा०सं० लिपिक के जमा की जावे और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जावे।

कर्मचारी का नाम	जितना भुगतान किया गया	जितना भुगतान बनता था	अधिक भुगतान
1. श्री जगदीश चन्द्र वरिष्ठ लिपिक	975-00	972-00	3-00
2. श्रीमती पुष्पा देवी उ०श्र०	720-00	714-00	6-00
3. श्री कौली राम, बेलदार	555-00	552-00	3-00
4. श्री मदन राम "	555-00	552-00	3-00
5. श्री रती राम "	555-00	552-00	3-00
		कुल योग =	18-00

(2) वेतन से की कटौती राशि रु० 6922/- (Rs.9171-62249) को भविष्य निधि खाते में जमा कराने सम्बन्धी कोई अभिलेख न प्रस्तुत न करना:-

नगर पंचायत के उक्त के भविष्य निधि के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों के वेतन माह : 12/2000 से C.P.F के लिए की कटौती तथा employer द्वारा Pension fund में के Contribution राशि रु० 6922/- को सम्बन्धित खाते में जमा कराने सम्बन्धी कोई भी प्रमाण/अभिलेख सम्बन्धित ऑडिटर के समक्ष प्रस्तुत नहीं था और न ही नगर पंचायत के सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा कोई ऐसा अभिलेख लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत किया जिससे यह ज्ञात हो सके कि उक्त राशि सम्बन्धित खातों में जमा की गई। अतः आपत्ति, नगर पंचायत प्रशासन स्तर पर इसकी छानबीन की और यदि उक्त राशि को सम्बन्धित खातों में जमा न कराकर राशि का दुर्विनियोजन किया गया है तो सम्बन्धित दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जाये और सम्बन्धित खाते में जमा करवायी जाये तथा की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(30) वाउचर सं० 84 माह 9/04 राशि रु० 12,919/-

उक्त वाउचर माह 8/2004 के वेतन के बिलो से की C.P.F कटौती व employer share towards contributed to pension and gratuity fund से सम्बन्धित है जिसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पायी गयी।

उक्त [illegible] वाउचर से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने उपरान्त पाया गया कि कर्मचारियों के माह 8/04 के वेतन के बिलों से C.P.F रु० की कटौती राशि रु० 4061 + रु० 2405 C.P.F अंशदान की कटौती मय राशि रु० 5339 व राशि रु० 1114/- और employer (न०पा०) के contribute towards pension fund and gratuity fund में जमा नहीं किया गया प्रतीत होता है, जो सम्बन्धित खातों में जमा कराने सम्बन्धी कोई भी प्रमाणीकरण उक्त वाउचर के साथ नहीं पाये गये और न ही सम्बन्धित कर्मचारी ने इस कार्य को कर दे; ने और ऐसा अभिलेख लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके की [illegible] उक्त राशि सम्बन्धित खातों में जमा की गई हो। अतः अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अपने स्तर पर इस मामले में छानबीन करे। यदि उक्त राशि रु० 12,919/- सम्बन्धित खातों में जमा नहीं हुई है तो इस राशि की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से करके सम्बन्धित खातों में जमा की जाये और इसके साथ-2 दोषी कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा की गई कार्यवाही से निदेशालय अथवा विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ग) वाउचर सं० 227 माह 1/2001 राशि रु० 9171-00.

उक्त वाउचर से० पंजीयन के अधिकारियों के वेतन माह 12/2000 से की अंशदायी भविष्य निधि की कटौती को भविष्य निधि खाते में जमा कराने से सम्बन्धित है। उक्त कटौती को भविष्य निधि खाते में जमा कराने में अनियमितता पायी गयी।

(1) कार्मिक के वेतन से की कटौती व employees द्वारा देयी employer share राशि रु० 22449/- का सम्बन्धित अधिकारी को नगद भुगतान करना

उक्त वाउचर से माह 12/2000 के वेतन से CPF से की कटौती व employer share towards contribution to pension fund की देयी राशि क्रमशः 13844/- + 8605/- को सम्बन्धित खातों में जमा न करवाकर उसका भुगतान नगद में सम्बन्धित अधिकारी को कैशियर द्वारा करने को दिया गया। जबकि कार्यालय का दायित्व था कि राशि रु० 22449 भविष्य निधि के सम्बन्धित खातों में जमा की जानी अपेक्षित था। ऐसा न करने के फलस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि राशि रु० 22449/- का दुर्विनियोजन किया गया है। अतः आपके उक्त मामले में अपने स्तर पर छानबीन करें और वास्तविकता से अंकेक्षण को अवगत करवाया जावे।

के आपूर्ति के बिलों की जांच ... —

(164)

(8) 1) वाउचर सं० 78 माह 12/2002 राशि रु० 12,449-00
2) वाउचर सं० 8(VI) माह 6/2003 राशि रु० 12,538-00.

न०पं० ने कर्मचारियों के माह 11/2003 व 5/2003 के वेतन के बिलों से भविष्य निधि के लिये की कटौती की जांच संलग्न Schedule of C.P.F of Municipal employees से करने पर पाया गया कि श्री जगदीश चन्द्र वनकर कार्यालय लिपिक ने वेतन माह 11/2002 व 5/03 के वेतन से राशि रु० 1800/- की कटौती C.P.F में की गई दिखाई इस की गई कटौती को इस कर्मचारी ने अपने नाम के खाते सं० 4809 The Jogindra Co-op. Bank Ltd में जमा की गई दिखाई जबकि यह राशि न०पं० के अन्य कर्मचारियों की तरह C.P.F के खाते में जमा की जानी थी अत: —— श्री जगदीश चन्द्र वनकर कार्यालय लिपिक द्वारा उक्त राशि को C.P.F के खाते में जमा न करवा अपने personal account में जमा करने बारे - औचित्य दे। वास्तविक स्थिति से पुंकेसलाल को अवगत करवाया जाये।

सामग्री की आपूर्ति में अनियमिततायें :-

(अ) कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पंचायत द्वारा सामग्री की आपूर्ति के बिलों को स्वयं बनाकर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करना :-

अप्रैल 4/97 से 3/05 तक के निम्नांकित मामलों में विभिन्न-2 सामग्री के आपूर्ति के बिलों की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत के कनिष्ठ अभियन्ता ने विभिन्न-2 सामग्री के आपूर्ति के बिलों को अपने स्तर पर स्वयं बनाकर तथा माप पुस्तिका में प्रविष्टि करके आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया। जिसका विवरण निम्नलिखित है:

वाउचर सं./दिनांक	सामग्री का ब्यौरा	Qty	Amt.	ठेकेदार का नाम.
176/18-8-97	Supply of Crushed stone	145.07 cft	1458.44	Sh. Devi Ram
177/21-8-97	—do— Darla aggregate	151.34 cft	761.50	—do—
—do—	—do— Sand darla	137.84 cft	1068.26	—do—
178/21-8-97	—do— Sand Darla.	137.84 cft	1860.84	—do—
—do—	—do— Darla aggregate	145.07 cft	725.35	—do—
179/15-8-97	—do— Darla sand	137.84 cft	1068.26	—do—
179/16-8-97	—do— Crushed stone	145.07 cft	1458.44	—do—
384/ 3/98	—do— Darla aggregate	166.34 cft	831.70	—do—

384 of 3/98	supply of Darla sand 148.47	1150-64	Sh. Ravi dan	
385 of 3/98	supply of stone crushed 145.07Cft.	1958-44	— do —	
386 of 3/98	supply of Darla aggregate 166.34Cft.	831.70	— do —	
— do —	supply of sand Darla 158.30Cft.	1180-32	— do —	
417 of 2/99	supply of Bricks Ist Class 1500 No.	3735-00	Sh. Balak Ram	
418 of 2/99	supply of Sand aggregate 145.07Cft	1741-00	Sh. Mansa Ram	
405 of 3/2000	supply of Darla aggregate 145.07Cft	1000-98	Sh. Rudolph Sood.	
— do —	— do — Bolder Stone 144.20Cft.	865-68	— do —	
407 of 3/2000	— do — Sand Darla 145.07Cft	1341-89	Sh. Balak Ram	
406 of 3/2000	— do — Bolder stone 144.28Cft.	865-68	Sh. Rudolph Sood.	
443 of 3/2000	— do — Sand Darla 145.07Cft.	1341-89	Sh. Balak Ram	
444 of 3/2000	— do — Sand Darla 145.07Cft.	1341-89	— " —	
445 of 3/2000	— do — Sand Darla. 145.07Cft.	1341-89	— " —	
446 of 3/2000	— do — Darla aggregate 145.07Cft.	1000-98	Sh. Rudolph Sood	
447 of 3/2000	— " — Bolder stone 144.22Cft.	865-32	— " —	
447 of 3/2000	— " — Darla aggregate 145.07Cft.	1000-98	— " —	
255 of 1/2001	— " — Darla sand.	137.84	1241-00	Sh. Balak Ram
— " —	Darla aggregate	156.13	937-00	— do —

जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यकारी अभिकर्ता ने आपूर्तिकर्ताओं को अधिक लाभ देने के लिये इस प्रकार की अनियमितता की [illegible] । क्योंकि जन-स्वास्थ्य निर्माण कार्यों में उक्त सामग्री की खपत दिखायी है वे MAS रजिस्टर के जरिये कार्य को जारी करके खपत दिखायी। जबकि नियमानुसार सामग्री [illegible] की खपत का पूर्ण ब्यौरा माप पुस्तिका में MPSR के लिये consumption of Materials chapter no-23 के अनुसार बनाया जाना था। अतः कार्यकारी अभिकर्ता द्वारा बिना consumption statement बनाये MAS रजिस्टर के जरिये सामग्री को जारी कर देना आपत्तिजनक है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभी त्रुटियाँ इसलिये की गई कि आपूर्तिकर्ताओं को अधिक लाभ दिया जाये। अतः उपरोक्त, पर फलस्वरूप [illegible] हुआ सकते हैं [illegible] अतः कार्यों को [illegible] वस्तुस्थिति से [illegible] लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये

2. आपूर्ति कर्ताओं को भुगतान के समय Proper receipt प्राप्त न करके कार्यकारी अभिकर्ता द्वारा बनाये बिल पर ही अभिकर्ता के हस्ताक्षर होने उसे भी आपत्तिजनक है। अतः उक्त भुगतानों की Proper Receipt प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की।

(5) विभिन्न-2 सामग्री की खरीद पर अधिक भुगतान राशि रु० 974.00.

नगर पंचायत कार्यों के विभिन्न-2 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिये विभिन्न-2 सामग्री की आपूर्ति आपूर्तिकर्ताओं से की। वर्ष 1998-99 के लिए-2 आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति के लिये दरें का अनुमोदन किया गया जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। अनुमोदित दरों के आधार पर न० प० ने विभिन्न-2 आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति के लिए कहा। परन्तु जिन बिलों पर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया, उसमें कुछ दरें अनुमोदित दरों से अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप राशि रु० 974/- का अधिक भुगतान किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Bill No/Date	सामग्री का ब्यौरा	मात्रा	जो दर लगाई गई रु.	जो दर अनुमोदित की गई रु.	किसी दर में अन्तर रु.	अधिक भुगतान
?/4/98	Supply of Morthi sand (Sh. Devi Ram supplier)	1314.43 cft	13.00 Per cft	11.90 Per cft.	16 P. Per cft.	215.09
?/2/99	Supply of bricks. (Sh. Budh Ram supplier)	1500 Nos.	2490/1000	2400/1000	90/1000	135.00
?/2/99	Supply of Sand Caggar (Sh. Mansa Ram supplier)	145.07 cft	12.10 Per cft	10 cft	2 cft	290.14
?/2/99	Supply of 20 mm grit (Sh. Pradeep Kumar Sood)	145.07 cft	14.20 cft	11.90 cft.	2.30 cft	333.66
						973.89

Total Say Rs 974.00

अतः अधिक दर पर आपूर्ति की
गई सामग्री की वसूली रु० ९७५-०० सम्बन्धित
आपूर्तिकर्ताओं से या फिर सम्बन्धित अधिशासी
अभियन्ता से कराकर न०प० निधि में जमा
की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण
को अवगत करवाया जाये।

Comparative statement.

Name of work :- supply of material for the year 1998-99

Name of material Article	Rate quoted by. Pardeep Kumar Sood	Rate quoted by Sh. K.R Bansal.	Rate quoted by. Sh Mansa Ram.	Rate quoted by Sh. Baldev Ram.	Remarks.
Bricks 1st class	2400/1000	2450/1000	2490.00/1000	2490.00/1000	Certified that Rate quoted by Sh Pardeep Kumar Sood. for item No 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 are lowest.
Sand Basla	9.40/cft	9.90/cft	9.50/cft	9.25/cft	(2) Rates quoted by. Sh Baldev Ram for item No — 2 are lowest.
Sand Beothi (Solan)	11.90/cft	12.00/cft	14.00/cft	14.00/cft	(3) Rates quoted by Sh. K.R. Bansal for item No — 4.
Sand Gaggar (Nalagarh)	13.00/cft	10.00/cft	14.00/cft	15.00/cft	(4) Rate quoted by. Sh Nanak Ram Bhaluke for item No — 11 are lowest.
Aggregate (Basla)	6.90/cft	7.00/cft	7.50/cft	7.95/cft	have recommended for approval.
Crushed stone (20mm)	11.90/cft	12.00/cft	15.00/cft	15.00/cft	
Crushed stone (40mm)	13.90/cft	14.00/cft	16.00/cft	15.00/cft	
Cut stone 18"x6"x8"	4.40/each	4.45/each	4.50/each	5.00/cft	
Boulder stone	6.00/cft	6.00/cft	8.00/cft	9.00/cft	
sand (Tato Pani)	13.00/cft	—	14.00/cft	15.00/cft	
Sand Icandime	—	—	14.00/cft	15.00/cft	

Lowest Rate Approved

XEN

(5) नगर पंचायत लेखे पर व्यय का उचित प्रमाण न होना।

वर्ष 1997-98 से वर्ष 2001-02 का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत के कुछ-एक खर्च इन मदों पर किये और नगर पंचायत लेखे पर उचित प्रमाण न रहे, अतः स्पष्ट है, नगर पंचायत ऐसे व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उसे नियमित करवाना जरूरी तथा आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करे। विवरण निम्नलिखित है:-

वाउचर सं०	राशि	किस मद पर व्यय किया.
166 of 9/97	55-00	15 अगस्त, 1997 मनाने के लिये, खाली टैंट, फोटोग्राफर(?) आदि आदि पर व्यय किये।
167 of 9/97	300-00	
168 of 9/97	320-00	
397 of 3/98	110-00	जन्माष्टमी(?) उत्सव में भजन मंडली(?) पर खर्च
393 of 2/99	800-00	उपायुक्त मीटिंग-कार्यक्रम पर
36 of 9/2004	1,000-00	25 kg लड्डू (15 अगस्त मनाने के लिये
80(12) of 3/05	680-00	26 जनवरी/मनाने के लिये
80(13) of 3/05	125-00	नया साल मनाने के लिये.
57 of 8/2002	336-00	चाय, cold drinks, नमकीन, snacks पर खर्च।
56 of 8/2002	220-00	पर्यावरण दिवस पर [illegible]

(2) वाउचर संख्या 20। दिनांक 3/98 राशि रु० 25,000.

ग्राम पंचायत, झर्री ने 10 दुकानों के निर्माण के लिये उ०प्र० अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातीय विकास निगम, जिला झोलम उ०प्र० से अवधि 1990-91 में राशि रु० 1,60,000/- व अवधि 1991-92 में राशि रु० 1,60,000/- का ऋण लिया था। जिसकी वापसी के लिये ग्रा० पंचायत ने दिनांक 26-3-98 को राशि रु० 25,000/- की एक किश्त जमा करायी। परन्तु उ०प्र० अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातीय विकास निगम जिला झोलम ने राशि रु० 25,000/- की रसीद एक साधारण पेपर पर दी। और न ही रसीद पर निगम की स्टेम्प है। जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि भुगतान उ०प्र० अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातीय निगम जिला झोलम को किया गया। अतः सचिव, ग्रा०पं० झर्री तत्काल निगम से राशि रु० 25,000/- की रसीद Prescribed form में प्राप्त करके अगले संप्रेक्षण के दौरान प्रस्तुत करें।

24(क) डीनोमिनेटेड फण्ड लेखों में अनियमितताएं:

श्री जगदीश चन्द्र तेजमल लेखापाल नाजी द्वारा वर्ष 2001-02 में आवर्ती जमा खाता सं० के कमश: 18,055+485+485=19025 रुपये की निकासी दर्शाई गई थी किन्तु वर्ष 2001-02 में निकासी करने के उपरान्त कुल जमा खाता सं० के घटाया नहीं गया था। परिणाम स्वरूप उक्त खाते में रु० 19,025 रुपये की राशि 31-3-2005 तक अधिक दर्शाई गई थी। उक्त परिपक्व निधि राशि को ओरियन्टल कोऑपरेटिव बैंक लि. के खाता संख्या 4809 में जमा कराया था। इस सम्बन्ध में उन्होंने (लेखापाल ने) इसके स्पष्टीकरण हेतु लिखित रूप में दिया गया उनका कहना था 'Ledger का पता कुछ आवेदन पत्र हैं देख ले इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है'।

अत: वर्ष 2001-02 में रु० 19025 रुपये की निकासी के कारण उनकी जमा खाता से इसे घटाया जाये अन्यथा लेखों को ठीक करें किया जाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जावे।

ख) CPF अग्रिम पंजिका का अभाव:

संस्था द्वारा लेखापाल नाजी द्वारा अग्रिम पंजिका तैयार नहीं की गई थी जिससे कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर लिए गये अंशदायी निधि से अग्रिम व अन्य अग्रिमों की कटौती का सत्यापन नहीं किया जा सका। अत: वर्ष 1-4-97 से 31-3-2005 तक भिन्न-भिन्न कर्मचारियों द्वारा अग्रिम प्राप्त किए गए उनके समस्त इन्द्राज अग्रिम पंजिका में करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें। भविष्य में समस्त अग्रिमों की प्रविष्टियां अग्रिम पंजिका में की जानी सुनिश्चित की जावे।

(ग) सेवानिवृत्त अंशदान व ग्रेच्युटी के अतिरिक्त P.F. लेजर के अतिरिक्त अन्य कोई पंजिका लेखापाल द्वारा अंकेक्षण के प्रस्तुत नहीं की गई। P.F. लेजर के अधिकतर स्थानों में इसकी प्रविष्टियाँ की गई थी/[illegible] की [illegible] का पृथक कोष/पंजिका में दर्ज किया जाना अपेक्षित था/है जिससे पता चल सके कि किस वर्ष में कब कितना पैसा [illegible] किस बैंक खाते से लिया गया।

अतः अप्रैल 1-4-97 से 31-3-2005 (आडिट के) इसके लिए पंजिका तैयार की जावे व प्रत्येक वर्ष जमा की गई राशि उसमें दर्ज की जावे व आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत की जावे।

25 - **कैश बुक में प्राप्त आय की प्रविष्टियाँ नहीं:-**

(1) माह 9/97 के अखबार से अनुदान के रूप में रु० 44910 रुपये की राशि प्राप्त हुई जिसमें बैंक द्वारा collection charges के रूप में रु० 300 रुपये लिए गये। कैश बुक के कालम 8 का योग तुलना में 1,28,715 बताया गया था जबकि कालम 7 के अनुसार यह योग 1,29,015 आता था। जिससे रु० 300 रु० का अन्तर था। जिसे स्पष्ट किया जावे व आगामी अंकेक्षण में अवगत कराया जावे।

(2) **वा० सं० 380 माह 3/98 (9.3.98) राशि 15 रुपये:-** उक्त वाउचर द्वारा दिनांक 9-3-98 को पत्रिका क्रय की गई जबकि इसकी प्रविष्टि [illegible] रु० 15 रुपये [illegible] में रु० 157 रुपये दर्ज की गई। अतः रु० 6 रुपये [illegible] के जमा करवाये जावे व आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जावे।

(3) **बिल सं० 93, दिनांक 31-3-05 राशि 6110 रुपये:-** उक्त बिल द्वारा रु० 6110 रु० [illegible] के भुगतान [illegible] बिल / कैश बुक में [illegible] रु० 282 रुपये भी सम्मिलित थे, जो कि बिल के साथ [illegible] नहीं था। अतः 282 रु० बिल न होने के कारण [illegible] वसूली की जावे। [illegible] आगामी अंकेक्षण में [illegible]

कार्यालय |

(175)

26(क) स्टाक रजिस्टर में सामग्री की प्रविष्टियों का न पाया जाना

उपर अंकेक्षण अवधि में विभिन्न-2 प्रमाणकों से विभिन्न सामग्री की खरीद की। परन्तु इनकी प्रविष्टियाँ स्टाक रजिस्टर में नहीं पायी गयी। जिनका विवरण निम्नलिखित है।

वाउचर सं0/अवधि	सामग्री का विवरण	राशि
413 of 3/08	1 Tag Big	23-00
	1 -do- Small	5-00
414 of 01/08	1 Register	20-00
	12 No. Graph sets	36-00
	-do-	28-00
	5 Calaps	66-00
	2 Photocopies	2-00
	2 Pilot pen green-blue	50-00
	1 Ball Pen	10-00
	10 Photo copies	6-00
	1 Ream paper	125-00
	½ Rim Duplicate	55-00
	2 Pencil	6-00
	1 Rubber	1-50
	5 Photocopy	5-00
	2	2-00

[illegible] 2/99	12 no. Craft Sheets	60-00
409 of 3/2000	TubeLight Point with s/socket.	1800-00
	2 no. 15 Amp. Socket.	440-00
82 ([illegible]) of 3/95	1 Dozen glass	120-00
	2 Tray Plastic	84-00
	1 Tea	80-00
	2 Vim box	28-00
	2 Soap	16-00
	2 Duster	12-00
	2 Set of cup	450-00
	2 Lock (Harrison)	81-00
	2 M. Seal	46-00
	1 Tube test complete	303-00
161 of 10/01	1 No. Lock.	39-00
81 of 5/01	1 Bell ding dong	69-00
	1 Bell Point	15-00
	1 Bell Push	5-00
	Under Wire	46-00
		4119.50

ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त लेखा से. खरीदी सामग्री को क० प० के उपयोग प्रोजेक्टों के नाम लेकर उक्त सामग्री का दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है. कर्मचारी

वसूली राशि रु० 4.119.50 सम्बन्धित दोषी अधिकारी |कर्मचारी से की जाये और अनुपालन आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

प्रस्तावित कार्यवाई जाने

(ख) स्टाक पंजिकाओं में अनियमिततायें:-

[illegible] पंचायत अवधि के अवधि 1-4-97 से 31-3-2005 तक का अभिलेखा करते समय पाया गया कि विभिन्न योजनाओं/स्टाक वस्तुयें समय-समय पर क्रय की जाती रहीं जिनकी स्टाक प्रविष्टियाँ क्रम से पृष्ठ पर की गई थीं। जिनमें न ही वस्तु का विवरण दर्ज था न ही आगामी वर्ष अग्रेनीत उसी वस्तु के क्रय करने पर दर्ज किया गया था, पृष्ठांकित/प्रमाणित नहीं की गई थी। स्थाई व अस्थाई वस्तुओं के लिए पृथक-पृथक पंजिकायें बनाई गई थी, किन्तु स्थाई वस्तुओं की स्टाक प्रविष्टियाँ अस्थाई पंजिका व अस्थाई वस्तुओं की स्टाक प्रविष्टियाँ स्थाई पंजिका में की गई थी।

अतः अवधि 1-4-97 से 31-3-05 तक की स्टाक प्रविष्टियाँ स्थाई वस्तुओं की स्थाई स्टाक पंजिका में व अस्थाई वस्तुओं की स्टाक प्रविष्टियाँ अस्थाई पंजिका में प्रत्येक आइटम को पृथक-पृथक पृष्ठ आवंटित करके स्टाक प्रविष्टियाँ आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करायी जायें तथा भविष्य में भी तदनुसार स्टाक प्रविष्टियाँ सुनिश्चित की जायें व [illegible] की जाये।

(ग) बिल संख्या 97/841 दिनांक 29-11-99 द्वारा 2990 रु० का [illegible] क्रय किए गए कम

मै० [illegible] के क्रम [illegible] स्थाई स्टाक पंजिका पृष्ठ 13 पर की गई स्टाक प्रविष्टि स्थाई स्टाक [illegible] दर्ज नहीं था जिससे बिल गई थी, किन्तु बिल का [illegible] दर्ज नहीं था जिससे बिल स्टाक प्रविष्टि अपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त बिल भुगतान पर की गई, दर अनुबंध (Rate contract) इत्यादि अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराई गई।

अतः स्टाक प्रविष्टि में बिल का [illegible] दर्ज किया जाये व दर अनुबंध आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये।

[illegible]

[illegible] किया जाये।

(ब) बिल संख्या 000662, दिनांक 11.10.2002 राशि 1100 रुपये

डॉ० श्री [illegible] इण्डस्ट्री आर्ट के द्वारा बिल संख्या 000662, दिनांक 11.10.02 को मैप/बुक 1100 रुपये में क्रय किया गया। जिसका इन्द्राज स्थाई स्टाक पंजिका पृ० 14 में किया गया था किन्तु इसका स्टॉक दर्ज नहीं किया गया था न ही इसका मूल्य दर्ज किया गया था। अतः पंजिका पूर्ण कर अंकित स्टाक पंजिका में दर्ज किये जायें व क्रय से सम्बन्धित दरसूचियाँ, सप्लाई आदेश इत्यादि आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जायें।

(इ) एक सोफा सेट व चार साइड टेबल के क्रय बाबत :- प्रधानाचार्य [illegible]

प्रधानाचार्य द्वारा एक सोफा सेट व चार साइड टेबल रु० 4642.50 रुपये व 300 रु० [illegible] क्रय किए गए जिनकी स्थाई स्टॉक पंजिका के पृष्ठ 17 में दर्ज की गई थी। जिसका सत्यापन प्रधान द्वारा दि. 28.7.98 को किया गया था।

उक्त स्टाक इन्द्राज में बिल सं० 441 के अतिरिक्त तिथि व आपूर्तिकर्ता का कोई उल्लेख नहीं था, क्रय किस आधार पर किया गया दरसूचियाँ व आपूर्ति आदेश अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

(च) अंकेक्षण अवधि 1.4.97 से 31.3.05 तक क्रय किए गए उपकरण वस्तुओं की स्टाक प्रविष्टियाँ कहीं भी अंकित द्वारा सत्यापित नहीं करवाई गई थी, जिन्हें अब सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये व भविष्य में समस्त स्टाक वस्तुओं का सत्यापन आवश्यक रूप से करना भी सुनिश्चित किया जाये।

(ड) वाउचर सं०-22 माह 4/98 राशि रु० 65,000/-

नगर पंचायत ने इस भुगतान श्री विनोद कामुदा [illegible] मुखार समिति को सड़क नाला निर्माण हेतु राशि रु० 65,000/- का भुगतान किया। भुगतान में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गई:-

नगर पंचायत ने बी० डी० ओ० [illegible] एवं मुख्य अनुदान के अन्तर्गत श्री विनोद कामुदा [illegible] मुखार समिति को इनके द्वारा दिये प्राक्कलन (दिनांक-24.4.98) के आधार पर राशि रु० 65,000/- का भुगतान सड़क नाला के निर्माण के लिये किया। इस अग्रिम भुगतान श्री विनोद कामुदा [illegible] मुखार समिति द्वारा दिये प्राक्कलन एवं अनुमानित [illegible] के आधार पर किया, जिसका कि विवरण निम्न प्रकार है।

मदों के नाम		राशि
1. [illegible] की मजदूरी (नालियाँ)	:	7,000.00
2. मोटी [illegible] तीन ट्रक	:	4,000.00
3. सीमेंट का मजदूरी 60 बैग	:	8,500.00
4. ईंट 2 ट्रक - 10,000 प्रति	:	20,000.00
5. [illegible] 2 ट्रक	=	5,500.00
6. [illegible] 15 क्विंटल	:	20,000.00
	कुल योग	65,000.00

इस अग्रिम भुगतान के लिए इस समिति को राशि रु० 1,08,465/- के व्यय का विवरण [illegible] को प्रस्तुत किया। इस कार्य के लिये [illegible] के [illegible]

[illegible] एवं आरक्षित [illegible] कराये गये

अभियन्ता, ग्रा० पं० की देख-रेख में कार्यों के भौतिक
रखे गये तथा उक्त निर्माण कार्य में होने वाले
व्यय का भुगतान सम्बन्धित अभियन्ता की रिपोर्ट में किया
जाना रहा। परन्तु उक्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित
आपत्तियां पायी गई:-

उक्त निर्माण कार्य में प्रयोग लाये जाने सामग्री से सम्बन्धित कोई भी स्टाक रजिस्टर, वैउचर बिल आदि प्रतीत नहीं होता है। और न ही उक्त निर्माण में कितने कार्य को किया गया है कि प्रविष्टि भी स्टाक पुस्तिकाओं में न सके। केवल एक साधारण पेपर पर की गई है और न ही उसे किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाया गया है। अभिलेखों में केवल खरीद की गये सामग्री के बिल ही संलग्न है। अतः उक्त अधूरे अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि जितनी सामग्री उक्त निर्माण कार्य के लिये खरीद की गई थी, वह सारी सामग्री निर्माण कार्य में खपत हो गई। अतः सचिव, ग्राम पंचायत सम्बन्धित जूनियर अभियन्ता से निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियमानुसार पूर्ण अभिलेख तैयार करवाये तथा आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करें।

① V.No-87 माह 3/05 राशि रु० 22674-00
(2) V No-98 माह 3/05 राशि रु० 19,769-00

उक्त वाउचरों द्वारा भुगतान ठेकेदार श्री गोपाल स्वरूप पाठक को C/o Drain in ward No-3 and C/o Drain in ward No-2 near [illegible] के एवज में क्रमशः राशि 19,769 and 22674/- का किया।

ग्रा० पंचायत ने उक्त निर्माण के सम्बन्धित प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कैश रजिस्टर, कन्ट्रैक्टर लेजर, प्रतिभूति राशि रजिस्टर, निविदा एवं Tender Notice आदि लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। जिसे आगामी लेखा-परीक्षा में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

27. नगद भुगतान:-

ग्राम पंचायत अर्पी ने वर्ष 4/97 से 3/05 तक किये गये अधिकतर भुगतानों को [illegible] बैंक द्वारा न करके नगद किया गया है जो कि अनियमित एवं आवश्यक वि० [illegible] [illegible] कोड [illegible] की धारा 174 के अनुसार रुपये 20,500/- से अधिक का भुगतान नगद न करके बैंक द्वारा किया जाना अपेक्षित है। अतः ग्राम पंचायत ने उक्त नियमों की अवहेलना करते हुये नगद

...क्रमशः

[illegible]

अनुमान्य राशि रू० 30/- के अधिक के बने हैं, उनकी कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके उसे नियमित कराया जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत कराया जाये। इसके साथ-2 भविष्य में राशि रू० 30/- से अधिक का भुगतान चैक द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

28. सार:-

नगर संस्थान अबोहर के अवधि 4/97 से 3/05 तक के लेखों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर संस्थान के सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा अभिलेखों का रखरखाव समुचित तरीके ढंग से किया गया था। दुकानों के किराये से सम्बन्धित मांग एवं वसूली रजिस्टर में वार्षिक मांग एवं वसूली व अवशेष आंकड़ों के जो योग किये गये वे अधिकतर गलत थे तथा कहीं खातों में अवशेष कैरी फारवर्ड नहीं किये गये थे। अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा किराये के मांग एवं वसूली रजिस्टर में कुछ खातों की प्रविष्टियां एक ही दुकान को दो किरायेदारों के खाते में दर्शाया गया था तथा कहीं मामलों में दुकान खाली दर्शायी और [illegible] को कुछ समय के लिये आगे की गई थी। परन्तु उसकी प्रविष्टी भी किराये के मांग एवं वसूली रजिस्टर में की गई थी जोकि एक गम्भीर

अनियमितता है। निर्माण के कार्य, एवं उप निरीक्षक
से प्रमाणित कराए, जबकि [illegible] देखने गये थे
और न ही उक्त उप निरीक्षक / अभियंता से कार्य,
नगर पंचायत द्वारा करवाये / हस्तांतरित करवाया
गया। जिसके फलस्वरूप अंकेक्षण : के दौरान
उपलब्ध किये प्रमाणक योग अर्थात् रु० 2,03,972/- जबकि
उसके सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमाणक योग रु०
64,330/- रु० दिखाये हैं। यह अंतर [illegible] तक
के निर्माण की जानकारी नहीं है। इतना अन्तर आना
यह दिखाता है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा
न० पंचायत के मुख्य स्रोत से प्राप्त होने वाली
राजस्व के अभिलेख जिसमें त्रुटिपूर्ण ढंग से रखा गया
है। इसके अतिरिक्त न० पंचायत ने अधिक 200
तक जो गृह कर का निर्धारण न०पं० द्वारा किया
किया उसके पश्चात् आज तक पुन: से गृह कर
निर्धारण के लिये कोई कार्यवाही की और न ही
नियमित [illegible] कोई, 1975 वर्ष पूर्व दर गृह कर
लेखा जोखा तैयार किया।

नगर पंचायत के सम्बन्धित
अधिकारी ने लेखा-बही में आय व व्यय की जो
प्रविष्टियों की है वो भी त्रुटिपूर्ण थी और न ही आय/
प्राप्ति का मासिक एवं वार्षिक लेखे भी तैयार
किये गये थे। जिसे लेखा नीति से स्पष्ट तैयार किया
नगर पंचायत सरकार द्वारा लगाये (किराया)
करों की वसूली के लिये पूरी तरह लापरवाही, न०पं०

उप निदेशक (लेखा)

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

कुल अधोरोपित गृह कर की कुल वसूली की गई। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि न० नि० पर्यटकों द्वारा दिये जाने वाले शुल्कों पर ही निर्भर है, न० नि० कुल कर ही ठेकेदारों को [illegible] पार्किंग की फीस का टेण्डर नीलाम किया। अतः ऐसा करों और अभिलेख है जो न०नि० [illegible] के अपने आय के स्रोतों है जो नहीं बनाये गये।

अतः संक्षिप्त ऊपर संचालन आदेश कर का [illegible] त्रुटियों का निवारण करे तथा जो भी अभिलेख नियमानुसार बनाये जाते हैं उन्हें H.P. Municipal account code, 1975 के प्रावधानों का पालन करवायें व आय की वसूली हेतु उचित नियमानुसार ठोस कार्यवाही की जाये। ताकि न०प० की आय में बढ़ोतरी हो और अपने-अपने आय के निर्भर बन सके।

29. लघु आपत्ति विवरणिका → लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

30. निष्कर्ष:- न०पं० अर्की के लेखों के रख-रखाव में बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता विशेषतया [illegible] एवं अन्य टेण्डर [illegible] गृहकर व [illegible] से सम्बन्धित है।

सहायक अधिकारी (लेखा)	उप निदेशक (लेखा)
निदेशालय, स्थानीय निधि लेखा	निदेशालय, स्थानीय निधि लेखा
हि०प्र० शिमला-2	हि० प्रदेश, शिमला-2